

58th वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

Annual Report 2021-22

1965 - 2022



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)

GLIMPSE OF CCI



58th Annual Report 2021-22

Board of Directors	03
Chairman's Speech	07
Director's Report	09
Management Discussion & Analysis	31
Certificate on Corporate Governance	39
Secretarial Audit Report	40
Auditor's Report and Management's Replies	44
Annual Accounts 2021-22	57
Cash Flow Statement	59
C&AG's Comments	99
Our Employees -Our Greatest Assets	101
Salient Features of our Units	103



Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise)

New Delhi

Audit Committee

Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Chairman)
Dr. Manju Baghel (Member)
Shri B.P. Satapathy (Member)

Remuneration Committee

Dr. Manju Baghel (Chairman)
Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Member)
Shri B.P. Satapathy (Member)

Registered Office

Cement Corporation of India Ltd.

Core 5, Scope Complex
7, Lodhi Road New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

Cost Auditor

M/s HMVN & Associates

Cost Accountants,
1011, Pearls Best Heights-11,
Netaji Subhas Place,
Pitampura, Delhi-110034

M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co.,

Cost Accountants,
126-D, Satyen Roy Road
Kolkata-700034

M/s. PKR & Associates LLP,

Cost Accountants,
Plot No.80/A, Flat No.402
Western hills, Pragathi nagar Road,
Hyderabad, Telangana 500085

Bankers

State Bank of India
ICICI Bank
Bank of Baroda

Statutory Auditors

Principal Auditor
M/s. Mahalwala & Co
Chartered Accountants
E-97, LGF Greater Kailsh-I
New Delhi-110048

Branch Auditors

M/s Raipelly Ramesh & Co.

Chartered Accountants,
Adilabad-504001

M/s Rajesh Vipin & Associates

Chartered Accountants,
Delhi - 110033

M/s. R Kumar Aggarwal & Co.

Chartered Accountants,
Raipur-493118

M/s. Manilal Shah & Co,

Chartered Accountants,
Kalaburgi -585101

M/s Manmohan Gupta & Co.

Chartered Accountants,
Rohtak-124001

M/s JS Sundaram & Co.

Chartered Accountants,
Hyderabad-500081

M/s. Gupta Maskara & Associates

Chartered Accountants,
Guwahati-781001

M/s. Pruthi & Co.

Chartered Accountants,
Raipur-494334

BOARD OF DIRECTORS



Shri Sanjay Banga
Chairman & Managing Director



Shri Pradeep Kumar Chand
Director (Finance)



Dr. Renuka Mishra
Govt. Nominee Director
Economic Adviser, MHI



Shri B. P. Satapathy
Govt. Nominee Director,
Deputy Secretary, MHI



Dr. Ravindra Shivshankar Arali
Independent Director



Dr. Manju Baghel
Independent Director



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

as on date of AGM

KEY FUNCTIONARIES



Dr. Anil Kumar Agrawal, ITS
Chief Vigilance Officer



Shri. B.M. Mahana
General Manager (T&O)



Shri. Vivek Kumar
General Manager (Tandur)



Shri. Jogeshwar Behera
General Manager (Rajban)



Shri Sharad Kumar
General Manager (Bokajan)



Shri Alok Shukla
Addl. GM (Mktg.)




Shri. C B Jaggi
Addl. GM (HR)




Shri Arbind Upadhyay
Senior Manager (Fin.)


पन्यावर्त / Turnover




निवल लाभ / Net Profit



सीमेंट उत्पादन / Cement Production



मेनपाँवर / Manpower



SPEECH OF THE CHAIRMAN AT THE 58TH ANNUAL GENERAL MEETING



Dear Shareholders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 58th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and I am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2022 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

Cement demand picked over a low base of Financial year 20-21 with strong signs of demand recovery. The second wave of the pandemic disrupted the market by localised lockdowns and a dampened consumer sentiment. Further, the unprecedented hike in fuel prices created cost pressures.

Your company worked on its inherent strengths to mitigate the challenges. CCI produced 8.70 lac MT clinker which was the highest in last five years. However an effort was made to improve the bottom line by improving prices and the average realization improved by slightly more 5%. The annual cement production was 8.72 lac MT with sales of 8.66 lac MT. The cement capacity realization was 60%. The company earned a net profit of Rs. 40.20 Crores during the year 2021-22 against a profit of Rs. 13.15 Crores in the year 2020-21.

Quality Management

Your Company has Quality Management System in place for all the three operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan with ISO certification. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in Company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Periodical training programs are conducted to instil the commitment towards quality among employees.

Human Resource Development

Human Resource Development has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future.

CCI aim to build a healthy Workplace to increase employee engagement, cohesiveness and overall productivity. In 2021-22, CCI celebrated Azadi ka Amrit Mahotsav along with Swachhta Pakhwada, Hindi Pakhwada, sports activities, Yoga Day, National Unity Day, Constitution Day, Women's Day, World Environment Day etc. across all its units and Corporate Office by following all COVID Protocols.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board and the policy is being implemented at the Corporation in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Government from time to time.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you that Independent External Monitors (IEM) has

been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than prescribed limit. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Ministry of Heavy Industries for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful for the overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again, Jai Hind.

Place: New Delhi

Date : 28th September, 2022

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

DIRECTORS' REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 58th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2022, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year 2021-22 along with previous year's figures are given below:

Sl. No.	PARTICULARS	For the year ended 2021-22	For the year ended 2020-21
1	Net Income from Operation	418.87	414.59
2	Other Income	37.04	34.80
3	Total Expenses other than depreciation and interest	405.97	427.10
4	Exceptional Income/ (Expenses)	0.00	0.00
5	PBDIT	49.94	22.28
6	Less: Finance Cost	0.00	0.00
7	PBDT	49.94	22.28
8	Less: Depreciation	9.74	9.13
9	Profit/ (Loss) before Tax	40.20	13.15
10	Less: Income Tax	0.00	0.00
11	Net Profit after Tax	40.20	13.15

1.1 Corporation has earned a net profit of Rs. 40.20 crores during the year 2021-22 as against net profit of Rs. 13.15 crores during the previous year. The cement production during the year is 8.72 lakhs MT as against 8.93 lakhs MT during the previous year.

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2021-22.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of

Business operations done during the year 2021-22:-

A. OPERATIONS

Performance of Units –

The Capacity utilization of Cement (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		TOTAL OPERATING PLANTS	
	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
Capacity Utilization of Cement (%)	54.70	52.53	52.20	59.68	63.40	64.14	60.30	61.78
Clinker Production (MT)	100440	93965	115460	102150	653620	611650	869520	807765
Cement Production (MT)	108270	104005	129520	148000	634180	641356	871970	893361
Dispatch (MT)	108354	104879	130029	147690	624909	643897	863292	896466

The status of projects are mentioned below:

a) Status of Bokajan Expansion Project

A Work Order for expansion of Bokajan unit to 1200 TPD on 24.09.2010 was placed, on M/s Promac Engineering Industries Ltd. (Promac), Bangalore vide Work Order No. 46/10/6(6)/10-MMO/196 dated 30.09.2010 at value of Rs.142.40 crores with the completion period of 18 months. The Project languished for about 7 years. On 06.03.2019, CCI terminated the Contract with M/s Promac.

The matter is in arbitration with Arbitral Tribunal.

b) Status of Silchar Grinding Unit

A Work Order No.47/10/6(7)/10-MMO/206 dated 30.09.2010 was issued to M/s Promac Engineering Industries Ltd. (Promac) for setting up of 50 TPH Cement Grinding Unit at Silchar (Assam) on Turnkey Basis at value of Rs.39.68 crores with the completion period of 12 months.

On breach of contractual obligations, the W.O. was terminated by CCI.

The matter is in arbitration with Arbitral Tribunal.

c) Technological Up-Gradation at Tandur Unit

As envisaged in the Sanctioned Scheme,

technological up-gradation scheme at Tandur have been taken up for implementation in phase manners as per priority, viability & fund availability.

Land Data of Non-Operating Units :

Total Land area of Non-operating Units including CCI's Pvt Land, Govt Lease Land, Pvt Lease Land & other is as under:

S. No.	Unit	Free Hold	Lease Hold			Other	Total * (Acres)
			Govt.	Pvt.	Total		
1	Mandhar	656.06	290.54	0	290.54	39.34	985.94
2	Nayagaon	563.85	789.28	00	789.28	65.25	1418.38
3	Adilabad	772.85	36.33	1477.70	1514.03	0.00	2286.88
4	Akaltara	187.62	385.50	460.75	846.25	459.88	1493.75
5	Kurkunta	465.48	360.35	0.00	360.35	105.70	931.53
6	Charkhi dadri	205.03	0	0	0	0	205.03
7	Bhatinda	20.24	0	0	0	10.12	30.36
	Total	2871.13	1862.00	1938.45	3800.45	680.29	7351.87

Remarks: The actual area of land may vary as the same is subject to up-dation of land records and demarcation by Revenue Department of the State Government as per the local Land Revenue laws and outcome of court cases.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of Rs. 40.20 Crores during the year 2021-22 as against the net profit of Rs. 13.15 crores in the previous year.

C. AN OVERVIEW

Cement demand picked over a low base of Financial year 20-21 which witnessed strict lockdowns due to Covid 19 induced lockdowns. However the country was again hit by second wave of pandemic in the first quarter of the financial year and created disruptions in the market with localised lockdowns and a dampened consumer sentiment. The industry which is energy intensive also witnessed increases in diesel and coal costs due to disruptions in international logistic and supply chains which were further compounded by the Russia-Ukraine conflict towards the end of the fiscal.

The year saw increased government spendings on infrastructure, continued strong demand from real estate sector, and rural and affordable housing sector. Higher fiscal deficit during FY 22 also increased the Government capacity for spending on infrastructure and development which in turn created demand for other sectors including cement. The accommodative monetary policy followed by RBI allowed the availability of easy credit terms for housing finance. A good monsoon with remunerative MSP/market prices saw

increased higher spending on housing. However cement demand from industrial and commercial segments was relatively tempered. The total cement installed capacity is around 550 Million Tonnes per annum.


The successful implementation of the world's largest vaccination drive, pick up in government expenditure and better preparedness compared to the first wave limited the negative economic impact. However the overall Consumer Price Inflation reached 6% in Jan 22 and could remain elevated during FY 23 also. The country's Gross Domestic Produce (GDP) is likely to grow between 7.5-8% during FY23 also. The per capita cement consumption of India is still below the world average and hence though India is the second largest producer of cement, it offers significant headroom for growth.

D. CEMENT SALES AND CAPACITY UTILIZATION


With better kiln uptime, CCI produced 8.70 lac MT clinker which was the highest in last five years. However an effort was made to improve the bottomline by improving prices and the average realization improved by slightly more 5%. The annual cement production was 8.72 lac MT with sales of 8.66 lac MT. The cement capacity realization was 60%. The quarterly clinker, cement production and cement sale

figures of the last three years are given in the following tables-


Quarterly Clinker Production in MT



Quarterly Cement Production in MT



Quarterly Cement Sales in MT



It is observed from the above table that both cement production and sales were slightly lower than that during Q2 and Q3 of current financial year and hence the final figures were also lower by about 3%. Cement manufacturing is a energy intensive process and the coal availability constraint affected the production. Furthermore it is unlikely that the industry shall be able to pass the full impact of cost increases due to higher price of coal and power in the market due to overcapacity particularly in the South India where one million tonne CCI cement plant is located. However it is heartening to note that due to better realization and accretion of clinker stocks, CCI profits increased from Rs 13.16 crore during FY 20-21 to Rs 40.20 crore during FY 21-22.

E. QUALITY

- Quality aspects are given utmost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control

activities from raw material stage to product stage are being done in Company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.

- The three Operating units are ISO -9001 certified. Tander unit is SA: 8000 certified also.



Dealer Meet of Tander Unit in Gulbarga



Dealers Meet at Bokajan

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Government of India during the Financial year and company's share capital at the end of the year stood at Rs. 811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of Rs. 455.98 crores and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 355.43 crores.

5. HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

Cement Corporation of India Limited as a company feels immensely proud to be the only Cement Manufacturing Public Sector Undertaking of India, wholly owned by the

Government of India. Being a company which has made a name for itself in the market since 50 years, it has grown astronomically by integrating innumerable progressive modifications, both in terms of products and satisfied customers.

Cement Corporation of India Limited is a unique organization, both in terms of objectives and its human resources. CCIL offers equal opportunities to all employees to excel and grow in their field of expertise. CCI has achieved many accolades during the COVID 19 pandemic due to sincere efforts of employees and their dedication towards work. CCI raising the bar, with its performance every year.

6. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

CCIL lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. Manning the company are around 450 regular employees and 1639 contractual staff possessing a variety of skills, qualifications and competence. The Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. CCIL has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.



Rashtriya Ekta Diwas- 2021-22

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

Human Resource Development has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future.

CCI has grown immensely as a technology responsive company by designing SoP for Online Recruitment process using various electronic means, thus reaching out to the eligible candidates at a less cost, as compared to the physical recruitment process.

Human capital plays important role in a firm's ability to compete in the tough economic times. Considering the vital role, the HR professionals of CCI are always seeking new ways to tap this potential by taking up various welfare activities for wellbeing of CCI employees.

Likewise 2019-20, in 2021-22 as well COVID-19 pandemic has dramatically impacted the environmental, economic aspects of human life and traumatized people's psychological well-being. This ultimately affects the quality of life by disturbing people's living standards. During this tough time with a aim to build a healthy Workplace and to increase employee engagement, cohesiveness and overall productivity in 2021-22, the Human Resource Department of CCI celebrated Azadi ka Amrit Mahotsav along with Swachhta Pakhwada, Hindi Pakhwada, sports activities, Yoga Day, National Unity Day, Constitution Day, Women's Day, World Environment Day etc across all its units and Corporate Office by following all COVID Protocols.



International Yoga Day Celebration at Corporate Office



Celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav-2021-22



The best teams sponsored by CCI Bokajan conferred with first prize in 9th all Assam Kungfu championship



Bokajan Cement Factory won the cricket match trophy by beating ASEB Bokajan and ASEB Diphu 1



BIHU Celebration at Bokajan Unit



Foundation Day Celebration at Bokajan Unit



Innauguration of Lawn Tennis Court by Directors at Rajban Unit



Visit and Review of Tandur Unit by Independent Director



Tree Plantation by CMD



Tree Plantation by CVO

8. TRAINING AND DEVELOPMENT:

As part of Human Resource development, the company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year, various online trainings were imparted to the employees to enhance their skills. The company also nominates employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees are also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units are exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, CCIL also conducts competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

CCI has organized various online sessions/trainings for its employees. The prime focus of organising vigorous activities/sessions and various knowledge transfer interactions amongst the employees was to accomplish a



Safety Week Organized by Rajban Cement Factory



Awareness workshop on Consumer Rights & Duties was organised in Rajban Cement Factory

positive growth in the production output of the Units. In addition to the initiatives, CCIL continuously putting its efforts in creating pool of skilled manpower through engagement of apprentices in the Corporation in a band of 2.5% to 15% of total workforce.

9. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation also taken active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, it has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level.

At CCI, all our Corporate Social Responsibility initiatives focus on improving the quality of life of underprivileged communities, neighboring our business operations. Keeping up with the Sustainability Development Goals (SDGs), our interventions focus on Sanitation, Safe drinking water facility, education, improvement/renovation of public infrastructure etc.

11. WELFARE OF WOMEN:

The Company is fully sensitive and conscious of its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various Units/Offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these various clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for

welfare of women. In accordance with Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013, a committee has been established to inquire any issue related to Sexual Harassment of Women at workplace and meetings are being conducted for the same at regular interval of time. During 2021-22, the committee has not received any complaint under Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.



Womens Day Celebration at Rajban Unit

12. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Ltd., for its employees.

CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions leave, work assignments and welfare amenities etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management.

13. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th

November, 2008 No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009 The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating which is aligned to the organization's objectives.

As per guidelines issued vide OM W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, the 3rd PRC for Executives, Supervisors & Non-Supervisors is yet to be implemented.

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

1. During the year, Vigilance Department has created vigilance awareness amongst its employees at all levels in the Organisation

and promoted culture of honesty, efficiency and transparency in the working environment. Vigilance Awareness Week was celebrated from 26th October 2021 to 1st November, 2021, under guidance of CVC with the theme "Independent India @ 75: Self-Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर भारत". During the Week, Corporate Office and operating Units have organized seminars, debate, workshops, competition on essay writing/ slogan etc. Lectures were also organized on preventive vigilance with a view to eliminate the scope of indulging in malpractices.

2. Surprise and CTE type inspections were carried out at Units and at Corporate Office.
3. Annual Property Returns of employees have been scrutinized on quarterly basis being obtained from HR Department.
4. Quarterly Performance Reports, Annual Report and Quarterly Progress Reports are being sent to Central Vigilance Commission (CVC) periodically.

18. E-PROCUREMENT/INTEGRITY PACT

The e-procurement facility has been in place in the organization. M/s. Antares System Pvt. Ltd., Bangalore is the service provider for e-procurement portal. Tenders above Rs. 2.0 (Two) Lakhs are being invited through e-tender, through their portal.

The Integrity Pact has been implemented. The IEM has been appointed to oversee the implementation of Integrity Pact, for all tenders above Rs. 10.0 (Ten) Lakhs.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance The company has two types of internal audit system mainly :-

- Internal Audit by Independent Chartered Accountant firms

- In house audit.

Outside Internal auditors are appointed on the basis of Open Tender after duly approved by Audit Committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated and management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

20. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2021-22.

21. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

23. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to

appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

24. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

25. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted four Board Meetings during the financial year 2021-22.

26. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

27. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and

that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

28. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

29. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2021-22

30. DIRECTORS

The following directors were appointed/ ceased during the year 2021-22:

- Shri Dharendra Singh Rana, CMD, EPIL joined the Board of CCI as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.05.2021
- Smt. Nidhi Chhibber, Additional Secretary, Ministry of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 15.06.2021.
- Shri R. P. Singh, joined the Board as Director (Finance) w.e.f. 16.06.2021.
- Shri Sanjay Banga joined the Board as Chairman & Managing Director w.e.f. 12.10.2021.
- Shri B. P. Satapathy, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 02.11.2021.
- Dr. Ravindra Shivshankar Arali, joined the Board as Non-official Independent Director w.e.f. 02.11.2021.

- Dr. Manju Baghel, joined the Board as Non-official Independent Director w.e.f. 02.11.2021.
- Shri B.V.N Prasad, ceased to be Chairman & Managing Director on the Board of the Company w.e.f. 30.04.2021. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Smt. Sukriti Likhi, ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) on the Board of the Company w.e.f. 15.06.2021. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.
- Shri Dharendra Singh Rana ceased to be Chairman & Managing Director on the Board of the Company w.e.f. 11.10.2021 (Afternoon). The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Smt. Alka Tewari, ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) on the Board of the Company w.e.f. 02.11.2021. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.

31. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

MHI vide order No. 1(4)/2013-PE-XII/CPSE-III dated 2.11.2021 has appointed Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel as Non-official Independent Directors on the Board of CCI for a period of three years or until further orders. Accordingly, both Independent Directors have given Declaration of Independence under the provisions of Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

32. DIGITALIZATION, LINKS TO COMPANY WEBSITE, INTRANET, EMPS, VIDEO CONFERENCING, BILL TRACKING, E-OFFICE ETC.

Digitalization at CCI

In line with the "Digital India" initiative of the Government of India and to enhance

transparency, improve efficiency of the Company's operations, several key initiatives have been implemented in the last few years which include e-Procurement for Works, Goods and Services, e-Office, Video Conferencing Solution, to name a few.

The company communicates with its shareholders through its Annual Report, General Meeting, Newspapers and disclosure through Website which can be found at CCI's official website: <https://www.ccilttd.in>

Information and latest updates and announcements made by the company can be accessed at Company's Website <https://www.ccilttd.in> including the Company profile / Organizational History of CCI, Vision & Mission, Annual Reports, Messages from Management, latest Tenders, Photo Gallery, Plants/CCI Offices, HRM /HRD etc.

Intranet Portal (Private Website)

CCI has an Intranet Portal which serves as an internal platform for Employees to share information, communicate, and collaborate on documents, plans and tasks. Latest Circulars, Department-wise Information, SoPs, Current Date Production Report, Unit-wise Daily Production Reports, Monthly Unit-wise Performance Report and yearly Reports are being uploaded on the portal.

EPMS (Employee Performance Management System)

The Employee Performance Management System includes multiple components that are essential to creating an engaging and productive work environment. CCI has an online Appraisal System which is an essential tool for maintaining Employee Appraisals in the company. It is made available on the Intranet Portal.

Video Conferencing

Video Conferencing is used in CCI for day to day functioning, monitoring of activities, Reviewing Performance of the Plants/Departments, Training to Employees etc. Video Conferencing has been crucial factor in boosting productivity, saving time, reducing travel expenses and promoting collaboration across CCI's Corporate Office and its units. The advantages of VC in CCI have been

harnessed to the full during the pandemic and work from home scenarios. CCI's Corporate Office and the Units were enabled and empowered throughout the lockdown period by maintaining constant communication with each other. All in-house activities/celebrations like Vigilance Week, Swachhata Pakhwada, National Voter's Day, Yoga Day, Oath taking ceremonies at Corporate Office and the Units, etc. have been conducted through VC.

Bill Tracking System for Vendor:

Endorsing the need of Digitization in the country and to ensure business continuity, CCI has an Online Bill Tracking System for tracking payments to help the vendors. Link for the same is provided on CCI's official website.

e-Office:

Implementation of e-Office at CCI has ensured a digital workplace solution for an efficient and open working environment by streamlining workflow for Corporate Office, the three Operating Units, Regional Offices and Non-operating Units. The e-office mainly caters to File Management, Leave Management, e-Tour, Employee Data, e-Circulars/Manuals etc. for the convenience of the Employees and Management.

Google Docs:

The use of Google Drive / Docs (Documents, Sheets, Presentations, Forms etc.) has been initiated at Corporate Office and Units, wherein content is created and collaborated on online Documents. The documents can be edited and securely shared in real time basis easily which saves Paper & Time.

33. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate

Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

34. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. The entire production of cement is being sold in the domestic market.

35. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Revised MoU guidelines for the year 2021-22 & onwards were issued by DPE vide their OM of even number dated 16.02.2021 and transition of offline MoU to dashboard based online system of MoU. Corporation has signed the MoU for FY 2021-22 on the online dashboard.

36. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. Mahalwala & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2021-22 and M/s. J S Sundaram & Co., M/s. Gupta Maskara & Associates, M/s. Raipelly Ramesh & Co., M/s. Manilal Shah & Co., M/s. Rajesh Vipin & Associates, M/s. Man Mohan Gupta & Co., M/s. Purthi & Co. and M/s. R Kumar Agrawal & Co. were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. HMVN & Associates, Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s. PKR & Associates LLP, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2021-22.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2022. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

- (i) Noted. The matter will be taken up with the appropriate authority (ii) The company received CAG report on February 04, 2022. Accordingly, the company could not hold its AGM within due date. The decision of Regional Director (Northern Region) is awaited (iii) The request to fill the requisite number of Independent Directors were forwarded to Administrative Ministry from time to time. The Ministry has appointed two Independent Directors on the Board of CCI in the month of November, 2021. Accordingly, now the Board of Directors of the company is duly constituted with proper balance of Executive, Non-Executive and Independent Directors.

37. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

Pursuant to the appointment of Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel as Non-official Independent Directors on the Board of CCI w.e.f. 02.11.2021, the Board in its 360th Meeting held on 29th November, 2021 has ratified the re-constitution of Audit Committee consisting of the following Directors:-

- a. Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman.
- b. Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member
- c. Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company

has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

38. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Ministry of

Heavy Industries, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, PESB, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s. Mahalwala & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

Date : 27.09.2022

Place: New Delhi

Particulars under following heads as required under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules 2014.

A. CONSERVATION OF ENERGY

ENERGY CONSERVATION STEPS TAKEN IN THE YEAR 2021-22

BOKAJAN:-

- (i) Bokajan unit have installed 22 nos. energy efficient motors at various locations of plant & mines (2 Hp to 220 Hp). This has reduced power consumption by nearly 10 units per MT of Cement.
- (ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy:-
For alternative sources of energy, a feasibility studies have been done to improve Solar power/Open Access power.
- (iii) The capital investment on energy conservation equipments:-
(a) APFC panel for power factor correction @ Rs. 11,60,000/- plus freight & GST extra.

- (b) Coal Mill Main motor 220 HP @ Rs. 27,30,000/- (including GST)

RAJBAN:-

- (i) The steps taken or impact on conservation of energy;
 - Replacement of motors with Old Standard motors with Energy Efficient motors.
 - Installation of 50 Nos. Solar Street Lights at Town ship, Mines area.
- (ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy;
 - 20.47 MT RDF (Refuse Derived Fuel) used in the furnace of coal mill and raw mill furnace.
- (iii) The capital investment on energy conservation equipment's: Rs. 9.3 lakhs

TANDUR:-

- (i) ENERGY CONSERVATION STEPS TAKEN IN THE YEAR 2021-22:
Replacement of VRM Fan GRR with new GRR

a) Power Saving by replacing DOL with VFD						
Sl. No.	Description	Rating in KW	Power		Units Saved	Units Saved
			With OLD GRR	With New GRR	KW/Hour	Tone of cement
1.	VRM Fan	3200	2800	2780	20	0.12
Total Saving					20	0.12
Plant Reliability got increased						

The capital investment on energy conservation equipments- 24 Lakhs.

B) TECHNOLOGY ABSORPTION: (In Operating Units)

Technology absorption- NIL

- (i) The efforts made towards technology absorption;- NIL
- (ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution;- NIL
- (iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)-

- (a) The details of technology imported;- NIL
- (b) The year of import;- N.A
- (c) Whether the technology been fully absorbed;- NIL
- (d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and;- N.A
- (iv) The expenditure incurred on Research and Development- NIL
- (A) Unit wise total energy consumption and energy consumption per unit of production:-

1) ELECTRICITY	BOKAJAN	RAJBAN	TANDUR
a) PURCHASED			
I) UNITS (KWH)	18415698.00	18609613	89253600.00
II) TOTAL AMOUNT (₹.in lakh)	1344.60	1197.81	4791.57
III) RATE PER UNIT (₹./kwh)	7.30	6.36	5.37
b) OWN GENERATION			
I- THROUGH DIESEL GENERATION			
I) UNITS(KWH)	0.00	8780	0.00
II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION IN LITRE	0.00	6306.11	0.00
III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL (KWH/ LITRE)	0.00	1.3923	0.00
IV) COST PER UNIT ₹./KWH	0.00	58.96	0.00
2) COAL			
QTY Consumed (MT)	27575.07	23037.00	153042.00
TOTAL COST (₹.in lakh)	1938.67	1822.23	9633.24
AVERAGE RATE (₹./MT)	7030.52	7910.00	6294.50
3) CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION			
I) ELECTRICITY (KWH/MT of packed cement incl. Township)	178.87	139.47	133.48
II) Booked Coal (% of clinker Production)	26.53	19.95	23.40
III) Coal (UHV) k.cal/kg of coal	4874.83	4969.00	4113.00

Production figures in 2021 -2022

	Clinker	Cement
BKO	100440	108270
RJO	115460	129520
TDO	653620	634180
TOTAL	869520	871970

(B) CCI as a Whole total energy consumption per unit of production-

1. ELECTRICITY	(2021-22) (Operating Units)	(2020-21) (Operating Units)
a) Purchased		
i) Units (in lakhs)	1262.79	1192.55
ii) Total amount (in lakhs)	7333.98	6527.39
iii) Rate per Unit	5.81	5.47
b) Own Generation		
i) Units (Kwh)	8780.00	10636.8
ii) Total Diesel Consumption in Litre	6306.11	7600.00
iii) Units/Litre Of Diesel Oil (Kwh/ Litre)	1.3923	1.40
iv) Cost per Unit (₹./ Kwh)	58.96	43.82
2. COAL		
i) Qty. Consumed (Tonne)	203654.07	192447
ii) Total Cost (₹. In Lakhs)	13394.14	11459.62
Average rate (₹./MT)	6576.91	5954.69
Consumption per Unit of Production		
i) Electricity (KWH/ tonne of packed Cement incl. Township)	140.01	136.60
ii) Booked coal (% of clinker production)	23.30	23.83
iii) Coal quality (UHV)(K.Cal / kg. of coal)	4314.67	4273.73

CSR ACTIVITIES

- 1 A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **"A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating"**.

CCI integrates and align its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into **all activities, processes, operations and transactions of CCI**.

2. The Composition of the CSR Committee.

The Corporate Social Responsibility Committee at the Board level consists of the following Directors (Committee re-constituted by the Board in its 360th Meeting held on 29th November, 2021):

- a) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman
- b) Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member

- c) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

3. Web-link address to the CSR Policy is: <http://ccilttd.in/pagaphpfid=194>

4. a) Average net profits of the company as per sub-section (5) of Section 135: (1047.84) Lakhs

- b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135- NIL

- c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years- NIL

- d) Amount required to be set off for the financial year, if any: NIL

- e) Total CSR obligation for the financial year- NIL

5. a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)- NIL

- b) Amount spent in Administrative Overheads- NIL

- c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- NA

- d) Total amount spent for the Financial Year- NIL

- e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial year in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135		
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section (6) of section 135		Name of the Fund	Amount	Date of transfer
	Amount	Date of transfer			
	-	-	-	-	-

(f) Excess amount for set-off, if any:

SI. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(I)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	-
(ii)	Total amount spent for the Financial year	-
(iii)	Excess amount spent for the Financial year	-
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial years, if any	-
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years	-

6. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S. No.	Preceding Financial Year (s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs) (Lacs)	Amount transferred to a Fundas specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section(5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	Deficiency, if any
1	2019-20	NIL	NIL	44.45	NIL NIL	NIL	NIL
2	2020-21	NIL	NIL	NIL	NIL NIL	NIL	NIL
3	2021-22	NIL	NIL	NIL	NIL NIL	NIL	NIL

7. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial year- No
8. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135- NA

Sd/-
(Ravindra Shivshankar Arali)
 Chairman (CSR Committee)
 DIN No. 07392367

Sd/-
(Sanjay Banga)
 Chairman & Managing Director
 DIN No. 09353339

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of

section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of Independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2022, the Board of CCI comprised of six (6) Directors out of which two are Functional Directors, two Part-time Official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry and two Non-official Independent Directors.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 25.02.2022)	No. of Directorship held as on 31.03.2022 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2022
Functional Directors:						
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD (w.e.f. 12.10.2021)	2	2	Yes	1	NIL
2.	Shri R.P. Singh, Director (Finance) (w.e.f. 16.06.2021)	4	4	Yes	2	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Smt. Nidhi Chhibber (w.e.f. 15.06.2021)	4	3	Yes	5	NIL
4.	Shri B. P. Satapathy (w.e.f. 02.11.2021)	2	1	Yes	1	NIL
Independent Directors:						
5.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali (w.e.f. 02.11.2021)	2	2	NA	1	2*
6.	Dr. Manju Baghel (w.e.f. 02.11.2021)	2	2	NA	1	NIL

*Designated Partner at following LLPs:

- Health Point Multispeciality Hospital LLP
- Synergy Multi Speciality Hospital LLP

The company held four Board Meetings i.e. on 27.08.2021, 07.09.2021, 29.11.2021, and 25.02.2022 during the year under report. The Board Meetings were conducted in accordance with the MCA notification Circular No. 08/2021, Letter No. F. No. 2/6/2020-CL-V dated 03.05.2021.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. The C&MD/Directors decides the date and place of Board/Committee meetings. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board / Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board Meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An Action Taken Report on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors are being paid sitting fees at the rate of Rs. 6000/- (Rs. Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof during the Financial Year 2021-22.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies/ Disclosures (2021-22)
Functional Directors:			
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD (w.e.f. 12.10.2021)	Functional Director	NIL
2.	Shri R.P. Singh, Director (Finance) (w.e.f. 16.06.2021)	Functional Director Limited	Engineering Projects (India) (EPIL)
Government Nominee Directors			
3.	Smt. Nidhi Chhibber (w.e.f. 15.06.2021)	Govt. Nominee Director	1. NEPA Ltd 2. Engineering Projects (India) Limited (EPIL) 3. Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. (REIL) 4. Tumakuru Machine Tool Park
4.	Shri B. P. Satapathy (w.e.f. 02.11.2021)	Govt. Nominee Director	NIL
Independent Directors:			
5.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali (w.e.f. 02.11.2021)	Independent Director	1. Health Point Multi speciality Hospital LLP 2. Synergy Multi Speciality Hospital LLP
6.	Dr. Manju Baghel (w.e.f. 02.11.2021)	Independent Director	NIL

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {{(official) and (non-official)}, as the case may be} by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2021-22.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

There was no Independent Director on the Board of CCI at the beginning of financial year 2021-22 until the month of October, 2021. However, pursuant to the appointment of Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel as Non-official Independent Directors on the Board of CCI w.e.f. 02.11.2021, the Board in its 360th Meeting held on 29th November, 2021 has re-constituted Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman
- 2) Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member
- 3) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2021-22, two Audit Committee Meetings were held on 26.11.2021 and 18.02.2022 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	2	2
2. Dr. Manju Baghel	2	2
3. Shri B.P. Satapathy	2	2

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

Pursuant to the appointment of Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel as Non-official Independent Directors on the Board of CCI w.e.f. 02.11.2021, the Board in its 360th Meeting held on 29th November, 2021 has re-constituted the Nomination and Remuneration Committee of the Board consisting of the following Directors:-

- 1) Dr. Manju Baghel, Independent Director as Chairperson
- 2) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director, as Member
- 3) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2021-22 are given below:-

(Rs. In Lakhs)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri B V N Prasad, Ex-C&MD Upto 30.04.2021	2.38	2.50	0.00	0.00	0.09	0.26	5.23
2.	Shri Sanjay Banga, C&MD (w.e.f. 12.10.2021)	14.24	2.05	0.00	0.00	0.09	1.58	17.96
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	13.89	2.28	0.00	0.00	0.13	1.67	17.96
	Total	30.51	6.83	0.00	0.00	0.31	3.50	41.15

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. Pursuant to the appointment of Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel as Non-official Independent Directors on the Board of CCI w.e.f. 02.11.2021, the Board in its 360th Meeting held on 29th November,

2021 had re-constituted the Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of the following Directors:-

- 1) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman
- 2) Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member
- 3) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	55th AGM	56th AGM	57th AGM
Date & Time	30th December, 2019 at 03.00 PM	4th March, 2021 at 12.00 PM	25th February, 2022 at 04:30 PM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi -110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi -110003
Special Resolution(s) passed	No	No	No

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the Accounting

Standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the Financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2022.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2021-22 and last three years.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.ccilttd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the Competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates, Practicing Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises and Management's reply forms part of the Annual Report for the financial year 2021-22 which is **Annexed** herewith.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-

(Sanjay Banga)

Date : 27.09.2022

Chairman & Managing Director

Place: New Delhi

DIN No. 09353339

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. An Overview

Cement demand picked over a low base of Financial year 20-21 which witnessed strict lockdowns due to Covid 19 induced lockdowns. However the country was again hit by second wave of pandemic in the first quarter of the financial year and created disruptions in the market with localised lockdowns and a dampened consumer sentiment. The industry which is energy intensive also witnessed increases in diesel and coal costs due to disruptions in international logistic and supply chains which were further compounded by the Russia-Ukraine conflict towards the end of the fiscal.

The year saw increased government spendings on infrastructure, continued strong demand from real estate sector, and rural and affordable housing sector. Higher fiscal deficit during FY 22 also increased the Government capacity for spending on infrastructure and development which in turn created demand for other sectors including cement. The accommodative monetary policy followed by RBI allowed the availability of easy credit terms for housing finance. A good monsoon with remunerative MSP/market prices saw increased higher spending on housing. However cement demand from industrial and commercial segments was relatively tempered. The total cement installed capacity is around 550 Million Tonnes per annum.

The successful implementation of the world's largest vaccination drive, pick up in government expenditure and better preparedness compared to the first wave limited the negative economic impact. However the overall Consumer Price Inflation reached 6% in Jan 22 and could remain elevated during FY 23 also. The country's Gross Domestic Produce (GDP) is likely to grow between 7.5-8% during FY23 also. The per capita cement consumption of India is still below the world average and hence though India is the second largest producer of cement, it offers significant headroom for growth.

2. Financial Review and Analysis

The net profit of the Corporation for the F/Y 2021-22 is Rs.40.20 crores as compared to the net profit of Rs. 13.15 crores for F/Y 2020-21. The cement production during the year stood at 8.72 lakhs MT against 8.93 lakhs MT for the previous Financial year.

3. Corporate Governance

CCI is committed to follow the highest standards of Corporate Governance and the Directors reaffirm their commitment to good corporate governance. During the year under review, the corporation was compliant with provisions related to Corporate Governance.

4. Government Initiatives

The Union Budget 22-23 saw a significant increased Capital expenditure thereby establishing government's sustained focus on infrastructure. The Pradhan Mantri Awas Yojna target of 8 million houses by 2023 will further increase cement demand. The historically low housing loan interest rates also augur well for the industry as they will spur the real estate sector. The e-commerce boom is also likely to spur the demand for warehouse space, data centre and will attract more investment as they now fall under infrastructure status.

The Production Linked Incentive (PLI) scheme covering 14 sectors launched in 2020 to boost domestic manufacturing is also attracting large investment. It is expected to attract manufacturing of \$ 500 billion worth goods in the next five years. The Government further launched a Gati Shakti (National Master Plan for Multi Modal Connectivity) Plan during FY 21-22. This is likely to accelerate development of seamless multi modal transport network and reduce infrastructure gaps. Overall while fundamentals of Indian economy are strong, regular monitoring of external developments which affect energy security and logistic supply chains shall have to be continuously monitored by both RBI and the Government.

The Government initiative of celebrating **Azadi Ka Amrit Mahotsava (AKAM)** celebrating the 75th Year of Indian Independence was also celebrated by CCI with gaiety and fervour across all units. The hoardings and other advertisement modes were also used to celebrate and communicate the AKAM sentiment.

5. Key Cost Components

Financial year 21-22 witnessed significant increases in cost of raw materials, power and fuel and logistics. The post Covid lockdown phase resulted in inflation which was both supply constraint and increased money flow driven across both developed and the developing world. The Russia Ukraine war has put further pressure on coal prices as Europe is also trying to restart the coal based thermal power plants.

The increases in fuel (diesel) prices has also resulted in increased cement transportation costs due to diesel escalation clauses. The raw material costs also increased as the metal prices also showed significant increases. However all out efforts are being put by CCI to reduce power consumption and we are happy to announce that Bokajan unit has achieved significant reduction in power consumption thereby making the unit operationally profitable also. It remains to be seen whether the cost increases can be passed on in the market.

6. Internal Control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

7. CSR Policy

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

8. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains challenging. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augur well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2022

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :		
i)	CIN:-	U74899DL1965GOI004322
ii)	Registration Date:-	18/01/1965
iii)	Name of the Company: -	CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
iv)	Category/ Sub-Category of the Company:-	MANUFACTURING SECTOR
v)	Address of the Registered office and contacts details:-	CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD NEW DELHI-110003
vi)	Whether listed company Yes / No:-	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-	N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SI. No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%
2	Clinker	2394	

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	Holding / Subsidiary / Associate	% of Shares held	Applicable Section
	NIL				

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF	0	0	0	0.00					
(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares	-	45,59,749	45,59,749	100%	-	45,59,749	45,59,749	100%	NIL
	-	35,54,325	35,54,325*	100%	-	35,54,325	35,54,325	100%	
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(f) Any Other	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
Sub- total(A)(1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%	0	81,14,074	81,14,074	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0.00					
e) Any other....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
Sub- total(A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A) (2)									
A. Public share holding									
1. Institutions									
(a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
(b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(c) Central Govt./State	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(d) Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(e) Insurance Companies	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(f) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
(g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0.00					
(h) Others (specify)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
Sub-total (B)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Non- Institutions									
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh		0	0	0	0	0	0	0	0

(*). Were to be redeemed from the proceeds of sale of the assets of CCI. Request has been sent to Ministry for appropriate action.

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
c) others (Specify)									
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

S. No.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NO CHANGE			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ Sweat equity etc.):				
	At the end of the year				

(iv) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc.):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

S. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.):				NIL
	At the End of the year				

5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrues but not due for payment

(₹ in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount		15090.07		15090.07
ii) Interest due but not paid		12385.27		12385.27
iii) Interest accrued but not due		NIL		NIL
Total (i+ii+iii)		27475.34		27475.34
Change in Indebtness during the financial year		NIL		NIL
• Addition				
• Reduction				
Net Change		NIL		NIL
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount		15090.07		15090.07
ii) Interest due but not paid		12385.27		12385.27
iii) Interest accrued but not due		NIL		NIL
Total (i+ii+iii)		27475.34		27475.34

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakh)

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount
		Shri B.V.N. Prasad (Ex-C&MD) (Up to 30.04.2021)	Shri. Sanjay Banga C&MD (w.e.f. 12.10.2021)	
1.	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	4.88	16.29	21.17
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income –tax Act, 1961	--	--	---
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	--	--	--
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL
4.	Commission			
	- As % of profit	NIL	NIL	NIL
	- Others, specify....			
5.	Others , please specify			
	(i) Contribution to PF	0.26	1.58	1.84
	(ii) Medical Reimbursement	0.09	0.09	0.18
	Total (A)	5.23	17.96	23.19
	Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other directors

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Dr. Ravindra Shivshankar Arali	Dr. Manju Baghel	-	
	1. Independent Directors	36,000	30,000	-	66,000
	• Fee for attending board committee meetings				
	• Commission				
	• Others, please specify				
	Total (1)	36,000	30,000	-	66,000
	2. Other Non-Executive Directors (BIFR Nominee)				
	• Fee for attending board committee meetings				
	• Commission				
	• Others, please specify				
	Total (2)	0.00	0.00	-	0.00
	Total (b)=(1+2)	36,000	30,000	-	66,000
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER / WTD

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	COMPANY SECRETARY	DIR (FIN)
		Shri Ajay Kumar Sharma	Shri R.P Singh
1.	Gross salary
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income – tax Act, 1961	16.17	-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-
		-	-
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission		
	- As % of profit	-	-
	- Others, specify	-	-
5.	Others, please specify	-	-
	(i) Contribution to PF	1.67	-
	(ii) Medical Reimbursement	0.13	-
	Total	17.96	-

7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	Section 96	Holding of AGM for the year 2019-20 & 2020-21 beyond due date.	--	MCA (ROC)	Application in e-form GNL-1 has been filed with MCA (ROC). Matter heard before RD (Northern Region). The decision is awaited.
Compounding	Section 441	Compounding fees have been paid.	Rs. 10,000 each year (2019-20 & 2020-21) total to Rs. 20,000	RD (NR)	Order of RD (NR) is awaited
A. DIRECTORS					
NIL					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
NIL					
Penalty					
Compounding					

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

Date : 27.09.2022

Place: New Delhi

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members,

Cement Corporation of India Limited

CORE -5, Scope Complex 7

Lodhi Road New Delhi-110003 IN

CIN: U74899DL1965GOI00432

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Cement Corporation Of India Limited, (herewith referred as 'the Company') for the year ended on 31st March, 2022 as stipulated in 'Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010' vide Notification No. 1 No. 18(8)/2005- GM originally issued on 22.06.2007 and revised guidelines vide office memorandum dated 14th May, 2010 by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Government of India and annexure mentioned there under (herein referred as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned

guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in abovementioned DPE guidelines except the following.

- a. The Company has not appointed any welfare officer at its Tander plant as per the requirement of Factory Act 1948;
- b. The Annual General Meeting of the company for the financial year ended 31st March, 2021 was held after the due date provided in the Companies Act, 2013 however, petition for compounding under section 441 and 96 of the Companies Act, 2013 has been filed ;
- c. The Board of Directors of the company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Director except Independent Directors till October, 2021.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

**For Amit Agrawal & Associates
(Companies Secretaries)**

Sd/-

**CS Amit Agrawal
(Proprietor)**

M. No. F5311, C.P. No. : 3647

UDIN: F005311D000915748

Place :Delhi

Date : 05.09.2022

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We report that:

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Cement Corporation Of India Limited (hereinafter referred as 'the Company') having its registered office at Core -5, Scope Complex 7, Lodhi Road, New Delhi-110003. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Company's Responsibilities

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the maintenance of secretarial record under the Companies Act, 2013 and compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards. Further the Company's management and the Board of Directors are also responsible for establishing and maintaining adequate systems and process, commensurate with the size and operations of the Company to identify, monitor and ensure compliances with the applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Auditor's Responsibilities Statement

Our responsibility is only to examine and verify those compliances on a test basis and express an opinion on these secretarial records based on our audit.

We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices,

we followed provide a reasonable basis for our opinion.

We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Limitations

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the Secretarial Auditing Standards as prescribed by Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Further, we conducted the secretarial audit by examining the secretarial records including minutes, documents, registers, other records and returns related to the applicable laws on the Company etc. received via electronic means. The management has confirmed that the records submitted to us are the true and correct. We have also relied upon representation given by the management of the Company for certain areas which otherwise requires physical verification.

Basis of Opinion

We have followed the audit practices, secretarial auditing standards and processes as were applicable and appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification in some cases was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We also believe that the audit evidence we

have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Report on Secretarial Records and Compliances thereof

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by **M/s. Cement Corporation of India Limited** for the financial year ended on **31st March, 2022** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India
- (iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:
 - a) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
 - b) Payment of Gratuity Act, 1972
 - c) Payment of Minimum Wages Act, 1948
 - d) The Maternity Benefit Act, 1961
 - e) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act), 2013
 - f) Payment of Bonus Act, 1965
 - g) Employees' State Insurance Act, 1948;
 - h) Indian Trust Act, 1882 created for PF purposes for its employees.
 - i) Environment (Protection) Act, 1986
 - j) Food Safety and Standard of India Act, 2011
 - k) The Factory Act, 1948
 - l) Compulsory Notification of Vacancy Act 1959
 - m) Payment of Wages Act
 - n) Workman's and Compensation Act
 - o) The Gratuity Act
 - p) Equal Remuneration Act
 - q) Industrial Dispute Act
 - r) Employment of Children Act
 - s) Indian Stamp Act
 - t) The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972

However, During the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company because of clause (I) no FDI and ECB has been taken by the Company since incorporation and for (II)&(III) clauses below the Company is unlisted Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

- I. Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulation made there under to the extent Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
- II. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act').
- III. The Listing Agreement with any Stock Exchange.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, standards etc. mentioned above subject to the following observation:

- a. The Company has not appointed any welfare officer at its Tander plant as per the requirement of Factory Act 1948;
- b. The Annual General Meeting of the company for the financial year ended 31st March, 2021 was held after the due date provided in the Companies Act, 2013 however, petition for compounding under section 441 and 96 of the Companies Act, 2013 has been filed ;

- b. The Board of Directors of the company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Director except Independent Directors.

We further report that:

As per the DPE Guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company does not have any Independent Directors on its Board till October, 2021 however, the Ministry of Heavy Industries had appointed two Independent Directors in the month of November, 2021.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period there were specific events / corporate actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. having a major bearing on the Company's affairs, in respect of which necessary filings through e-forms with normal/additional fees have been made with Ministry of Corporate Affairs (MCA).

**For Amit Agrawal & Associates
(Companies Secretaries)**

Sd/-

**CS Amit Agrawal
(Proprietor)**

**M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN:F005311D000915704**

**Place: Delhi
Date : 05.09.2022**

Particulars	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Statement of Profit & Loss												
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	44061	39255	25202	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286
"Other income including exceptional income/Expense"	3911	3762	3752	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893
Raw material consumed	5924	5058	4749	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969
Stores & packing material consumed	2136	1755	1488	1472	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703
Employees Remuneration & benefits	5591	5672	5490	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997
Interest on deposits from Stockists/Others	101	374	147	116	261	225	223	297	295	446	911	3683
Depreciation	974	913	765	635	603	665	790	636	906	811	744	774
Other manufacturing expenses	29226	27930	21410	22965	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340
Profit(+)/Loss(-)	4020	1315	-5095	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713
Balance Sheet												
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140
Reserves & Surplus	-78014	-82034	-83350	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)
Loans	15090	15090	15090	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172
Net Fixed Assets	13352	14127	12317	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224
Current Assets	35930	33977	28492	36856	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269
Current Liabilities and provisions	15894	18040	10564	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137
Capital W.I.P.	6123	5959	5809	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051
Other Assets (Includn DRE)	3577	2116	2248	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795
Capital Employed#	45442	40576	39765	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068
No. of employees	414	486	504	574	640	665	747	813	907	906	907	988
Net Worth	1144	-2980	-4229	859	364	-1382	-5593	-10807	-14260	-15808	-16524	-18536

* Includes Equity Shares of Rs.45,598 lakh and Redeemable Preference Share of Rs.35,543 lakh

Capital Employed is calculated by reducing Current Liability and Unamortised Expense from Total Assets

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
(REVISED)****To****The Members,****Cement Corporation of India Ltd New Delhi****Revised Report on the Financial Statements**

This audit report is in supersession of our earlier Audit Report dated 28th July 2022 on the accounts as at 31st March 2022 of the CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED has been revised to give effect to the half margins dated 05th August 2022 issued by the Indian Audit and Accounts department, office of the Principal Director of Audit (I&CA), New Delhi.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company") CIN No -U74899DL1965 GOI004322 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2022, and Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Tandur YRO, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Unit as at 31st March 2022, its profit and its loss, and its Cash Flows for the year then ended.

Basis for Qualified Opinion

- a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favor of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on 11-04- 2017, the cost of which is now transferred to "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 acres given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company, pending construction. [Refer Point No.04 of Note-34].
- b. No provision is made in respect of the liability arising out of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway 7, the alienation order of which is awaited. [Refer Point No.06 of Note 34].
- c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 34]
- d. The balance of certain Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No. 32 of Note 34].

- e. The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because recoverable value expected is normally more than the book value of the Assets.
- f. The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1,000/- each for a value of ₹355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re- issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note34].
- g. Out of the Total Inventory of ₹14,106.18 Lakh the inventory of non-operating units of ₹ 4,095.84 Lakh (around 29% of Total Inventory) had been carried forward in the books at same amounts from several past years. Having regard to nature of inventory items involved and comments of branch auditors on inventory in their respective audit reports, there may be considerable depletion in value of inventory the effect of which has not been quantified or provided for by the management in the financial statements.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following notes in the financial statements:

1. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8-8-96. Hon'ble BIFR, in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at 7 units. (See Note 34.09)
2. As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29-05-2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' has been sent to MHI for approval. As on date, the necessary approval from DHI is still awaited. Employee Benefits Expenses includes provision on this account.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information other than the financial statements and auditor's report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during our audit or otherwise appears to be materially

misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Other Matters

We did not audit the financial statements of 11 (eleven) branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements/ financial information include total assets of ₹418.02 crore as at 31st March 2022 and total revenues of ₹370.43 crore (Approx 81% of total Revenue) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

We have examined Company's few critical financial indicators viz. inventory holding ratio, current ratio, sales graph, drop in man power as stipulated in Standard on Auditing (SA) 570 (Revised) (Going Concern) and found that these showed a negative picture about the Company till FY 2019-20, but almost all financial indicators have showed a positive picture from the FY 2020-21 and as such we have nothing to report in the matter for the FY 2021-22.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
 - c) The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
 - d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and returns.
 - e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
 - g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
 - h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements—Refer Note No 32 to the financial statements.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There have not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under.

**For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N**

**Sd/-
CA Waqar Ul Haq (Partner)
M. No.: 073169**

**Place: New Delhi
Date: 26/08/2022**

UDIN: 22073169AQKHRT8402

Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2022]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

I. (a) In respect of its Property, Plant, Equipment and Intangible Assets:

- (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property plant & equipment except Akaltara Cement Factory unit (NOU) & Nayagaon Cement Factory unit (NOU) as mentioned in their branch audit report.
- (B) According to the information and explanation given to us the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.
- (b) As explained to us, property, plant & equipment have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner program of verification adopted by the management with the exception of Nayagaon Cement Factory Unit (NOU) and evidence of physical verification was not produced before Akaltara Branch auditor while it was stated to him that physical inspection has been done by the management as mentioned in the branch audit report which, in our opinion, provides for physical verification of all the property plant & equipment at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification and have been properly dealt with the books of accounts.
- (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except some of the units as mentioned in the branch audit reports. Following Title deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed. (Refer Point No.4 ,8 & 24 of Note 34) Detail given as under: -

Sr. No.	Description of Property	Gross Carrying Value	Held in name of	Whether Promoter, Director or their relative or employee	Period held- indicate Range where appropriate	Reason for not being held in the name of company
1.	Mandhar (1.06 Acres)	-	-	-	-	-
2.	Akaltara (495.75 Acres)	-	-	-	-	-
3.	Bhatinda (10.12 Acres)	-	-	-	-	-
4.	Nayagaon One Million Tonne Plant and Delhi Cement Grinding Unit (6.74 Acres)	-	-	-	-	-
5.	Nayagaon (0.146 Hectares)	-	-	-	-	-
6.	Head Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed (PPE retired from active use and held for disposal) as per note no 34.24 in the balance sheet is yet to be ascertain.

- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not revalued its property plant & equipment during the year.
- (e) There are no proceeding have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 (45 of 1988) and rules there under.

II. In respect of its inventory:

- (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and of stores, spare parts and raw materials except for Nayagaon Cement Factory unit as mentioned in branch audit report, were physically verified at the end of the year by the Management. In our Opinion the frequency of such verification is reasonable, procedure and coverage followed by the management were appropriate.
- (b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records to the company, the company has not availed any working capital limit hence reporting under this clause is not applicable.

III. According to the information & explanations given to us, the company has not made any investment in, provided any guarantee or security, or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties during the year and hence reporting under this clause (iii) of the order is not applicable.

IV. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities.

V. In our opinion and according to the information and explanation are given to us, the company has not accepted deposits or deemed to be deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.

VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained except for the units declared as sick by BIFR. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

VII. In respect of statutory dues:

- (a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, GST, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable

Nature of Statute	Nature of Dues	Amount (₹ in Lakh)
Central Sales Tax	Central Sales Tax	9.61
Corporation Tax	Entry Tax	14.14
Corporation Tax	NALA TAX	18.92
Corporation Tax	Royalty(and interest)	69.21
Dead Rent	Dead Rent(and interest)	43.01
ED gram Panchayat tax	Surcharge/Additional Tax	45.93
Income Tax	Interest on Late Payment of income tax	0.23
Local Sales Tax	Sales Tax	1595.35
Mining Dues	Mining Department	186.61
Professional Tax	Professional Tax and other misc.	0.006
Surcharge/Additional Tax	Surcharge/Additional Tax	13.26

- (b) According to the information and explanations given to us, the disputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears were outstanding as at 31 March, 2022 is given below:

Particulars	Nature of Dues	Forum where Pending	Amount ₹ in Lakh)
NALA TAX	NALA TAX	N.A.	51.13
Property Tax	Property Tax	N.A.	264.67
Service Tax	Service Tax	N.A.	2.29
Royalty	Royalty (with interest)	N.A.	535.08
Income Tax	Income Tax	High Court of Delhi	0.76
Property Tax	House & Fire Tax	High Court of Punjab and Haryana	215.55
Excise Duty	Excise Duty	Court of Respective State	184.24
Sales Tax	Sales Tax Dues	High Court Telangana	274.61
Service Tax	Service Tax	Appellate Tribunal	33.75
Gratuity	Gratuity	Deputy Chief Labour Commissioner	220.70
Sales Tax	Sales Tax	-	8.98

VIII. According to the information and explanation given to us, The company does not have transactions which are not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) accordingly clause (viii) of the order is not applicable.

- IX. a) According to the information and explanation given to us the company has defaulted in the repayment of principle amount of loans and interest thereon in respect of dues as per details given below-

Nature of Borrowing, including Debt Securities	Name of Lender	Amount not paid on due date	Whether Principal or Interest	No of Days Delay or Unpaid	Remarks if any
Interest Free Loan	Govt of India	150.90 Crore	Principal	From 2011	-
Non Plan Loan	Govt of India	123.85 Crore	Interest	From 2011	-

- b) The company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- c) The company has not taken any term loan during the year and there are no unutilized term loan at the beginning of the year hence reporting under this clause (ix)(c) of the order is not applicable.
- d) The company has not raised any short-term fund during the year, hence reporting under this clause (ix)(d) of the order is not applicable.
- e) The company did not have any subsidiary or associate or joint venture during the year and hence reporting under clause (ix)(e) of the order is not applicable.
- f) The company has not raised any loans during the year on the pledge of securities hence reporting under this clause (ix)(f) of the order is not applicable.
- X. (a) The company is not eligible to issue any securities (including debt instruments) and hence reporting under this clause (x)(a) of the order is not applicable.
- (b) The company is not eligible to make any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partially or optionally) and hence reporting under this clause (x)(b) of the order is not applicable.
- XI. (a) According to the information and explanation are given to us, no material fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit. Accordingly reporting under this clause (xi)(a) of the order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation are given to us, no report under subsection (12) of section 143 of the Companies Act has been filled in form ADT-4 as prescribed under rule 13 of companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the central government.
- (c) As represented to us by the management, there were no whistle blower complaints received by the company during the year.
- XII. In our opinion and according to the information and explanations are given to us, the company is not a Nidhi company. Accordingly, this clause (xii) of the Order is not applicable.
- XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.
- XIV. (a) In our opinion though the company is required to have an internal audit system under section 138 of the companies act 2013, the same have been established for the year which commensurate with size and nature of its business.
- (b) Due to the system in place we were able to consider the audit report of the internal auditors.
- XV. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them. Accordingly, provisions of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.
- XVI. (a) The Company is not required to be register under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly this clause (xvi) (a) of the order is not applicable.
- (b) The Company has not conducted any Non- Banking Financial or Housing Finance Activities without a valid certificate of Registration from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly this clause (xvi) (b) of the order is not applicable.
- (c) The company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the reserve bank of India Act 1934. Accordingly this clause (xvi) (c) of the order is not applicable.
- (d) According to the information and explanations provided to us during the audit, the company does not have any CIC, accordingly the requirement of this clause (xvi)(d) of the order is not applicable.

- XVII. The company has not incurred cash losses during the current financial year i.e. period covered during the audit as well as in the previous year.
- XVIII. During the year, there has been no resignation of the statutory auditors; accordingly clause (xviii) of the order is not applicable.
- XIX. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based of our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that the company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.
- We however state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.
- XX. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not taken any CSR activity during the financial year 2021-22. (Refer no 34.33)
- XXI. According to the information & explanation given to us and on the basis of branch auditors reports except information, qualifications or adverse remarks already included in the above clauses (I to XX) of the order, there are no other qualifications or adverse remarks by the respective branch auditors in the companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the units.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N

Sd/-
CA Waqar Ul Haq
Partner
M.No: 073169

Place: New Delhi
Date: 26/08/2022

UDIN: 22073169AQKHRT8402

Report on Internal Financial Controls over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD (“the Company”)** as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with the generally accepted accounting principles. A Company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements following generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with following authorization of management and directors of the corporation; and

3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N

Sd/-
CA Waqar Ul Haq Partner
M.No: 073169

Place: New Delhi
Date: 26/08/2022

UDIN: 22073169AQKHRT8402

**Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013
for the year ended 31st March 2022**

<p>1. Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p>	<p>Yes, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. We have not noticed any accounting transactions which have been processed outside the IT system.</p>
<p>2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).</p>	<p>During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the company's inability to repay the loan.</p>
<p>3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the causes of deviation.</p>	<p>The funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.</p>

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N

Sd/-
CA Waqar Ul Haq Partner
M.No: 073169

Place: New Delhi
Date: 26/08/2022

UDIN: 22073169AQKHRT8402

Balance Sheet as at March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As At March 31, 2022	As At March 31, 2021
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,140.74	81,140.74
(b) Reserves and Surplus	03	(78,013.76) 3,126.98	(82,033.82) (893.08)
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090.07	15,090.07
(b) Other Long Term Liabilities	05	24,883.90	24,441.87
(c) Long-Term Provisions	06	4,323.87	4,312.73
		44,297.84	43,844.67
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	07	-	-
(b) Trade Payables			
(i) Trade Payables-MSME	08	238.42	640.51
(ii) Trade Payables-Others	08	1,439.99	1,219.78
(c) Other Current Liabilities	09	6,905.21	8,955.17
(d) Short-Term Provisions	10	2,986.19	2,622.69
		11,569.81	13,438.15
Total		58,994.63	56,389.74
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) Property, Plant and Equipment	11A	13,351.33	14,125.80
(ii) Intangible Assets	11B	0.55	0.80
(iii) Capital Work-In-Progress	12	6,122.95	5,958.60
(iv) Intangible Assets under development	13	12.81	12.81
(b) Non-Current Investments	14	227.98	227.98
(c) Long-Term Loans and Advances	15	1,647.27	1,631.53
(d) Other Non-Current Assets	16	1,593.50	1,600.61
(e) Unamortised Expenses	17	1,982.76	2,086.52
		24,939.15	25,644.65
Current Assets			
(a) Current Investments	18	-	-
(b) Inventories	19	14,106.18	11,963.31
(c) Trade Receivables	20	483.98	542.01
(d) Cash and Cash Equivalents	21	14,120.87	13,585.85
(e) Short-Term Loans and Advances	22	3,553.88	3,381.97
(f) Other Current Assets	23	1,790.57	1,271.95
		34,055.48	30,745.09
Total		58,994.63	56,389.74

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For **Mahalwala & Co.**

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(CA Waqar Ul Haq)

Partner

Membership No.073169

UDIN: 22073169ANUREG1937

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Raj Pal Singh)

Director (Finance)

DIN : 08750557

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Arbind Upadhyay)

Sr. Manager (Finance)

Date: 28-07-2022

Place: New Delhi

Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Revenue			
I Revenue from Operations			
(a) Sale of Products (Includes clinker)		41,679.66	41,176.61
(b) Other Operating Revenues		207.62	282.51
Total from Operations		41,887.28	41,459.12
II Other Income	24	3,703.52	3,479.94
Total Income		45,590.80	44,939.06
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	25	5,924.15	5,057.89
(b) Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	26	(2,381.54)	1,922.00
(c) Employee Benefits Expense	27	5,591.16	5,671.85
(d) Finance Costs	29	-	-
(e) Depreciation and Amortisation Expense	30	973.69	913.04
(f) Other Expenses	28	31,463.28	30,058.72
Total Expenses		41,570.74	43,623.50
Profit / (Loss) before Exceptional Items		4,020.06	1,315.56
Exceptional Items Income / (Expense)	31A	-	-
Profit / (Loss) before Tax		4,020.06	1,315.56
Tax Expense on Continuing operations		-	-
Profit / (Loss) from Continuing operations		4,698.94	2,345.23
Profit / (Loss) from Discontinuing operations	31C	(678.88)	(1,029.67)
Tax expense of Discontinuing operations		-	-
Profit / (Loss) from Discontinuing operations (After Tax)		(678.88)	(1,029.67)
Profit / (Loss) for the year		4,020.06	1,315.56
Earnings per Equity Share (in ₹)			
(Par Value of ₹1000/- per Equity Share)			
Basic		88.09	28.77
Diluted		88.09	28.77

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34
The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

For **Mahalwala & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Waqar Ul Haq)
Partner
Membership No.073169
UDIN: 22073169ANUREG1937

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Raj Pal Singh)
Director (Finance)
DIN : 08750557

Date: 28-07-2022
Place: New Delhi

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Arbind Upadhyay)
Sr. Manager (Finance)

Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
A. Cash flow from Operating Activities:						
Net profit/(loss) before Tax	4,698.94	2,345.23	(678.88)	(1,029.67)	4,020.06	1,315.56
Adjusted for:						
Depreciation and amortisation expenses	888.40	1,555.16	85.43	85.98	973.83	1,641.14
Finance Cost	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Income	(2,652.19)	(2,740.18)	(269.85)	(122.10)	(2,922.04)	(2,862.28)
Profit on disposal of Fixed Assets	(11.32)	(1.14)	-	-	(11.32)	(1.14)
Profit on sale of Investment	-	-	-	-	-	-
Provisions no longer required written back	(755.53)	(570.71)	(14.63)	(45.81)	(770.16)	(616.52)
Provision for doubtful receivables	-	-	-	-	-	-
Unamortised Expenses written off	359.97	258.32	-	-	359.97	258.32
Exceptional (Income)/Expense	-	-	-	-	-	-
Operating profit before working capital changes	2,528.27	846.68	(877.93)	(1,111.60)	1,650.34	(264.92)
Changes in Working Capital:						
Increase / (Decrease) in Trade Payables	(156.03)	31.01	(25.86)	(128.99)	(181.89)	(97.98)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	(921.73)	3,362.68	83.98	(61.00)	(837.75)	3,301.68
Increase / (Decrease) in Provisions	255.99	249.53	118.66	(111.45)	374.65	138.08
Decrease / (Increase) in Trade Receivables	58.03	398.69	-	-	58.03	398.69
Decrease / (Increase) in Inventories	(2,142.87)	2,344.46	-	1.56	(2,142.87)	2,346.02
Decrease / (Increase) in Loans and Advances	24.27	(206.16)	(211.95)	(48.82)	(187.68)	(254.98)
Decrease / (Increase) in Other Assets	(213.58)	(64.27)	(201.66)	-	(415.24)	(64.27)
Unamortised Expenses incurred	(256.21)	(325.00)	-	-	(256.21)	(325.00)
Net cash from / (used in) Operating Activities	(823.86)	6,637.62	(1,114.76)	(1,460.30)	(1,938.62)	5,177.32
B. Cash flow from Investing Activities:						
Purchase of Fixed Assets	(149.24)	(3,360.67)	(50.99)	(89.91)	(200.23)	(3,450.58)
Interest and Other Income	2,555.93	2,764.74	269.85	122.10	2,825.78	2,886.84
Capital work-in-progress	(164.34)	(182.56)	-	19.91	(164.34)	(162.65)
Receipts on sale of Fixed Assets	12.44	1.43	-	-	12.44	1.43
Net cash from Investing Activities	2,254.79	(777.06)	218.86	52.10	2,473.65	(724.96)
C. Cash flow from Financing Activities:						
Proceeds from Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Proceeds from Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Funds transferred to other units	-	-	-	-	-	-
Grant received from Govt. of India	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Borrowing Cost paid	-	-	-	-	-	-
Fund transferred between units	(895.70)	(1,349.85)	895.70	1,349.85	-	-
Net cash from financing activities	(895.70)	(1,349.85)	895.70	1,349.85	-	-
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	535.23	4,510.71	(0.20)	(58.35)	535.03	4,452.36
Opening Cash and Cash Equivalents	13,578.19	9,067.49	7.65	66.00	13,585.84	9,133.49
Closing Cash and Cash Equivalents	14,113.42	13,578.20	7.45	7.65	14,120.87	13,585.85

(₹ in Lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Notes :						
1 Closing Cash and Cash Equivalents comprises:						
Cash	0.64	0.55	0.03	0.03	0.67	0.58
Cheques in hand	-	-	-	-	-	-
Balance with Banks:						
- On Current Accounts	793.41	755.51	7.42	7.62	800.83	763.13
- On Deposit Accounts	13,319.37	12,822.14	-	-	13,319.37	12,822.14
Total	14,113.42	13,578.20	7.45	7.65	14,120.87	13,585.85

- The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.
- Bank Deposits include deposits of ₹1963.42 lakh (Previous Year: ₹1021.46 lakh) whose maturity period is more than 12 months.
- Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.
- Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

For **Mahalwala & Co.**

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(CA Waqar Ul Haq)

Partner

Membership No.073169

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Raj Pal Singh)

Director (Finance)

DIN : 08750557

Date: 28-07-2022

Place: New Delhi

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Arbind Upadhyay)

Sr. Manager (Finance)

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above Cash Flow Statement of Cement Corporation Of India Limited derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31, 2022 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached

For Mahalwala & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

Sd/-

(CA Waqar Ul Haq)

Partner

Membership No.073169

UDIN: 22073169ANUREG1937

Date: 28-07-2022

Place: New Delhi

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis, in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013 except for the following items which are accounted for on cash basis.

- (i) Liquidated damages/penalties/claims, other than Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.
- (ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's operating cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of operations, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

01.02 Revenue Recognition

- (i) Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax.
- (ii) Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.

01.03 Land & Amortisation

- (i) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.

- (ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.04 Investments

- (i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- (ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.05 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use.

All other borrowing costs are charged to revenue.

01.06 Fixed Assets

- (i) Tangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable cost to bring the asset to its working condition for its intended use.
- (ii) Intangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

01.07 Depreciation / Amortisation

- (i) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on fixed assets is calculated on straight line basis based on the useful life of assets in accordance

with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of the assets as mentioned in (iv) below.

- (ii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.
- (iii) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- (iv) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.
- (v) Leasehold Land is amortised over the period of lease.
- (vi) Intangible assets are amortised on a straight line basis over their expected useful life as follows: Computer software is amortised over a period of five years.

01.08 Inventories

a) Valuation

- (i) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (ii) below, are stated at weighted average cost. The obsolete / unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- (ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.
- (iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- (iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is

valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles

Tools and tackles are written off over a period of three years.

01.09 Deferred Revenue Expenditure

- (i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- (ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- (iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years
- (iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- (v) In case there is no unutilized grant / subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service

or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.10 Prior Period / Extraordinary Adjustments

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹10,000/-. In case the amount is more than ₹10,000/-, the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its account under natural head of accounts of Current year / Prior period / Extraordinary Expenditure / Income.

01.11 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

01.12 Government Grants/ Subsidies

(i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of

incidental expenditure incurred on its acquisition/installation.

(ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.

(iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.

(iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

01.13 Claims of the Corporation

(i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.

(ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.14 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.15 Staff Benefits

(i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.

- (ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.
- (iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

01.16 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.17 Prepaid Expenses

Expenditure of ₹10,000/- or less, in each case, incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.18 Accounting for Bad & Doubtful Receivables/Loans/Advances etc

- (i) Provision is made for doubtful Receivables / Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- (ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.19 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

- (i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- (ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.

- (iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

- (iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.20 Classification of Expenditure

- (i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares, except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss.
- (ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.
- (iii) Salaries and Wages: Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.
- (iv) Other Sundry Expenses: Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.21 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.22 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	March 31, 2022	March 31, 2021
02 Share Capital		
Authorised		
50,00,000 (31 March 2021: 50,00,000) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share	50,000.00	50,000.00
40,00,000 (31 March 2021: 40,00,000) Preference Shares, ₹1000/- par value per share	40,000.00	40,000.00
Total	90,000.00	90,000.00
Issued, Subscribed and Paid-Up		
45,59,749 (31 March 2021: 45,59,749) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	45,597.49	45,597.49
35,54,325 (31 March 2021: 35,54,325) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	35,543.25	35,543.25
Total	81,140.74	81,140.74

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and Preference Shares having par value of ₹ 1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

Equity Shares	March 31, 2022		March 31, 2021	
	Number of Shares	Amount ₹ Lakh	Number of Shares	Amount ₹ Lakh
Balance as at the beginning of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	March 31, 2022		March 31, 2021	
	Number of Shares	Amount ₹ Lakh	Number of Shares	Amount ₹ Lakh
Balance as at the beginning of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

Name of the Shareholder	March 31, 2022		March 31, 2021	
	Number of Shares	% of Shareholding	Number of Shares	% of Shareholding
Equity Shares:				
Government of India	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	3,554,325	100%	3,554,325	100%

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

02.4 Details of shareholding of promoters in the Corporation:

Shares held by promoters at the end of the year	March 31, 2022			March 31, 2021		
	Number of Shares	% of Shares	% Change during the year	Number of Shares	% of Shares	% Change during the year
Equity Shares:						
Government of India	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:						
Government of India	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
03 Reserves & Surplus		
Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
Balance as at the beginning of the year	(82,033.82)	(83,349.38)
Add: Net Profit / (Loss) for the year	4,020.06	1,315.56
Balance as at the end of the year	(78,013.76)	(82,033.82)
04 Long Term Borrowings		
Unsecured:		
Govt. Loans	15,090.07	15,090.07
Total	15,090.07	15,090.07
05 Other Long Term Liabilities		
Trade Payable		
- MSMEs	105.08	90.07
- Others	2,993.69	2,950.47
Security & Earnest Money Received	3,015.40	2,756.03
Advance from Customers	36.32	35.01
GST/Sales Tax payable	80.16	73.85
Power dues payable	1,071.24	1,067.23
Royalty payable	65.30	65.30
Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan	12,385.27	12,385.27
Other Payables	5,131.44	5,018.64
Total	24,883.90	24,441.87

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
06 Long Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	2,150.59	2,197.01
- Earned Leave	1,401.19	1,415.02
Provision for Capital Work in Progress	10.57	10.57
Other Provisions	761.52	690.13
Total	4,323.87	4,312.73
07 Short Term Borrowings		
From Banks	-	-
Total	-	-
08 Trade Payables		
Trade Payables- MSMEs	238.42	640.51
Trade Payables- Others	1,439.99	1,219.78
Total	1,678.41	1,860.29
09 Other Current Liabilities		
Advance from customers	2,009.26	1,557.37
Security & Earnest Money Received	866.93	1,034.71
GST/Sales Tax Payable	1,745.84	1,461.99
Power Dues Payable	850.21	691.33
Dues to Employees	428.44	422.78
Royalty payable	201.81	208.56
Other Payables	802.72	3,578.43
Total	6,905.21	8,955.17
10 Short Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	335.21	665.18
- Earned Leave	198.12	360.91
Other Provisions	2,444.50	1,587.76
Bonus	8.36	8.84
Total	2,986.19	2,622.69

(₹ in Lakhs)

11A Property, Plant and Equipment										
Particular	Gross Block / Original Cost			Depreciation / Amortisation			Net Block			
	As at April 01, 2021 (a)	Addition/ Adjustments (b)	Deletion/ Adjustments (c)	As at March 31, 2022 (d)=(a)+(b)-(c)	As at April 01, 2021 (e)	Addition/ Adjustments (f)	Deletion/ Adjustments (g)	As at March 31, 2022 (h)=(e)+(f)-(g)	As at March 31, 2021 (i)=(d)-(h)	As at March 31, 2021 (j)=(a)-(e)
A) Works										
1 Land Freehold	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2 Land Leasehold	1,952.82	50.96	-	2,003.78	1,082.11	183.84	-	1,265.95	737.83	870.71
3 Roads & Culverts	903.79	-	-	903.79	690.39	39.37	-	729.76	174.03	213.40
4 Plant Buildings	8,086.61	-	-	8,086.61	7,667.92	8.09	-	7,676.01	410.60	418.69
5 Non-Plant Buildings	841.79	-	-	841.79	610.89	8.27	-	619.16	222.63	230.90
6 Water Supply, Drainage & Sewerage	1,081.03	-	-	1,081.03	944.89	2.44	-	947.33	133.70	136.14
7 Railway Siding	3,296.19	-	-	3,296.19	1,863.19	101.07	-	1,964.26	1,331.93	1,433.00
8 Electrical Installation	2,133.15	111.18	18.63	2,225.70	1,804.82	32.15	17.70	1,819.27	406.43	328.33
9 Plant & Machinery	48,760.25	10.49	1.37	48,769.37	40,499.97	533.56	1.30	41,032.23	7,737.14	8,260.28
10 Aerial Ropeway	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11 Railway Rolling Stock	423.65	-	-	423.65	406.45	-	-	406.45	17.20	17.20
12 Quarry Equipment	2,327.79	-	-	2,327.79	2,203.82	3.43	-	2,207.25	120.54	123.97
13 Vehicles	403.64	-	1.16	402.48	383.64	1.18	1.10	383.72	18.76	20.00
14 Office Equipments	510.99	12.47	1.34	522.12	468.59	15.59	1.27	482.91	39.21	42.40
15 Furniture & Fixture	266.82	4.20	0.14	270.88	254.69	3.75	0.14	258.30	12.58	12.13
16 Miscellaneous Equipments	1,009.13	7.67	-	1,016.80	830.06	18.77	-	848.83	167.97	179.07
17 Plant & Mach. costing upto ₹ 5000	61.23	2.63	-	63.86	61.23	2.63	-	63.86	-	-
Total Works	74,101.84	199.60	22.64	74,278.80	60,591.06	954.14	21.51	61,523.69	12,755.11	13,510.78
B) Township										
1 Land Freehold	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2 Land Leasehold	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3 Roads & Culverts	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4 Residential & welfare buildings	1,750.99	-	-	1,750.99	1,225.60	18.50	-	1,244.10	506.89	525.39
5 Water Supply, Drainage & Sewerage	185.27	0.08	-	185.35	154.16	0.85	-	155.01	30.34	31.11
6 Electrical Installation	41.33	-	-	41.33	40.27	0.06	-	40.33	1.00	1.06
7 Vehicles	119.82	-	-	119.82	115.07	-	-	115.07	4.75	4.75
8 Office Equipments	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9 Furniture & Fixture	18.54	-	-	18.54	17.26	-	-	17.26	1.28	1.28
10 Miscellaneous Equipments	19.57	0.56	-	20.13	18.29	0.03	-	18.32	1.81	1.28
Total Township	2,226.73	0.64	-	2,227.37	1,611.71	19.44	-	1,631.15	596.22	615.02
Total works & Township	76,328.57	200.24	22.64	76,506.17	62,202.77	973.58	21.51	63,154.84	13,351.33	14,125.80
Previous year	72,884.69	3,449.92	6.04	76,328.57	60,567.25	1,641.13	5.61	62,202.77	14,125.80	

11 B: Intangible Assets										
Particular	Gross Block / Original Cost			Depreciation / Amortisation			Net Block			
	As at April 01, 2021 (a)	Addition/ Adjustments (b)	Deletion/ Adjustments (c)	As at March 31, 2022 (d)=(a)+(b)-(c)	As at April 01, 2021 (e)	Addition/ Adjustments (f)	Deletion/ Adjustments (g)	As at March 31, 2022 (h)=(e)+(f)-(g)	As at March 31, 2021 (i)=(d)-(h)	As at March 31, 2021 (j)=(a)-(e)
1 Computer Software	0.81	-	-	0.81	0.01	0.25	-	0.26	0.55	0.80
Total	0.81	-	-	0.81	0.01	0.25	-	0.26	0.55	0.80
Previous year	-	0.81	-	0.81	-	0.01	-	0.01	0.80	

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at 31 March 2021	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2022
12 Capital Work-in-Progress				
Mechanical consultancy	131.37	-	-	131.37
Civil Engineering Works	2,016.78	0.40	-	2,017.18
Plant & Machinery including awaiting erection	3,939.04	135.98	40.44	4,034.58
Erection Expenses of Plant & Machinery	0.55	68.08	-	68.63
Incidental Expenditure Pending Allocation*	137.85	0.33	-	138.18
Capital Stores	8.82	-	-	8.82
Others	160.16	-	-	160.16
Sub Total	6,394.57	204.79	40.44	6,558.9
Provision	435.97	-	-	435.97
Total	5,958.60	204.79	40.44	6,122.95
* Incidental Expenditure Pending Allocation				
Employee Remuneration & Benefits				
Salaries, Wages & Allowances	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Power	0.49	-	-	0.54
Miscellaneous Expenses	0.76	-	-	0.76
Security Expenses	21.35	-	-	21.35
Depreciation	0.14	-	-	0.14
Total	22.74	-	-	22.79
Transferred	22.46	-	-	22.46
Addition during the year	-	-	-	-
Total	0.28	-	-	0.33
13 Intangible assets under development				
Software Development	14.91	-	-	14.91
Sub Total	14.91	-	-	14.91
Provision	2.10	-	-	2.10
Total	12.81	-	-	12.81

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Market Value as on 31-03-22	Book Value as on 31-03-22	Book Value as on 31-03-22	Market Value as on 31-03-21	Book Value as on 31-03-21	Book Value as on 31-03-21
14 Non Current Investments						
A Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted						
i) 31 Equity Shares of ₹ 10/- each of Andhra Cement Co. Ltd. Market Value ₹ 14.65 per share on NSE (Previous Year: ₹ 5.40 per Share)	*		*		*	*
ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. (1)Market Value @ ₹ 2151.35 per share on NSE (Previous Year: ₹ 1903.25 per Share)	6.02		0.01		5.33	0.01
Sub Total			0.01			0.01
B Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted						
i) 1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (2)			*			*
ii) 79 Equity Share of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.			0.01			0.01
iii) 40 Equity Share of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.			*			*
iv) 55,31,250 Equity Share of ₹ 10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 23,15,520 Bonus Shares		322.00			322.00	
Less: 16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares		94.04			94.04	
Balance held 39,20,840 Shares including 21,81,520 Bonus Shares			227.96			227.96
Sub Total			227.97			227.97
Total (A + B)			227.98			227.98
Aggregate of Quoted Investments						
Cost			0.02			0.02
Market Value	6.02				5.33	
Aggregate of Un-quoted Investments						
Cost			227.96			227.96
Total			227.98			227.98

(1) Converted from 28 Shares of ₹ 100 each. New Share Certificates awaited.

(2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.

* Amount is less than ₹ 0.01 lakh

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
15 Long-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	207.20	207.20
Doubtful	18.59	18.59
Less: Allowances for bad and doubtful advances	18.59	18.59
Sub Total	207.20	207.20
b) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	159.70	92.45
Doubtful	470.63	470.63
Less: Allowances for bad and doubtful advances	470.63	470.63
Sub Total	159.70	92.45
c) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	0.52	0.41
Unsecured, Considered Good	113.87	173.39
Doubtful	151.20	151.20
Less: Allowances for bad and doubtful advances	151.20	151.20
Sub Total	114.39	173.80
d) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	6.47	7.08
Doubtful	133.84	133.84
Less: Allowances for bad and doubtful advances	133.84	133.84
Sub Total	6.47	7.08
e) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	3.16	3.16
Unsecured, Considered Good	0.60	0.60
Doubtful	0.37	0.37
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.37	0.37
Sub Total	3.76	3.76
f) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	13.44	13.44
Doubtful	406.06	406.06
Less: Allowances for bad and doubtful advances	406.06	406.06
Sub Total	13.44	13.44
g) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	27.55	27.55
Doubtful	80.21	80.21
Less: Allowances for bad and doubtful advances	80.21	80.21
Sub Total	27.55	27.55

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
h) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	0.28	0.28
Unsecured, Considered Good	0.10	0.10
Doubtful	7.65	7.65
Less: Allowances for bad and doubtful advances	7.65	7.65
Sub Total	0.38	0.38
i) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	1,114.38	1,105.87
Doubtful	674.38	674.38
Less: Allowances for bad and doubtful advances	674.38	674.38
Sub Total	1,114.38	1,105.87
j) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	589.52	589.52
Less: Allowances for bad and doubtful advances	589.52	589.52
Sub Total	-	-
Total	1,647.27	1,631.53

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
16 Other Non-Current Assets		
Long- Term Trade Receivables:		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	-	-
Doubtful	1,514.53	1,514.54
Less: Allowances for doubtful receivables	1,514.53	1,514.54
Sub Total	-	-
Deposits: Central Excise	-	-
Secured, Considered Good	18.00	-
Unsecured, Considered Good	0.44	0.44
Doubtful	0.02	0.02
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.02	0.02
Sub Total	18.44	0.44
Deposits: Others	-	-
Secured, Considered Good	158.16	158.16
Unsecured, Considered Good	1,386.77	1,411.88
Doubtful	53.66	53.66
Less: Allowances for bad and doubtful advances	53.66	53.66
Sub Total	1,544.93	1,570.04
Interest accrued & due on Loans & Advances		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	30.13	30.13
Doubtful	-	-
Less: Allowances for doubtful receivables	-	-
Sub Total	30.13	30.13
Total	1,593.50	1,600.61
17 Unamortised Expenses		
Quarry Development Expenditure		
Opening for the year	2,086.52	2,019.84
Additions	256.21	325.00
	2,342.73	2,344.84
Less: Capitalised/Adjusted	359.97	258.32
Total	1,982.76	2,086.52
18 Current Investments		
Non Trade Investments	-	-
Total	-	-

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
19 Inventories (As verified, valued and certified by the Management)				
a) <i>Stores and Spares:</i>				
In stock	6,823.64		6,443.04	
In transit	15.71	6,839.35	71.12	6,514.16
b) <i>Work in Progress:</i>				
In stock	4,665.37		2,547.49	
In transit	-	4,665.37	-	2,547.49
c) <i>Finished Goods:</i>				
In stock	656.03		374.17	
In transit	2.72	658.75	102.55	476.72
d) <i>Raw Materials:</i>				
In stock	874.19		1,255.16	
In transit	-	874.19	-	1,255.16
e) <i>Loose Tools:</i>				
In stock	1.16		1.04	
In transit	-	1.16	-	1.04
f) <i>Packing Materials:</i>				
In stock	100.32		145.78	
In transit	-	100.32	-	145.78
g) <i>Coal:</i>				
In stock	711.46		849.01	
In transit	-	711.46	-	849.01
h) <i>Scrap:</i>				
In stock	266.07		184.44	
In transit	-	266.07	-	184.44
Sub total		14,116.67		11,973.80
Less: Provision for Unrealisable inventory		10.49		10.49
Total		14,106.18		11,963.31

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
20 Trade Receivables		
a) <i>Outstanding for a period exceeding six months</i>		
Secured, Considered Good	0.43	0.43
Unsecured, Considered Good	93.22	94.5
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	- 93.65	- 94.93
b) <i>Others</i>		
Secured, Considered Good	34.51	43.99
Unsecured, Considered Good	355.82	403.09
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	- 390.33	- 447.08
Total	483.98	542.01
21 Cash and Cash Equivalents		
Cash in hand	0.67	0.58
Cheques in hand	-	-
Balance with Banks:		
- In Current Account	800.83	763.13
- Fixed Deposits	9,671.31	10,250.20
- Fixed Deposits held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of Credit	3,648.06	2,571.94
Total	14,120.87	13,585.85

Note:

Bank Deposits include deposits of ₹ 1963.42 lakh (Previous Year: ₹ 1021.46 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
22 Short-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
b) Deposits: Central Excise		
Secured, Considered Good	-	18.00
Unsecured, Considered Good	17.80	17.80
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	17.80	35.80
c) Deposits: Others		
Secured, Considered Good	220.70	-
Unsecured, Considered Good	402.50	470.35
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	623.20	470.35
d) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	1,328.06	992.23
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	1,328.06	992.23
e) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	663.39	594.30
Unsecured, Considered Good	333.23	702.55
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	996.62	1,296.85
f) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	5.19	9.11
Unsecured, Considered Good	153.87	138.82
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	159.06	147.93
g) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	5.73	6.98
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	5.73	6.98

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
h) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
i) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	52.17	52.17
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	52.17	52.17
j) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	10.33	11.26
Unsecured, Considered Good	6.64	6.29
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	16.97	17.55
k) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	354.27	362.11
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	354.27	362.11
l) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
Total	3,553.88	3,381.97
23 Other Current Assets		
Interest Accrued on Term Deposits	310.35	406.60
Recoverable from outside parties	1,480.22	865.35
Total	1,790.57	1,271.95

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
24 Other Income				
Rent from Property		2,161.55		2,082.31
Interest on:				
- Fixed deposits with banks		591.02		608.75
- Others		40.56		50.27
Receipts from Township		44.27		47.97
Excess Provision written back		770.16		616.52
Miscellaneous Income		84.64		72.98
Profit on sale of discarded Assets		11.32		1.14
Total		3,703.52		3,479.94
25 Cost of Raw Materials Consumed				
Opening Balance		1,255.16		1,188.23
Acquisition during the year:				
Limestone Raising, Quarrying & Transportation (1)		4,178.84		3,155.91
Other Raw Materials Purchased		1,364.34	6,798.34	1,968.91
Less: Closing Stock			874.19	1,255.16
Raw Materials Consumed		5,924.15		5,057.89
(1) Limestone Raising, Quarrying & Transportation				
Limestone Raising & Payment to Contractors		1,154.13		872.76
Employees Remuneration & Benefits				
Salaries, Wages and Bonus		289.16		343.69
Gratuity paid		55.24		40.40
Benefits to Employees		0.05		0.14
Contribution to Provident Fund		23.63		24.26
Contribution to Pension Fund		4.44		4.97
Leave Encashment		32.16		16.45
Medical Expenses		4.79		3.24
Provision for Earned Leave		-	409.47	7.65
				440.80
Stores Consumed				
Gross Amount		306.78		205.48
Less: Amount included under Repairs		31.10	275.68	9.63
				195.85
Power		67.29		51.20
Fuel		93.97		77.83
Rates and Taxes		27.09		14.33
Payment to Contract Labour		487.26		342.72

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
Royalty and Cess	1,514.53		1,204.37	
Quarry Development Expenditure written off	359.97		258.32	
Travelling Expenses	0.98		0.18	
Insurance	0.67		0.48	
Other Expenses	12.91	2,564.67	12.46	1,961.89
Repairs				
- Machinery	13.05		3.02	
- Building	0.00		0.05	
- Others	18.05	31.10	6.55	9.62
Sub Total		4,435.05		3,480.92
Less: Quarry Dev. Exp.		256.21		325.00
Total		4,178.84		3,155.92

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
26 Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade				
Semi Finished Goods				
- Opening Stock	2,547.49		4,104.24	
- Closing Stock	4,665.37	(2,117.88)	2,547.49	1,556.75
Finished Goods				
- Opening Stock	374.17		659.28	
- Closing Stock	656.04	(281.87)	374.17	285.11
Finished Goods in transit				
- Opening Stock	102.55		1.57	
- Closing Stock	2.72	99.83	102.55	(100.98)
Scrap Stock				
- Opening Stock	184.44		365.56	
- Closing Stock	266.06	(81.62)	184.44	181.12
Total		(2,381.54)		1,922.00
27 Employee Benefits Expenses				
Salary, Wages and Bonus	4,016.66		4,172.08	
Gratuity Paid	580.86		470.82	
Benefits to Employees	4.31		26.09	
Leave Encashment	352.37		277.45	
Contribution to Provident Fund	278.72		295.62	
Contribution to Pension Fund	42.49		46.48	
Medical Expenses	190.64		164.37	
Provision for Earned Leave	8.63		67.23	
Provision for Gratuity	7.89		0.59	
Staff Welfare Expenses	108.59		151.12	
Sub Total		5,591.16		5,671.85
Less: Employee Benefits Expenses transferred to IEDC		-		-
Total		5,591.16		5,671.85

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
28 Other Expenses				
Power	7,327.51		6,545.50	
Coal	13,394.15		11,459.62	
Fuel Oil	5.18		0.17	
Rent	35.75		50.02	
Rates & Taxes	140.54		139.95	
Insurance	37.31	20,940.44	38.48	18,233.74
Repairs & Maintenance				
- Plant & Machinery	1,509.58		1,374.58	
- Buildings	89.25		112.66	
- Others	241.23	1,840.06	247.90	1,735.14
Other Production Expenses		412.66		486.21
Tools & Tackles Written off		0.68		0.52
Travelling Expenses		54.49		44.86
Selling Expenses				
- Freight on Cement	2,895.02		3,210.95	
- Handling Charges	192.16		188.23	
- Godown Charges	100.51		65.77	
- Sales Promotion & Publicity	76.75		33.33	
- Other Selling Expenses	27.20	3,291.64	28.54	3,526.82
Vehicle Running Expenses		18.27		15.24
Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	7.75		7.78	
- For Reimbursement of Expenses	1.34		1.16	
- In Other Capacity	2.25	11.34	2.31	11.25
Cost Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	1.01		1.06	
- For Reimbursement of Expenses	-	1.01	-	1.06
Subscription to CRI & Others		4.11		8.05
Communication Expenses		18.42		18.84
Printing & Stationery		21.04		21.44
Hire Charges for Data Processing		0.41		0.34
Legal & Professional Expenses		109.40		109.62
Security Expenses		747.93		739.65
Interest on deposits from Stockists/Others		100.51		374.01
Training of Workers & Supervisors		0.45		1.16
Miscellaneous Expenses (1)		273.90		263.86
Payment to Contract Labour		1,479.55		1,398.09
Expenses on closed project		22.50		22.46
Provision for doubtful receivables & advances		-		-
Prior period Expenses (Net) [Refer Note No.31B]		1.76		1,314.60
Corporate Social Responsibility		-		-
Consumption of Stores & Spare Parts:				

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
- Gross Amount	1,968.03		1,788.51	
- Less: Includes under Repair & Maintenance Packing Materials	1,263.03	705.00	1,184.96	603.55
		1,430.38		1,150.83
Sub Total		31,485.95		30,081.34
Less: Expenses transferred to IEDC A/c				
Power expenses		0.54		0.50
Security expenses		21.37		21.36
Miscellaneous expenses		0.76		0.76
Total		31,463.28		30,058.72
(1) Includes:				
- Director Sitting Fees		0.66		-
29 Finance Cost				
Other Borrowing Cost				
- Others		-		-
Total		-		-
30 Depreciation and Amortisation Expense				
Depreciation/ Amortisation		973.83		1,641.14
Less: Amount charged to Prior Period		-		727.96
Sub Total		973.83		913.18
Less: Depreciation transferred to IEDC		0.14		0.14
Total		973.69		913.04

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
31 Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years				
31A Exceptional Items				
Income:				
Waiver of Interest etc.		-		-
Sub total		-		-
Expenses:				
Interest etc.		-		-
Sub total		-		-
Net Exceptional Items Income/(Expenses)		-		-
31B Prior Period Items				
Income:				
Interest		-		-
Others	11.55	11.55	17.41	17.41
Total		11.56		17.41
Expenses:				
Repairs & Maintenance		-	0.95	
Rates & Taxes		-	5.24	
Interest		-	589.55	
Depreciation & Amortisation		-	727.96	
Others	13.31		8.31	
Total		13.31		1,332.01
Net Prior Period Income / (Expense)		(1.76)		(1,314.60)

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
A Revenue:						
Turnover (Net)	41,679.66	41,176.61	-	-	41,679.66	41,176.61
Other Operating Revenue	207.62	282.51	-	-	207.62	282.51
Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	2,381.54	(1,921.99)	-	-	2,381.54	(1,921.99)
Total	44,268.82	39,537.13	-	-	44,268.82	39,537.13
B Expenses:						
Operating Expenses	42,994.08	40,503.93	963.36	1,197.56	43,957.44	41,701.49
Total	42,994.08	40,503.93	963.36	1,197.56	43,957.44	41,701.49
C Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities	1,274.74	(966.80)	(963.36)	(1,197.56)	311.38	(2,164.36)
Interest Expenses	-	-	-	-	-	-
D Profit/(Loss) Before Tax	1,274.74	(966.80)	(963.36)	(1,197.56)	311.38	(2,164.36)
Income Tax	-	-	-	-	-	-
E Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax	1,274.74	(966.80)	(963.36)	(1,197.56)	311.38	(2,164.36)
Other Income	3,424.20	3,312.03	284.48	167.89	3,708.68	3,479.92
F Exceptional Items: Income/(Expenses)	-	-	-	-	-	-
G Net Profit / (Loss) from Operating Activities	4,698.94	2,345.23	(678.88)	(1,029.67)	4,020.06	1,315.56

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
32 Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)		
A) Contingent Liabilities		
(i) Claims against the company not acknowledged as debts		
a) Income Tax Demand	8.57	8.57
b) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	813.89	813.89
c) Bokajan Expansion Contract	12,060.00	12,060.00
d) Arbitration Matter	971.99	751.29
e) Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,151.50	1,151.50
f) Power wheeling charges etc. in respect of Units	30,856.14	24,214.52
g) Others- Miscellaneous Cases	6,264.81	6,473.15
(ii) Other money for which company is contingently liable	-	-
Sub Total	52,126.90	45,472.92
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for	53.14	0.94
Sub Total	53.14	0.94
Total (A+B)	52,180.04	45,473.86

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
33 Quantitative Details				
1 Actual Production				
Portland Cement				
- Ordinary	563,294.00	M Tonnes	632,595.00	M Tonnes
- Pozzolana	308,676.00	M Tonnes	260,790.00	M Tonnes
	871,970.00	M Tonnes	893,385.00	M Tonnes
2 Clinker (A pre cement stage material & not an additional product)				
- Own manufactured	869,520.00	M Tonnes	807,770.00	M Tonnes
- Purchased	-	M Tonnes	-	M Tonnes
	863,291.89	M Tonnes	896,465.62	M Tonnes
3 Cement Despatches				
	Quantity in	Value In	Quantity in	Value In
	M. Tonnes	₹ Lakh	M. Tonnes	₹ Lakh
4 Opening Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	4,223.71	139.63	9,786.18	334.06
- Cement PPC	4,429.14	152.75	1,947.29	92.72
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	1,470.80	52.39	4,207.55	205.24
- Cement PPC	876.00	29.40	-	-
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	1,447.30	50.37	30.00	1.58
- Cement PPC	1,632.50	52.19	-	-
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	4,888.25	-	6,253.44	27.26
- Cement PPC	3,015.50	-	3,015.50	-
Sub Total	21,983.20	476.73	25,239.96	660.86
b) Clinker (Own manufactured)	116,129.68	2,046.65	140,598.88	2,944.87
Clinker (Purchase)	-	-	0.80	0.04
Sub Total	116,129.68	2,046.65	140,599.68	2,944.91
5 Net Sales including self consumption/Transfer etc.				
i) Cement OPC	558,122.75	33,820.06	637,784.91	32,783.39
ii) Cement PPC	307,765.98	7,858.08	258,607.58	8,386.46
iii) Cement used for testing	0.06	-	0.04	-
iv) Cement shortage during transit	61.25	-	57.23	-
v) Self Consumption OPC	2.90	0.18	160.00	5.00
vi) Self Consumption PPC	24.00	1.34	32.00	1.76
	865,976.94	41,679.66	896,641.76	41,176.61
v) Clinker	-	-	-	-
6 Closing Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	11,264.73	368.82	4,223.71	139.63
- Cement PPC	6,066.23	188.75	4,429.14	152.75

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2022		Year ended March 31, 2021	
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	1,045.90	42.05	1,470.80	52.39
- Cement PPC	1,285.15	45.93	876.00	29.40
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	-	-	1,447.30	50.37
- Cement PPC	75.00	2.72	1,632.50	52.18
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	4,888.25	-	4,888.25	-
- Cement PPC	3,351.00	10.48	3,015.50	-
Sub Total	27,976.26	658.75	21,983.20	476.72
b) Clinker (Own manufactured)	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
Clinker (Purchase)	-	-	-	-
Sub Total	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
7 Others				
i) Clinker Transferred to /(from) other units	-	-	-	-
ii) Cement Sold as Scrap	-	-	-	-
iii) Clinker Sold as Scrap	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
8 Clinker used for Cement Grinding	811,313.00	25,567.58	832,240.00	25,445.01
9 Raw Materials Consumed				
i) Limestone	1,283,673.73	4,161.04	1,161,965.00	3,064.04
ii) Laterite	15,608.13	76.77	2,132.00	7.79
iii) Iron Ore	17,446.96	657.18	20,879.00	808.92
iv) Gypsum	21,629.00	613.02	23,563.00	549.40
v) Shale	27,372.27	73.61	43,899.75	110.99
vi) Fly Ash	47,345.00	315.18	44,042.00	399.09
vii) Clinker (Purchase)	-	-	0.80	0.04
viii) Burnt Clay	1,498.17	23.79	586.00	5.38
ix) Others	14,438.00	3.56	16,404.25	112.24
Total	-	5,924.15	-	5,057.89
10 Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:				
i) Raw Materials	-	-	-	-
ii) Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii) Capital Goods	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
11 Directly Imported and indigenously available Raw materials, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :				
Directly Imported	0.72%	57.21	0.72%	49.03
Indigenously Available	99.28%	7,834.77	99.28%	6,797.34
	100.00%	7,891.98	100.00%	6,846.37

34 Notes Forming Part of Financial Statements

34.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹ 1,04,614.75 lakh (Previous year ₹ 1,04,581.50 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award / decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

34.02 Under section 143(3), Income Tax Department, for the Assessment Years 2006-07 and 2007-08, assessed income of ₹88,500.88 lakh and ₹8,798.64 lakh respectively and adjusted the same with brought forward losses. As a result, the assessed losses of the company reduced to ₹97,299.52 lakh. The company had filed appeals and Appellate Authority had reverted back the case to Assessing Officer. Consequently, the Assessing officer recomputed the Total Income to ₹8,852.22 lakh due to the addition w.r.t disallowance of depreciation on Plant and Machinery of Non Operating Units. Hence, the assessed loss of the company now stands reduced by ₹53.58 lakh making the cumulative carried forward loss to ₹97,353.09 lakh. The company has filed an appeal against the disallowance of ₹53.58 lakh and the same is pending with Appellate Authorities.

34.03 The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore (Contractor) in the year 2010 for ₹18208 lakh. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. CCI also lodged counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work including Silchar for ₹ 93,013.28 lakh against the contractors claim of ₹12,060.00 lakh. Work Order issued to the party has been cancelled. As per term of contract, Arbitrator was appointed and the pleadings in the Arbitration are complete and the matter is listed for Final Arguments.

34.04 Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon),

495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagaon) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. MHI has given the direction for disinvestment of Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11-04-2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. MHI Vide letter in 2018 directed CCI to negotiate with SDMC for compensation in terms of money. The matter was also discussed in a meeting dated 16.05.2019 in NITI Ayog. Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railways sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI.

34.05 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03-12-2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

34.06 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration is not made in the accounts.

34.07 The shares of various Companies (Face Value of ₹ 37.79 lakh), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakh taken by him, have been taken

possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹ 2.80 lakh (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.

34.08 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakh excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner. However, the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.

34.09 A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25-04-1996. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 08-08-1996. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion / technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units.

- 34.10** (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
- (ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to ₹15,090.07 lakh (Previous year: ₹15,090.07 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03-05-2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹12,385.27

lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01-04-2011. The Company is in default in towards repayment to this extent. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.11 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chatisgarh	June 06, 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	August 14, 1996
iii)	Akaltara	Chatisgarh	December 09, 1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	June 30, 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	November 01, 1998
vi)	Adilabad	Telengana	November 05, 1998
vii) a)	Delhi Grinding Unit	Delhi	February 08, 1999
vii) b)	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 and sanctioned scheme circulated on 03-05-2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

34.12 The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report.

Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.

34.13 During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹ 35,543.25 lakh was issued on 22-03-2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet/ BIFR direction.

34.14 Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.

34.15 For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in

the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

34.16 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

34.17 As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29-05-2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' has been sent to MHI for approval. As on date, the necessary approval from DHI is still awaited. Employee Benefits Expenses includes provision on this account.

34.18 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance		Adjustment/Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Gratuity	2862.19	3261.99	457.89	400.38	81.50	0.58	2485.80	2862.19
Bonus	8.83	8.80	0.87	0.70	0.40	0.73	8.36	8.83
Capital work-in-progress	10.57	10.57	-	2.76	-	2.76	10.57	10.57
E.L. Liability	1775.93	1768.79	233.07	60.09	56.45	67.23	1599.31	1775.93
Others	2277.90	1747.20	256.33	386.50	1184.45	917.20	3206.02	2277.90

34.19 Details of interest due / paid to Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	343.50	730.58
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	378.42	367.39
3	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	13.41	15.80
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	378.42	367.39

34.20 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefits

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the statement of Profit and Loss and Balance Sheet are as under:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
a)	Current Service Cost	103.64	123.09	112.25	125.17	0.69	0.79
b)	Interest Cost	184.17	210.64	118.00	117.35	1.06	1.06
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	(38.13)	(245.94)	(101.23)	46.65	(2.51)	1.58
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	249.68	87.79	129.02	289.17	(0.76)	3.43

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
a)	Present value of obligation as at the end of the period	2372.45	2748.83	1584.56	1761.17	12.51	15.80
b)	Funded status/Difference	(2,372.45)	(2,748.83)	(1,584.56)	(1,761.17)	(12.51)	(15.80)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	(2,372.45)	(2,748.83)	(1,584.56)	(1,761.17)	(12.51)	(15.80)

C. Change in present value obligation

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88
c)	Current Service Cost	103.64	123.09	112.25	125.17	0.69	0.79
b)	Interest Cost	184.17	210.64	118.00	117.35	1.06	1.06
d)	Benefits Paid	(626.05)	(487.58)	(305.63)	(282.02)	(2.52)	(3.52)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	(38.13)	(245.94)	(101.23)	46.65	(2.51)	1.58
f)	Present value of obligation as at the end of the year	2372.45	2748.83	1584.56	1761.17	12.51	15.80

D. Amount for the current period

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
a)	Present value of obligation as at the end of the year	2372.45	2748.83	1584.56	1761.17	12.51	15.80
b)	Surplus/(Deficit)	(2,372.45)	(2,748.83)	(1,584.56)	(1,761.17)	(12.51)	(15.80)

E. Actuarial Assumptions

Sl.	Description	As at 31 March 2022	
i)	Retirement age	60 years	
ii)	Age	Withdrawal Rate	%age
		Upto 30 years	0%
		From 31 to 44 years	1%
		Above 44 years	1%
iii)	Discounting rate	7.11%	
iv)	Future salary increase	6.00%	
v)	Expected return on Plan Assets	Nil	

34.21 Ageing Schedule of Trade payables due for payment (Ref. Note No. 05 and 08 to Balance Sheet):

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
i	MSME					
	-Current Year	230.67	15.02	-	82.39	328.08
	-Previous Year	616.29	-	16.48	82.39	715.16
ii	Others					
	-Current Year	1,414.68	23.50	65.73	2,926.23	4,430.14
	-Previous Year	903.97	20.42	62.93	3,174.30	4,161.62
iii	Disputed dues - MSME					
	-Current Year	-	-	15.42	-	15.42
	-Previous Year	-	15.42	-	-	15.42
iv	Disputed dues - Others					
	-Current Year	-	-	0.01	3.53	3.54
	-Previous Year	5.09	-	0.01	3.53	8.63

34.22 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 16 to Balance Sheet):

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	(i) Undisputed Trade receivables - considered good						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
ii	(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) Disputed Trade Receivables - considered good						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iv	(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.23 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 20 to Balance Sheet):

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months- 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	(i) Undisputed Trade receivables - considered good						
	-Current Year	390.33	4.48	4.56	34.58	36.24	470.19
	-Previous Year	447.08	3.92	38.80	4.32	34.10	528.22
ii	(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) Disputed Trade Receivables- considered good						
	-Current Year	-	-	-	0.90	12.89	13.79
	-Previous Year	-	-	0.90	-	12.89	13.79
iv	(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.24 Title deeds of Immovable Property not held in name of the Corporation as on 31.03.2022:

(₹ in Lakhs)

S. No	Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter / director or employee of promoter / director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
i	PPE	Land Building :					
		Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI
ii	Investment property	Land Building					
iii	PPE retired from active use and held for disposal	Land Building					
iv	others						

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per note 34.04 (PPE retired from active use and held for disposal) is yet to be ascertain.

34.25 a) Ageing schedule of Capital-work-in progress as on 31.03.2022:

(₹ in Lakhs)

S. No	CWIP	Amount in CWIP for a period of				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	- Current Year					
	Projects in progress:					
i	Surveillance System	11.59	-	-	-	11.59
ii	Drinking Water Facility	4.64	-	-	-	4.64
iii	Circuit Breaker	5.90	-	-	-	5.90
iv	Railway Line	-	-	271.04	1,559.00	1,830.04
v	Bucket Elevator	-	-	-	323.14	323.14
vi	Storage Silo	-	4.20	-	-	4.20
vii	Polution control equipment	68.09	-	-	-	68.09
viii	Energy efficient motor and other's	38.80	-	-	-	38.80
ix	Transformer	55.53	-	-	-	55.53
x	Biometric machine	-	0.12	-	-	0.12
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	639.91	639.91
	-Previous Year					
	Projects in progress:					
i	Solar power	20.53	-	-	-	20.53
ii	Railway line	-	271.04	-	1,559.00	1,830.04
iii	Bucket Elevator	-	-	-	323.14	323.14
iv	Storage Silo	4.20	-	-	-	4.20
v	Biometric machine	0.12	-	-	-	0.12
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.66	3,140.66
ii	Plant and equipments	-	-	-	639.91	639.91

b) CWIP completion schedule for capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31.03.2022:

(₹ in Lakhs)

S. No	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.26 a) Ageing schedule of Intangible assets under development as on 31.03.2022:

(₹ in Lakhs)

S. No	Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	Projects in progress:					
i	Software Development					
	-Current Year	-	12.61	0.20	-	12.81
	-Previous Year	12.61	0.20	-	-	12.81
	Projects temporarily suspended:					
	-Current Year	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-

b) Completion schedule for Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, as on 31.03.2022:

(₹ in Lakhs)

S. No	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.27 Details of Benami Property Held viz. Year of acquisition, Amount, beneficiaries, Proceedings if any : Nil

34.28 Timely filing of statutory returns in case of borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. : Not Applicable

34.29 Details of declaration of wilful defaults of corporation by any bank or financial institution. : Not Applicable
Other Schedule III formats which are not applicable or Nil have not been disclosed separately.

34.30 Details and reasons of charges or satisfaction yet to be registered with registrar of companies beyond statutory period.

(₹ in Lakhs)

S. No	Charge Holder Name	Amount	Reason
i	SYNDICATE BANK	460.00	Vacation of charge pending.
ii	STATE BANK OF HYDERABAD	1,230.00	Vacation of charge pending.
iii	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.
iv	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.

34.31 Key Financial Ratios:

S. No	Financial Ratios	Numerator/ Denominator	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021	% Change	Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.
i	Current Ratio	Current Assets/Current Liabilities	2.94	2.29	28%	Reduction in Current liability and increase in Current Asset from previous year.
ii	Debt-Equity Ratio	Total Liabilities/ Shareholder's Equity	17.87	-64.14	-128%	Decrease in liability from previous year.
iii	Debt Service Coverage Ratio	Net Operating Income/Total Debt Service	-	-	-	-
iv	Return on Equity Ratio	Net income/ Shareholder's Equity	1.29	-1.47	188%	Profit in current year has increased by three times.
v	Inventory turnover ratio	COGS/ Average Inventory	3.19	3.32	-4%	-
vi	Trade Receivables turnover ratio	Net Cr. Sales/ Average Acs Receivable	0.74	0.57	30%	Reduction in trade receivable from previous years.
vii	Trade payables turnover ratio	Cr. Purchase/ Average Creditors	3.07	2.51	22%	-
viii	Net capital turnover ratio	Sales/Average Working Capital	2.09	2.34	-11%	-
ix	Net profit ratio	Net Profit/Net Sales	0.10	0.03	233%	Increase in Net profit from previous year due to reduction in expenses.
x	Return on Capital employed	PBIT/ Total Capital Employed	0.09	0.03	200%	Increase in PBIT from previous year due to to reduction in expenses.
xi	Return on investment	PBIT/ Total Investment	0.21	0.07	200%	Increase in PBIT from previous year due to reduction in expenses.

34.32 Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.33 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 28.

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31-03-2022	Year Ended 31-03-2021
i)	Average net profit of Corporation for last three years	(1,047.84)	(886.70)
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	NA	NA
iii)	Total amount spent during the year as given below	-	-
iv)	Amount unspent (ii - iii)	-	-

Details of the amount spent during the year

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above PM CARES and State Govt. Funds	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

34.34 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2022	Year Ended 31-03-2021
1.	Sh. B V N Prasad 1	Ex-Chairman & Managing Director	5.22	37.43
2.	Sh. D S Rana 2	Ex-Chairman & Managing Director	-	-
3.	Sh. S Banga 3	Chairman & Managing Director	17.96	-
4.	Sh. PM Chandraiah 4	Ex-Director (Finance)	-	-
5.	Sh. R P Singh 5	Director (Finance)	-	-
6.	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	17.96	16.91

¹Retired on 30th April, 2021

²Additional charge from 01st May, 2021 to 11th October 2021

³Appointed as C & MD from 12th October, 2021

⁴Additional charge from 30th March, 2021 to 30th April 2021

⁵Additional charge from 16th June, 2021

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1000 kms. per month on payment of ₹ 2000/- per month.

34.35 The earnings per share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the institute of Chartered Accounting of India is as under:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31-03-2022	Year Ended 31-03-2024
a)	Net Profit after tax for the year (₹ Lakh)	4,020.06	1,315.56
b)	Less: Extraordinary/Exceptional items (₹ Lakh)	-	-
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (₹ Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (₹ Lakh)	4,016.51	1,312.01
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	4,559,749	4,559,749
f)	Face Value of Equity Share (₹)	1,000.00	1,000.00
g)	Basic Earnings Per Share (₹)	88.09	28.77
h)	Diluted Earnings Per Share (₹)	88.09	28.77

34.36 Figures of the previous years have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For **Mahalwala & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No. 005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Waqar Ul Haq)
Partner
Membership No.073169
UDIN: 22073169ANUREG1937

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Raj Pal Singh)
Director (Finance)
DIN : 08750557

Date: 28-07-2022
Place: New Delhi

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Arbind Upadhyay)
Sr. Manager (Finance)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: ए.एम.जी-III/2(71)/वार्षिक
लेखे/ सीसीआई(2021-22)/2022-23/355-56
दिनांक: 14 SEP 2022

संख्या: ए.एम.जी-III/2(71)/वार्षिक

लेखे/ सीसीआई(2021-22)/2022-23/355-56

दिनांक: 14 SEP 2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, मोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

Further, Provisional Comment (PC) No. 1; regarding depiction of Cash & Cash Equivalents as Cash & Bank balances and PC No. 3; showing of Depreciation & Amortization expenses under Other expenses have not been processed further in view of Company's assurance to correct the same during printing of Annual Report for FY 2021-22. Accordingly, these deficiencies may be corrected at the time of printing of Annual Report and a copy of the same may be marked to this office for record.

भवदीया,

रुद्र. र. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि


COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 26 August 2022 which supersedes their earlier Audit Report dated 28 July 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the Statutory Auditor's report, to give effect to three of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**


(S. Ahladini Panda)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 14.09.2022

Our Employees-Our Greatest Asset (Write Up)

Employees are the heartbeat of the Company.

CCI has a dedicated team of more than 400 employees all over India, who toil round the clock for better productivity for the Company. CCI has adopted progressive policies in scientific planning, acquisition, utilization, training and motivation of the team. At CCI, everybody matters; every person adds something or the other to the Company's success.

Our Employees are the backbone of our organization. CCI believes that investment in people improves the performance of the organization and developing staff is one of the most effective motivator for retaining them.

CCI feels that there is always an economic link between employee satisfaction and company financial performance. A happy workplace culture does translate into better stock returns.

Happy employees = Happy Customers = Happy Stakeholders

HR policies at CCI revolve around the basic tenet of creating a highly motivated, vibrant & self-driven team. The Company cares for each and every employee and has in-built systems to recognise and reward them periodically. Since, CCI believes in equality, women employees are encouraged to apply and various workshops are organized for the employees including programme on gender sensitization and gender equality.

“Human Resources” are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of “Human Resources” is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resource is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between ‘Actual’ and ‘potential’ “Human resources” may also be branded as “Mother Resources” through the medium of which other scarce resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realization of the Potentialities of this “Mother Resources” is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management's positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed profession wise and age wise around 79 % of the total employees' strength of CCI represent technically and professionally qualified, degree/diploma holders. As such 54.1% of total strength of the organisation falls in the age group of 26-50 year.

Sl.No.	Particulars	Professional Profile	
		No. of Employees	
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2022
1	PHDs	1	1
2	Post Graduate Engineers	1	1
3	Graduate Engineers	79	73
4	MBA's	26	24
5	Professional Diploma Holders	15	15
6	Post Graduate	25	22
7	CA/ICWA/SAS/ACS	12	8
8	Engineer Diploma Holders	49	42
9	Graduate	65	52
10	ITI Certificate Holders	107	91
11	Others	106	85
	Total	486	414

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2022

Row Labels	<30	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-60	Grand Total	Average Age
EXE.	0	16	28	15	11	17	36	123	46
SUP.	4	21	9	5	1	9	53	102	48
WORKER	17	23	43	28	3	21	54	189	44
Grand Total	21	60	80	48	15	47	143	414	46

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				No. of appointments made during the calender year(Regular)									
	(AS ON 01/01/2022)				By Direct Recruitment			By Promotion			By Deputation / Absorption			
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	129	14	2	27	0	0	0	0	28	5	2	0	0	0
Group B-TOT	105	12	7	21	0	0	0	0	28	1	3	0	0	0
Group C-TOT	174	37	21	49	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
GROUP D-TOT	20	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	428	66	33	103	0	0	0	0	64	6	5	0	0	0

Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2022																		
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2022																		
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)						PROMOTION							
					(AS ON 01/01/2020)			NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)	
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	105	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	174	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	428	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)																		
ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)																		
iii) OH stands for orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)																		

Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhillai Steel Plant

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	(103)	(129)	(91)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	(109)	(166)	(105)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	1.08	1.04	0.87
Value of Production (in lakhs)	7234	5914	4808
Profit/(Loss) (in lakhs)	(184)	(668)	(1475)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.30	1.48	0.98
Value of Production (in lakhs)	7485	6514	6020
Profit/(Loss) (in lakhs)	(262)	(2342)	(776)

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			-
Value of Production (in lakhs)			-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(163)	(186)	(1061)

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	(81)	(92)	(555)

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	125	(64)	1500

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	(102)	(153)	(20)

The production remained suspended due to unit being unviable.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from April, 1984.

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	(245)	(240)	(196)

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987.

	2021-22	2020-21	2019-20
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	6.34	6.41	4.00
Value of Production (in lakhs)	29343	26827	14376
Profit/(Loss) (in lakhs)	5144	5355	-2316

58^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

	पृष्ठ सं.
अध्यक्ष का भाषण	106
निदेशक की रिपोर्ट	108
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	130
निगमित शासन पर रिपोर्ट	138
सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	139
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	143
वार्षिक लेखा 2021-22	156
कैश विवरणी	158
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	198
हमारे कर्मचारी-हमारी महानतम परिसंपत्तियां	200
यूनियों की प्रमुख विशेषताएं	202



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

58वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के निदेशक मंडल की ओर से, कंपनी की 58वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस बैठक में आपकी गरिमामयी उपस्थिति कंपनी के प्रयासों में आपके समर्थन और रुचि को रेखांकित करती है आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और लखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। आपकी अनुमति से, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपने उसे पढ़ लिया है।

कार्य-निष्पादन के मुख्य बिंदु

हालांकि मांग में सुधार के मजबूत संकेतों के साथ वित्तीय वर्ष 20-21 के निचले आधार पर सीमेंट की मांग बढ़ी तथापि महामारी की दूसरी लहर में लगाये गये स्थानीय लॉकडाउन और उदासीन उपभोक्ता भावना से बाजार अत्यधिक प्रभावित हुआ। इसके अलावा, ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि ने लागत पर और दबाव डाला।

आपकी कंपनी ने इन चुनौतियों में कमी लाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर काम किया। आपकी कंपनी ने 8.70 मीट्रिक टन क्लिंकर का उत्पादन किया जो गत पांच वर्षों में रिकार्ड उत्पादन है। हालांकि, कीमतों में सुधार करते हुए निचले स्तर में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया गया और इस प्रयास से 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक सुधार भी देखने को मिला। वार्षिक सीमेंट उत्पादन 8.66 लाख मीट्रिक टन की बिक्री के साथ 8.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। सीमेंट उत्पादन यह 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 13.15 करोड़ रुपये लाभ दर्ज करते हुए वर्ष 2021-22 में 40.20 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया।

गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास आईएसओ प्रमाणन के साथ-साथ तांदूर, राजबन और बोकाजन के तीनों प्रचालनरत संयंत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है। कंपनी में अपनी अच्छी तरह की सुसज्जित प्रयोगशालाओं में योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कच्चे माल के चरण से लेकर उत्पाद चरण तक नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण संबंधी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। कर्मचारियों में गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता जगाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास ने एक स्वस्थ कार्य संस्कृति स्थापित करने और उच्च लक्ष्य और उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधनों के विकास और उनके अभीष्ट उपयोग के लिए भरसक प्रयास किए हैं और इन पर विशेष जोर भी दिया है।

सीसीआई का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सामंजस्य और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ कार्यस्थल का निर्माण करना है। वर्ष 2021-22 में, सीसीआई ने अपनी सभी इकाइयों और निगमित कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा, खेलकूल गतिविधियों, योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, महिला दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आदि के साथ आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम मनाया।

निगम का सामाजिक दायित्व

बोर्ड द्वारा सीएसआर नीति अनुमोदित की गई थी एवं इस नीति को निगम में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है।

निगम का प्रशासन

कंपनी का विश्वास है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यापार व्यवहार निगम प्रशासन के मानदंडों का पालन करने की कुजी है। आपकी कंपनी इसे आगे बढ़ाने में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी द्वारा जारी निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य की किसी भी निविदा से उत्पन्न

होने वाली किसी भी शिकायत की निगरानी और समाधान के लिए एक स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (मॉनिटर) नियुक्त किया गया है। मैं आपका ध्यान निदेशकों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें निगम प्रशासन शीर्षक के अंतर्गत एक अलग अनुच्छेद शामिल किया गया है।

आभार

आपका अनवरत समर्थन और विश्वास हमें उत्कृष्टता के नए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपको और भारत सरकार को, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को हमारे सभी कार्यों में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं सीसीआई के उत्पादों का निरंतर समर्थन करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के अपने सम्मानित ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकों सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक और सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-ए एवं अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अपार समर्थन के लिए भी उनका आभार प्रकट करता और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और उन्नति में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण भाव के लिए उनकी हृदय से सराहना करता हूँ।

आप सभी का पुनः धन्यवाद, जय हिंद।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 सितंबर, 2022

हस्ता/—
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिन नं. 09353339

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

मुझे, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ आपकी कंपनी का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य—निष्पादन

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2021-22 की समाप्ति हेतु	वर्ष 2020-21 की समाप्ति हेतु
1	प्रचालन से निवल आय	418.87	414.59
2	अन्य आय	37.04	34.80
3	मूल्यहास एवं ब्याज से अन्य कुल आय	405.97	427.10
4	असाधारण आय / (व्यय)	0.00	0.00
5	पीबीडीआईटी	49.94	22.28
6	घटाएं: वित्तीय लागत	0.00	0.00
7	पीबीडीटी	49.94	22.28
8	घटाएं: मूल्यहास	9.74	9.13
9	कर पूर्व लाभ / (हानि)	40.20	13.15
10	घटाएं: आय कर	0.00	0.00
11	करोपरांत निवल लाभ	40.20	13.15

1.1 निगम ने गत वर्ष में 13.15 करोड़ रुपये की निवल लाभ के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 40.20 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की 8.93 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष इस वर्ष 8.72 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

2. लाभांश

कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. कारोबारी प्रचालन और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा

आपके निदेशक वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कारोबारी प्रचालन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं:-

क. प्रचालन

इकाइयों का कार्य—निष्पादन—

अलग-अलग और सामूहिक रूप से परिचालन इकाइयों की क्षमता का उपयोग सीमेंट (प्रतिशत), विलकर उत्पादन (मीट्रिक टन), सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन) इस प्रकार है —

	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21	21-22	20-21
सीमेंट का उपयोग (प्रतिशत)	54.70	52.53	52.20	59.68	63.40	64.14	60.30	61.78
विलकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	100440	93965	115460	102150	653620	611650	869520	807765
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	108270	104005	129520	148000	634180	641356	871970	893361
प्रेषण (मीट्रिक टन)	108354	104879	130029	147690	624909	643897	863292	896466

परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक), बेंगलूर को कार्य आदेश संख्या 46/10/6(6)/10-एमएमओ/196 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से बोकाजन इकाई को 1200 टीपीडी तक बढ़ाने के लिए 142.4 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यादेश प्रदान किया गया था। यह परियोजना लगभग 7 वर्षों तक लटकी रही। दिनांक 06.03.2019 को, सीसीआई ने मैसर्स प्रोमैक के साथ संविदा समाप्त कर दी।

मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष मामले पर मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक) को कार्य आदेश संख्या 47/10/6(7)/10-एमएमओ/206 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से सिलचर (असम) से 50 टीपीएच सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए 39.68 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यादेश जारी किया गया था जिसे 12 माह की अवधि में पूरा करना था।

संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन पर, सीसीआई द्वारा यह कार्य आदेश रद्द कर दिया गया था।

मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष मामले पर मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है।

ग) तांदूर में तकनीकी उन्नयन

जैसा कि स्वीकृत योजना में परिकल्पित है, तांदूर में

तकनीकी उन्नयन योजना को प्राथमिकता, व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

गैर-प्रचालनरत इकाइयों का भू डेटा:

सीसीआई की निजी भूमि, सरकारी पट्टा वाली भूमि, निजी पट्टा वाली भूमि और अन्य सहित गैर-प्रचालनरत इकाइयों की कुल भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार है:

क्र. सं.	इकाई	फ्री होल्ड	पट्टे पर			अन्य	कुल (एकड़)*
			सरकारी	निजी	कुल		
1	मंधार	656.06	290.54	0	290.54	39.34	985.94
2	नयागांव	563.85	789.28	00	789.28	65.25	1418.38
3	आदिलाबाद	772.85	36.33	1477.70	1514.03	0.00	2286.88
4	अकालतारा	187.62	385.50	460.75	846.25	459.88	1493.75
5	कुरकुंटा	465.48	360.55	0.00	360.55	105.70	931.73
6	चरखी दादरी	205.03	0	0	0	0	205.03
7	भटिंडा	20.24	0	0	0	10.12	30.36
	योग	2871.13	1862.2	1938.45	3800.65	680.29	7352.07

टिप्पणी: भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है क्योंकि यह स्थानीय भू-राजस्व कानूनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा भूमि अभिलेखों के अद्यतन और सीमांकन के अधीन है।

ख. लाभप्रदता

गत वर्ष के 13.15 करोड़ रुपए के निवल लाभ के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 40.20 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

ग. सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 20-21 के निम्न आधार पर सीमेंट की मांग बढ़ी, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश फिर से महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया और स्थानीय लॉकडाउन और उदासीन उपभोक्ता भावना के साथ बाजार में व्यवधान पैदा कर दिया। उद्योग, जिन्हें ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ने भी अंतरराष्ट्रीय रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण डीजल और कोयले की लागत में वृद्धि देखी है, जो कि वित्त वर्ष के अंत में रूस-यूक्रेन संघर्ष से और जटिल अवस्था में पहुंच गये।

इस वर्ष बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में वृद्धि देखी गई, रियल एस्टेट क्षेत्र और ग्रामीण और कृषि आधारित आवास क्षेत्र से मजबूत मांग जारी रही। वित्त वर्ष 22 के दौरान उच्च राजकोषीय घाटे ने भी बुनियादी ढांचे और विकास पर खर्च करने की सरकारी क्षमता में वृद्धि की जिससे सीमेंट सहित अन्य क्षेत्रों की मांग पैदा हुई। आरबीआई द्वारा अपनाई गई उदार मौद्रिक नीति ने आवास वित्त के लिए आसान ऋण शर्तों की उपलब्धता की अनुमति दी। लाभकारी एमएसपी/बाजार कीमतों के साथ अच्छे मानसून ने

आवास पर किये जाने वाले खर्च में वृद्धि देखी। हालाँकि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से सीमेंट की मांग अपेक्षाकृत संतुलित रही। कुल सीमेंट स्थापित क्षमता लगभग 550 मिलियन टन प्रति वर्ष रही।


विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और पहली लहर की तुलना में बेहतर तैयारियों ने नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को सीमित कर दिया। हालाँकि समग्र उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 22 जनवरी में 6 प्रतिशत तक पहुंच गई और वित्त वर्ष 23 के दौरान भी यह उच्च स्तर पर बनी रह सकती है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.5-8 प्रतिशत के बीच बढ़ने की संभावना है। भारत की प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत अभी भी विश्व औसत से कम है हालाँकि भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

घ. सीमेंट की बिक्री और क्षमता उपयोग


बेहतर क्लिन अपटाइम के साथ, सीसीआई ने 8.70 लाख मीट्रिक टन क्लिंकर का उत्पादन किया जो गत पांच वर्षों में सबसे अधिक था। हालाँकि, कीमतों में सुधार करके निचले स्तर में सुधार करने का प्रयास किया गया और औसत प्राप्ति में 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक सुधार हुआ। 8.66 लाख मीट्रिक टन की बिक्री के साथ वार्षिक सीमेंट उत्पादन 8.72 लाख मीट्रिक टन था। सीमेंट क्षमता प्राप्ति 60% थी। विगत तीन वर्षों के तिमाही क्लिंकर, सीमेंट

उत्पादन तथा सीमेंट बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं—


तिमाही क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन में)



तिमाही सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन में)



तिमाही में सीमेंट की बिक्री (मीट्रिक टन में)



उपरोक्त तालिका से यह पाया गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान सीमेंट उत्पादन और बिक्री दोनों की तुलना में थोड़ा कम था और इसलिए अंतिम आंकड़े भी लगभग 3% कम थे। सीमेंट निर्माण एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है और कोयले की उपलब्धता की कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया है। इसके अलावा यह संभावना नहीं है कि उद्योग विशेष रूप से दक्षिण भारत में जहां एक मिलियन टन सीसीआई सीमेंट संयंत्र स्थित है, अधिक क्षमता के कारण बाजार में कोयले और बिजली की उच्च कीमत के कारण लागत वृद्धि के पूर्ण प्रभाव को पारित करने में सक्षम होगा। हालांकि, यह जानकर खुशी हो रही है कि क्लिंकर स्टॉक की बेहतर वसूली और अभिवृद्धि के कारण सीसीआई का लाभ वित्त वर्ष 20-21 के दौरान 13.15 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 40.20 करोड़ रुपये हो गया।

ड. गुणवत्ता

सीसीआई की तीनों प्रचालनरत इकाइयों में गुणवत्ता पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। योग्य और

प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कंपनी की स्वयं की भली भांति उपकरणों से लैस प्रयोगशालाओं में कच्चे माल के चरण से उत्पाद चरण तक नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण गतिविधियां पूरी की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सीमेंट के नमूनोंका पूर्ण भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए एनटीएच, एनसीबी आदि जैसी प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

- तीन प्रचालनरत इकाइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। तांदूर इकाई एसए: 8000 प्रमाणित भी है।



गुलबर्गा में तांदूर यूनिट की डीलर मीट



बोकाजन में डीलर मीट

4. पूंजी संरचना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी 811.41 करोड़ रुपए थी; इसमें 455.98 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और 355.43 करोड़ रुपए के चुकता गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।

5. मानव संसाधन विभाग

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र सीमेंट विनिर्माण उपक्रम होने पर अत्यंत गर्व है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी ने विगत 50 वर्षों से बाजार में अपनी साख बनाई है, यह उत्पादों और ग्राहकों

की संतुष्टी दोनों मामलों में असंख्य प्रगतिशील संशोधनों को एकीकृत करके अपने विशाल स्वरूप में विकसित हुई है।

सीसीआई की तीनों परिचालन इकाइयों में गुणवत्ता पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्देश्यों और अपने मानव संसाधनों दोनों के संदर्भ में अद्वितीय संगठन है। सीसीआईएल सभी कर्मचारियों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और विकास करने के समान अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों के ईमानदार प्रयासों और काम के प्रति उनके समर्पण के कारण सीसीआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान कई सम्मान हासिल किए हैं। सीसीआई वर्ष दर वर्ष अपने कार्य-निष्पादन स्तर बढ़ाने में लगा हुआ है।

6. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध:

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं इसलिए सीसीआईएल मानव संसाधनों पर अत्यधिक महत्व देता है। कंपनी में ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास विभिन्न प्रकार के कौशल, योग्यताएं और क्षमताएँ हैं। निगम मानव संसाधन विकसित करने और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में उनके योगदान से जुड़े अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीसीआईएल मानव दक्षताओं के विकास और अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति अर्थात् अपने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

सीसीआईएल मानव दक्षताओं के विकास और अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति अर्थात् अपने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

निगम की सभी इकाइयों में पूरे वर्ष शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे। ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न मंचों पर उपयोगी विचार-विमर्श और बातचीत की जा रही है, जिसने निवारण को नियंत्रित करने, मतभेदों को दूर करने और औद्योगिक संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में कोई भी श्रम दिवस नष्ट नहीं हुआ है।



राष्ट्रीय एकता दिवस- 2021-22

7. मानव संसाधन विकास:

एक स्वस्थ कार्य संस्कृति स्थापित करने तथा उच्च लक्ष्य एवं उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधनों के विकास और अभीष्ट उपयोग की दिशा में प्रयास पर जोर दिया जा रहा है।

सीसीआई ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के लिए एसओपी डिजाइन करके एक प्रौद्योगिकी उत्तरदायी कंपनी के रूप में अत्यधिक विकास किया है, इस प्रकार निगम भौतिक भर्ती प्रक्रिया की तुलना में कम लागत पर पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंच बना रहा है।

कठिन आर्थिक हालात के दौरान प्रतिस्पर्धा करने की फर्म की क्षमता में मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सीसीआई के मानव संसाधन पेशेवर हमेशा सीसीआई कर्मचारियों की भलाई के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को अपनाकर इस क्षमता का उपयोग करने के नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं।

इसी तरह वर्ष 2019-20, 2021-22 में भी कोविड-19 महामारी ने मानव जीवन के पर्यावरणीय, आर्थिक पहलुओं को नाटकीय रूप से प्रभावित किया है और लोगों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को आघात पहुँचाया है। यह अंततः लोगों के जीवन स्तर को बिगाड़ कर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस कठिन समय के दौरान एक स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और 2021-22 में कर्मचारियों की व्यस्तता, सामंजस्य और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, सीसीआई के मानव संसाधन विभाग ने सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी सभी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा, खेल गतिविधियों, योग दिवस के साथ आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, महिला दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आदि बड़े धूमधाम से मनाया।



कॉर्पोरेट कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह



आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव-2021-22



सीसीआई बोकाजन द्वारा प्रायोजित सर्वश्रेष्ठ टीमों को सम्मानित किया गया 9वीं ऑल असम कुंगफू चैंपियनशिप में प्रथम पुरस्कार के साथ



बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री ने एसईबी बोकाजन और एसईबी दिफू 1 को हराकर क्रिकेट मैच की ट्रॉफी जीती



बोकाजन यूनिट में बिहू उत्सव



बोकाजन यूनिट में स्थापना दिवस समारोह



राजबन यूनिट में निदेशकों द्वारा लॉन टेनिस कोर्ट का उद्घाटन



स्वतंत्र निदेशक द्वारा तंदूर इकाई का दौरा और समीक्षा



सीएमडी द्वारा पौधारोपण

सीवीओ द्वारा पौधारोपण

8. प्रशिक्षण और विकास:

मानव संसाधन विकास के हिस्से के रूप में, कंपनी ने सभी स्तर के कर्मचारियों के कौशल विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए गए। कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित भी किया है। कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर काम करने के उनके कार्यात्मक क्षेत्रों में अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया जाता है।

सभी प्रचालनरत इकाइयों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की अवधारणा और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उपरोक्त के अलावा, सीसीआईएल प्रचालनरत इकाइयों में पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारियों की योग्यता मानचित्रण भी करता है ताकि कौशल अंतर को पाटा जा सके।

सीसीआई ने लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सत्र/प्रशिक्षण आयोजित किए। यहां तक कि छुट्टियों पर अपने कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की।



राजबन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा सुरक्षा सप्ताह का आयोजन



राजबन सीमेंट फैक्ट्री में आयोजित उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों पर जागरूकता कार्यशाला

विभागाध्यक्षों/कर्मचारियों/उद्योग विशेषज्ञों के प्रस्तुतिकरण इस अवधि के दौरान सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनीं। कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों/सत्रों और भिन्न-भिन्न ज्ञान के आदान प्रदानके लिए परिचर्चाका आयोजन का मुख्य ध्यान इकाइयों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हासिल करने पर केन्द्रित था। उपरोक्त पहलों के अलावा, सीसीआईएल कुल कार्यबल के 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बैंड में निगम में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करते हुए कुशल जनशक्ति समूह बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन:

निगम ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक होती हैं, निगम ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी की। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

10. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी ने अपने सीएसआर दर्शन के एक हिस्से के रूप में सदैव अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वका निर्वहन किया है जिससे व्यवसाय और समाज विकास के भागीदार बन सकें। अपने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप, कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा बनाई है और अपने संयंत्र स्तर पर विभिन्न पहलें की है।

सीसीआई में, हमारे सभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलें, वंचित समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमारे व्यवसाय संचालन करीब से जुड़े हैं। टिकाऊ विकास के लक्ष्य (एसडीजी) को ध्यान में रखते हुए, हमारे हस्तक्षेप स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सुधारधनवीकरण आदि पर ध्यान केंद्रित होते हैं।

11. महिला कल्याण:

कंपनी महिलाओं के कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूर्णतया संवेदनशील और जागरूक है। निगम की विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं।

महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सीसीआई की इकाइयों में लेडीज क्लब हैं जहाँ महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियाँ की जा रही हैं। इन विभिन्न क्लबों में कंप्यूटर साक्षरता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल आदि पर व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निगम समय-समय पर महिलाओं के कल्याण

के लिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए ढांचागत और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहाँ तक कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, ऐसे किसी भी मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है और इसके लिए नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, समिति को कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।



राजबन यूनिट में महिला दिवस समारोह

12. शिकायत निवारण तंत्र

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपने कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण के लिए प्रभावी आंतरिक तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है।

सीसीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली को अत्यंत प्रभावी ढंग से बनाए रखता है और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन मामलों, काम करने की स्थिति की छुट्टी, कार्य समनुदेश और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। अधिकांश शिकायतों का निवारण अनौपचारिक रूप से इकाइयों में विद्यमान माहौल की सहभागी प्रकृति को देखते हुए कर दिया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

13. पारिश्रमिक नीति

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं.1(6)2009-पीई-XII दिनांक 30 अप्रैल, द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। अंतिम वेतन संशोधन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08 दिनांक 26 नवंबर, 2008, सं. 2(70)/08-डीपीई

(डब्ल्यूसी)-जीएल-IV / 09 दिनांक 9 फरवरी, 2009 और संख्या 2(70) / 08-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल-IV / 09 दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के अनुसार किया गया था, जो दिनांक 01/01/2007 से प्रभावी हुआ था। पीआरपी कंपनी के कार्य-निष्पादन / लाभप्रदता के साथ-साथ व्यक्तिगत निष्पादन रेटिंग पर आधारित है जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप है।

दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02 / 0028 / 2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII / 17 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 01.01.2017 से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीसीआई के गैर संघीय पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन पर कार्यकारी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और गैर-पर्यवेक्षकों के लिए तीसरा पीआरसी अभी लागू नहीं किया गया है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी अनुबंध में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के भाग के रूप में किया जाता है।

16. कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिससे व्यवसाय और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाई है और विभिन्न पहलें आरंभ की हैं।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां।

1. वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने संगठन में सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा की है और काम के माहौल में

ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक "आजाद भारत के 75 वर्ष: आजादी का अमृत महोत्सव में सत्यनिष्ठा के साथ आत्म निर्भरता" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह में कारपोरेट कार्यालय और प्रचालनरत इकाइयों ने संगोष्ठियों, वाद-विवाद, कार्यशालाओं, निबंध लेखन/नारा आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। कंपनी में कदाचार खत्म करने की दृष्टि से निवारक सतर्कता पर व्याख्यान भी आयोजित किए गए।

2. इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में औचक और सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए।
3. मानव संसाधन विभाग से प्राप्त की जा रही कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति विवरणी की तिमाही आधार पर जांच की जा रही है।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को समय-समय पर तिमाही कार्य - निष्पादन रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है।

18. ई-खरीद / सत्यनिष्ठा अनुबंध

संगठन में ई-खरीद की सुविधा विद्यमान है। इस ई-खरीद पोर्टल के लिए मैसर्स अंटेयर्स सिस्टम प्रा. लिमिटेड, बंगलुरु की सेवाएं ली जा रही हैं। 2 (दो) लाख रुपये से अधिक राशि की सभी निविदाएं ई-निविदा, ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

सत्यनिष्ठा अनुबंध लागू किया गया है। 10.0 (दस) लाख रुपये से ऊपर की सभी निविदाओं में सत्यनिष्ठा अनुबंध के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आईईएम नियुक्त किया गया है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, और अच्छे कॉर्पोरेट के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है। कंपनी में मुख्य रूप से दो प्रकार की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है:-

- स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।

- आंतरिक लेखापरीक्षा।

बाहर के आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। समय-समय पर कंपनी की प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी के पास विपणन नियमावली, खरीद और कार्य नियमावली सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत नियमावली इत्यादि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आवृत करने के लिए प्रबंधन द्वारा जारी की गई विभिन्न संहिताओं, नियमावलियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं। प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय-समय पर अन्य सभी नियमावलियों का अद्यतन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

20. ऋण, गारंटी या निवेशों का ब्यौरा

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

21. लेखापरीक्षकों और प्रेक्टिस करनेवाले कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई योग्यताओं, छिपावों, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं या करारों का ब्यौरा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या करार नहीं किए गये थे।

23. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति:

सीसीआई केन्द्र सरकार का सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) है जहां निदेशकों की नियुक्ति, उनको देय पारिश्रमिक और

भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

24. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी के सार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

25. समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

27. निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्वारा अपने उत्तरदायित्व का कथन प्रस्तुत करता है:-

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकसम्त हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या नुकसान के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखलाभकारी कारबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किये थे; तथा

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालनकिये जानेवाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से

काम कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी द्वारा अपने कारोबारके सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखोंकी सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।

(घ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28. अनुशंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

कंपनीकी कोई अनुशंगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी नहीं है।

29. जमाएं

कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

30. निदेशक

निम्नलिखित निदेशकों को/की वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक नियुक्त किया गया/सेवा समाप्ति हुई:

- श्री धीरेन्द्र सिंह राणा, सीएमडी, ईपीआईएल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सीसीआई के बोर्ड में दिनांक 01.05.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्रीमती निधि छिबड़, अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में दिनांक 15.06.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री आर.पी. सिंह ने निदेशक (वित्त) के रूप में दिनांक 16.06.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री संजय बग्गा ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में बोर्ड में दिनांक 12.10.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री बी. पी. सत्पथी, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में दिनांक 02.11.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।

- डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली ने गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 02.11.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. मंजू बघेल ने गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 02.11.2021 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री बी.वी. एन. प्रसाद की दिनांक 30.04.2021 से कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।
- श्रीमती सुकृति लिखी दिनांक 15.06.2021 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।
- श्री धीरेन्द्र सिंह राणा की दिनांक 11.10.2021 (अपरान्ह) से कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।
- श्रीमती अल्का तिवारी की दिनांक 02.11.2021 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।

31. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश संख्या 1(4)/2013-पीई-गए /सीपीएसई-III दिनांक 2.11.2021 के अंतर्गत डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक सीसीआई के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्रता की घोषणा की है।

32. डिजिटलीकरण, कंपनी की वेबसाइट के लिंक, इंटरनेट, ईएमपीएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल ट्रेकिंग, ई-ऑफिस आदि।

सीसीआई में डिजिटलाइजेशन

भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" पहल के अनुरूप और पारदर्शिता बढ़ाने, कंपनी के संचालन की दक्षता में

सुधार करने के लिए, गत कुछ वर्षों में कई प्रमुख पहले लागू की गई हैं जिनमें कुछ में कार्यों, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए ई-खरीद, ई-ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान शामिल हैं।

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों और प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट के माध्यम से करती है जिसे सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट: <https://www.ccilttd.in> पर देखा जा सकता है।

कंपनी की प्रोफाइल/सीसीआई का संगठनात्मक इतिहास, दृष्टिकोण एवं मिशन, वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन के संदेश, नवीनतम निविदाएं, फोटो गैलरी, संयंत्र/सीसीआई कार्यालय, एचआरएम/एचआरडी आदि सहित कंपनी द्वारा की गई घोषणाओं को कंपनी की वेबसाइट <https://www.ccilttd.in> पर देखा जा सकता है।

इंटरनेट पोर्टल (निजी वेबसाइट)

सीसीआई में एक इंटरनेट पोर्टल विद्यमान है जो कर्मचारियों के लिए सूचनाओं को साझा करने, संवाद करने और दस्तावेजों, योजनाओं और कार्यों पर सहयोग करने के लिए आंतरिक मंच के रूप में कार्य करता है। पोर्टल पर नवीनतम परिपत्र, विभागवार सूचना, एसओपी, वर्तमान तिथि उत्पादन रिपोर्ट, इकाईवार दैनिक उत्पादन रिपोर्ट, मासिक इकाईवार प्रदर्शन रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट अपलोड की जा रही है।

ईपीएमएस (कर्मचारी प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली)

कर्मचारी कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में कई घटक सम्मिलित होते हैं जो आकर्षक और उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए नितांत आवश्यक हैं। सीसीआई में ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान है जो कंपनी में कर्मचारी मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण है। इसे इंटरनेट पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग सीसीआई में दिन-प्रतिदिन के कामकाज, गतिविधियों की निगरानी, संयंत्रों/विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि के लिए किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय और इसकी इकाइयां। सीसीआई में वीसी साधन का महामारी के दौरान और घर से काम करने के परिदृश्य में पूर्णतया उपयोग किया गया है। सीसीआई के कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों को एक दूसरे के साथ निरंतर संचार बनाए रखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान सक्षम और सशक्त बनाया गया। सतर्कता

सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, योग दिवस, कारपोरेट कार्यालय और इकाइयों में शपथ ग्रहण समारोह आदि जैसी सभी घरेलू गतिविधियां/समारोह वीसी के माध्यम से आयोजित किए गए हैं।

विक्रेता के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम:

देश में डिजिटलीकरण की आवश्यकता का समर्थन करने और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई में विक्रेताओं की मदद के लिए भुगतान पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन बिल ट्रेकिंग सिस्टम विद्यमान है। इसके लिए लिंक सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

ई-ऑफिस:

सीसीआई में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन ने कॉर्पोरेट कार्यालय, तीन प्रचालनरत इकाइयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और गैर-प्रचालनरत इकाइयों में कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करके कुशल और खुले कार्य वातावरण के लिए डिजिटल कार्यस्थल समाधान सुनिश्चित किया है। ई-ऑफिस मुख्य रूप से कर्मचारियों और प्रबंधन की सुविधा के लिए फाइल प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, ई-टूर, कर्मचारी डेटा, ई-परिपत्र/मैनुअल आदि की पूर्ति करता है।

गूगल दस्तावेज:

कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में गूगल ड्राइव/डॉक्स (दस्तावेज, पत्रक, प्रस्तुतियाँ, प्रपत्र आदि) का उपयोग शुरू किया गया है, जिसमें कंटेनट बनाया जाता है और ऑनलाइन दस्तावेजों के साथ मिला दिया जाता है। दस्तावेजों को वास्तविक समय के आधार पर आसानी से संपादित और सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकता है जो पेपर और समय की भी बचत करता है।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को सदैव अक्षरशः लागू करने का प्रयास किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर अधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

34. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

समय-समय पर विभिन्न पक्षकार हमसे निर्यात संबंधी पूछताछ करते रहे हैं। हमारे संयंत्रों के समुद्री बंदरगाहों से दूर के स्थानों पर होने के कारण, संयंत्रों से निकटवर्ती समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय माल भाड़ा अधिक पड़ता है। इसी कारण हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। निर्यात के मोर्चे पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि उचित अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाया जा सके। हालांकि सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

35. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वर्ष 2021-22 और उसके बाद के लिए संशोधित एमओयू दिशानिर्देश डीपीई द्वारा दिनांक 16.02.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन और ऑफलाइन एमओयू को डैशबोर्ड आधारित एमओयू की ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए जारी किए गए थे। निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

36. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2021-22 के लिए मैसस महलवाला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मैसर्स जे.एस. सुंदरम एंड कंपनी, मैसर्स गुप्ता मस्कारा एंड एसोसिएट्स, मैसर्स रैपल्ली रमेश एंड कंपनी, मैसर्स मणिलाल एंड कंपनी, मैसर्स राजेश विपिन एंड एसोसिएट्स, मैसर्स मन मोहन गुप्ता एंड कंपनी, मैसर्स पूर्ति एंड कंपनी एवं मैसर्स आर कुमार अग्रवाल एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं तत्संबंधी उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स को निगम का मुख्य लागत लेखापरीक्षक के अलावा राजबन इकाई का लागत लेखापरीक्षक, बोकाजन इकाईके लिए मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी एवं तांदूर इकाई के लिए मैसर्स पीकेआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी को वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के

प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनबंध के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:

- (i) नोट कर लिया गया है! मामले को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा (ii) कंपनी को 04 फरवरी, 2022 को सीएजी रिपोर्ट प्राप्त हुई। तदनुसार, कंपनी निर्धारित तिथि के भीतर अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं कर सकी। क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) का निर्णय अभी तक नहीं आया है (iii) स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या भरने का अनुरोध समय-समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने नवंबर, 2021 में सीसीआई के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। तदनुसार, अब कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कर लिया गया है।

37. लेखापरीक्षा समिति के गठन और निगरानी तंत्र के प्रावधान का स्पष्टीकरण

डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल की सीसीआई के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के रूप में दिनांक 02.11.2021 से नियुक्ति के अनुसरण में बोर्ड ने 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 360वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर बनी लेखापरीक्षा समिति के पुनर्गठन की संपुष्टि की है:-

- क. डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष।
- ख. डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- ग. श्री बी. पी. सतपथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी सीधी पहुंच प्रदान की है, जो कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अधीन कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की

रिपोर्टिंग पर सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccilttd.in पर भी उपलब्ध है

38. आभार

बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से आपके निगम को प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन और रेल मंत्रालय, पीईएसबी, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा दिये गये समर्थन और सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के

उत्पादों को निरंतर भारी समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी के निदेशक मैसर्स महलवाला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- II के आभारी हैं। निदेशकगण निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हस्ता/—

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

दिनांक : 27 सितंबर, 2022

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गत यथापेक्षित निम्नलिखित मदों का विवरण

क ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2021-22 में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

बोकाजन:-

(i) बोकाजन इकाई के संयंत्र एवं खदानों के विभिन्न स्थानों पर में 22 ऊर्जा दक्ष मोटरों (2 एचपी से 220 एचपी) स्थापित किए गये हैं। इससे सीमेंट की प्रति मीट्रिक टन बिजली की खपत में लगभग 10 यूनिट की कमी आई है।

(i) कंपनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम:-

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए, सौर ऊर्जा/ओपन एक्सेस पावर में सुधार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:-

(क) 11,60,000/- रुपये की दर से पावर फैक्टर करेक्शन के लिए एपीएफसी पैनल इस राशि में भाड़ा और जीएसटी शामिल नहीं है।

(ख) 27,30,000/- रुपये (जीएसटी सहित) की दर से कोल मिल मेन मोटर 220 एचपी

राजबन:-

(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव:

- पुराने मानक वाले मोटरों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष मोटरों का प्रतिस्थापन।
- टाउनशिप, खान क्षेत्र में 50 सौर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- कोल मिल की फर्नेस और रॉ मिल फर्नेस में एमटी आरडीएफ (रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल) का इस्तेमाल किया जाता है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश: 9.3 लाख रुपये।

तांदूर:-

(i) वर्ष 2021-22 में उठाए गए ऊर्जा संरक्षण कदम

वीआरएम फैन जीआरआर के स्थान पर नए जीआरआर प्रतिस्थापन।

क) डीओएल को वीएफडी से बदलकर बिजली की बचत						
क्र.सं.	विवरण	रेटिंग (किलोवाट में)	पावर		युनिट की बचत	युनिट की बचत
			पुराने जीआरआर के साथ	नये जीआरआर के साथ	किलोवाट/घंटा	सीमेंट की मात्रा (टन में)
1.	वीआरएम फैन	3200	2800	2780	20	0.12
			कुल बचत		20	0.12
संयंत्र की दीर्घकालीनता में बढ़ोतरी हुई।						

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश – 24 लाख रुपये।

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन: (प्रचालरत इकाईयों में)

प्रौद्योगिकी समावेशन – शून्य

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयासय- शून्य

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभय- शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गते तीन वर्षों के दौरान आयातित) –

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरणय- शून्य

(ख) आयात का वर्षय- लागू नहीं

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतया समावेशित हो गई हैय- शून्य

(घ) यदि पूर्णतया समावेशित नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र जहां समावेशन नहीं हो पाया है, और उसके कारणय औरय- लागू नहीं।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय- शून्य

(क) उत्पादन की प्रति इकाई इकाई-वार कुल ऊर्जा खपत और ऊर्जा खपत:-

1) विद्युत	बोकाजन	राजबन	तांदूर
क) खरीद			
I) यूनिट (किलोवाट)	18415698.00	18609613	89253600.00
II) कुल राशि (लाख रुपये में)	1344.60	1197.81	4791.57
III) दर प्रति यूनिट (रुपये/किलोवाट)	7.30	6.36	5.37
ख) स्वयं का उत्पादन			
I. डीजल के माध्यम से उत्पादन			
i) यूनिट (किलोवाट)	0.00	8780	0.00
ii) डीजल की कुल खपत (लीटर में)	0.00	6306.11	0.00
iii) डीजल ऑयल प्रति लीटर यूनिट (किलोवाट/लीटर)	0.00	1.3923	0.00
iv) प्रति यूनिट लागत (रुपये/किलोवाट)	0.00	58.96	0.00
2) कोयला			
खपत की मात्रा (मीट्रिक टन)	27575.07	23037.00	153042.00
कुल लागत (लाख रुपये में)	1938.67	1822.23	9633.24
औसत दर (रुपये/मीट्रिक टन)	7030.52	7910.00	6294.50
3) प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत			
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गये सीमेंट का प्रति टन किलोवाट)	178.87	139.47	133.48
ii) बुक किया गया कोयला (क्लिंकर उत्पादन का प्रतिशत)	26.53	19.95	23.40
iii) कोयला (यूएचवी) किलो सेल्सियस प्रति किलो कोयला	4874.83	4969.00	4113.00

उत्पादन के आंकड़े वर्ष 2021-22

	क्लिंकर	सीमेंट
बोकाजन	100440	108270
राजबन	115460	129520
तांदूर	653620	634180
योग	869520	871970

(ख) सीसीआई उत्पादन की प्रति यूनिट कुल ऊर्जा खपत के रूप में-

1. विद्युत	(2021-22) (प्रचालनरत इकाईयां)	(2020-21) (प्रचालनरत इकाईयां)
क) खरीद		
i) यूनिट (लाख रुपये में)	1262.79	1192.55
ii) कुल राशि (लाख रुपये में)	7333.98	6527.39
iii) दर प्रति यूनिट	5.81	5.47
ख) स्वयं का उत्पादन		
i) यूनिट (किलोवाट)	8780.00	10636.8
ii) डीजल की कुल खपत (लीटर में)	6306.11	7600.00
iii) डीजल ऑयल प्रति लीटर यूनिट (किलोवाट/लीटर)	1.3923	1.40
iv) प्रति यूनिट लागत (रुपये/किलोवाट)	58.96	43.82
2. कोयला		
i) खपत की मात्रा (टन)	203654.07	192447
ii) कुल लागत (लाख रुपये में)	13394.14	11459.62
औसत दर (रुपये/मीट्रिक टन)	6576.91	5954.69
प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत		
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गये सीमेंट का प्रति टन किलोवाट)	140.01	136.60
ii) बुक किया गया कोयला (क्लिंकर उत्पादन का प्रतिशत)	23.30	23.83
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) किलो सेल्सियस प्रति किलो कोयला	4314.67	4273.73

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

- 1 कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति के वेब-लैंक का संदर्भ शामिल है:

सीसीआई की सीएसआर और स्थिरता नीति की परिकल्पना "अधिमानत: परियोजना क्षेत्रों में जहां यह काम कर रहा है, समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता के रूप में की गई है।"

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियां और गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुझाई गई क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत करउनके अनुरूप बनाता है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को आत्मसात किया जाएगा और इसे सीसीआई की सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, प्रचालन और लेनदेन में लागू किया जाना चाहिए।

2. सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड स्तर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं (बोर्ड द्वारा 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 360वीं बैठक में पुनर्गठित समिति):

- क) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष

ख) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

ग) श्री बी. पी. सतपथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

3. सीएसआर नीति के वेब-लैंक पता <http://ccilttd.in/pagaphp?id=194> है।

4. क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: (1047.84) लाख रुपये

ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत – शून्य

ग) गत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष – शून्य

घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व – शून्य

5. क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजना से भिन्न दोनों) – शून्य

ख) प्रशासनिक उपरि खर्चों में खर्च की गई राशि – शून्य

ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – लागू नहीं

घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि – शून्य

ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि			
	धारा 135 की धारा (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
		-	-	-	-	-

(च) व्यतिरेक के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत -	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	-
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-
(iv)	गत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यतिरेक के लिए उपलब्ध राशि	-

6. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप्प के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली भोश राशि	अंतर यदि कोई हो
1	2019-20	शून्य	शून्य	44.45	शून्य	शून्य	शून्य
2	2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित या अर्जित की गई है— जी नहीं
- कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है— लागू नहीं

ह./—

(रवीन्द्र शिवशंकर अराली)

अध्यक्ष (सीएसआर समिति)

डिन नं. 07392667

ह./—

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

कारपोरेट शासन पर प्रतिवेदन

1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन:

कारपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन यह है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करता है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अपने घोषित विश्वास और दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई प्रथाएं सभी हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/विभाग और समाज बड़े पैमाने पर समाज पर आधारित हैं।

2. निदेशक मंडल:

i. बोर्ड का गठन:

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 से अन्यून और 12 से अनधिक होगी। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

ii. बोर्ड की संरचना:

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, सीसीआई के बोर्ड में छः (6) निदेशक शामिल थे, जिनमें से दो कार्यकारी निदेशक और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक एवं दो गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और संवर्ग, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक के साथ-साथ निदेशक और समिति (लेखा परीक्षा समिति) पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: निदेशकों के संवर्ग और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति के पद

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड बैठक की संख्या जिनमें उपस्थिति रही	वार्षिक आम बैठक (दिनांक 25.02.2022 को आयोजित) में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार धारित निदेशक पद की संख्या (सीसीआई सहित)	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समिति में
कार्यकारी निदेशक:						
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 12.10.2021 से)	2	2	हां	1	शून्य
2.	श्री आर. पी. सिंह निदेशक (वित्त) (दिनांक 16.06.2021 से)	4	4	हां	2	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशक:						
3.	श्रीमती निधि छिबड़ (दिनांक 15.06.2021 से)	4	3	हां	5	शून्य
4.	श्री बी. पी. सत्पथी (दिनांक 02.11.2021 से)	2	1	हां	1	शून्य
स्वतंत्र निदेशक:						
5.	डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली (दिनांक 02.11.2021 से)	2	2	लागू नहीं	1	2*
6.	डॉ. मंजू बघेल (दिनांक 02.11.2021 से)	2	2	लागू नहीं	1	शून्य

*निम्नलिखित एलएलपी में अभिहित भागीदार:

- हेल्थ प्वाइंट मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी
- सिनर्जी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान कंपनी में चार बोर्ड बैठकें अर्थात् दिनांक 27.08.2021, दिनांक 07.09.2021, दिनांक 29.11.2021 और दिनांक 25.02.2022 को आयोजित की गईं। बोर्ड की ये बैठकें एमसीए अधिसूचना परिपत्र संख्या 08/2021, पत्र संख्या एफ संख्या 2/6/2020-सीएल-वी दिनांक 03.05.2021 के अनुसार आयोजित की गई थी।

iii. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मर्दों का निर्धारण और चयन:

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल समिति की बैठकों की तारीख और स्थान विनिश्चित करते हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। जब अत्यावश्यक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय की पूर्व सूचना पर बुलाई जाती हैं या अधिनियम या इसके लेखों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के सम्यक अनुपालन में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण एजेंडा नोट्स में संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, या विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मर्दों के कागजात बैठक में पटल पर रखे जाते हैं।
- कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत कार्यसूची कागजात परिचालित किये जाते हैं।
- बोर्ड/समितियों की बैठकों में वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाता है ताकि सदस्यों को जब भी अपेक्षित हो, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- कंपनी की सभी जानकारी तक बोर्ड के सदस्यों की पूरी पहुंच है। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे की संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह एजेंडा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बुलाया जाता है।

iv. बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेखन:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी संपुष्टि के लिए आगामी बोर्ड बैठक में परिचालित किया जाता है। बोर्ड की उप-समिति के कार्यवृत्त भी जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)को एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

vi. अनुपालन:

हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एजेंडा नोट्स तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन हो। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अन्य सांविधिकअपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बोर्ड को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती है:-

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़ी संविदाएं प्रदान करने की सूचना।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस, और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो तात्त्विक से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और कार्यनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशकों और समिति पदों के बारे में अभिरुचि का प्रकटीकरण।
- कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मर्दें।
- सांविधिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालन प्रमाण पत्र।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर वांछित अन्य विषय।

vii. गैर-कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरण:

कंपनी सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं करती है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 6000/- रुपये (छह हजार रुपये मात्र) की दर से बैठक शुल्क और जेब से खर्च का भुगतान किया गया।

viii. निदेशक मंडल द्वारा अन्य कंपनियों की समिति में धारित निदेशक पद और सदस्यता

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	संवर्ग	अन्य कंपनियों में निदेशक पद / प्रकटीकरण (2021-22)
कार्यकारी निदेशक:			
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 12.10.2021 से)	कार्यकारी निदेशक	शून्य
2.	श्री आर. पी. सिंह निदेशक (वित्त) (दिनांक 16.06.2021 से)	कार्यकारी निदेशक लिमिटेड	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
सरकार द्वारा नामित निदेशक			
3.	श्रीमती निधि छिबड़ (दिनांक 15.06.2021 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. नेपा लिमिटेड 2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड 3. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) 4. तुमकुरु मशीन टूल पाक
4.	श्री बी. पी. सत्पथी (दिनांक 02.11.2021 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
स्वतंत्र निदेशक:			
5.	डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली (दिनांक 02.11.2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	1. हेल्थ प्वाइंट मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी 2. सिनर्जी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी
6.	डॉ. मंजू बघेल (दिनांक 02.11.2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	शून्य

ix. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने बोर्ड के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। सीसीआई के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर सीसीआई के बोर्ड [यथास्थिति (आधिकारिक) और (गैर-आधिकारिक)] के अंशकालिक निदेशकों को सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के प्रति कटिबद्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2021-22 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत हिस्सा है और कारपोरेट और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है।

3. लेखा परीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरंभ में अक्टूबर, 2021 तक सीसीआई के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। हालांकि, डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली और डॉ. मंजू बघेल की दिनांक 02.11.2021 से गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के अनुसरण में सीसीआई के बोर्ड में, बोर्ड ने 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 360वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है:-

- 1) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- 2) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- 3) श्री बी.पी. सत्पथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय होते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, दिनांक 26.11.2021 और दिनांक 18.02.2022 को दो लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली	2	2
2. डॉ. मंजू बघेल	2	2
3. श्री बी.पी. सत्पथी	2	2

4. पारिश्रमिक समिति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय पारिश्रमिक और भत्ते सरकार द्वारा और उनकी नियुक्ति/संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति विनिश्चित करेगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरंभ में अक्टूबर, 2021 तक सीसीआई के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। हालांकि, डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली और डॉ. मंजू बघेल की दिनांक 02.11.2021 से गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के अनुसरण में सीसीआई के बोर्ड में, बोर्ड ने 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 360वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है:-

- 1) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- 2) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- 3) श्री बी. पी. सत्पथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों(केएमपी)को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण:

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम	डीए और एचआरए सहित वेतन	अन्य हितलाभ	कार्य-निष्पादन	परिलब्धियां	चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री बी वी एन प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 30.04.2021 तक	2.38	2.50	0.00	0.00	0.09	0.26	5.23
2.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 12.10.2021 से)	14.24	2.05	0.00	0.00	0.09	1.58	17.96
3.	अजय कुमार शर्मा, कंपनी सचिव	13.89	2.28	0.00	0.00	0.13	1.67	17.96
	योग	30.51	6.83	0.00	0.00	0.31	3.50	41.15

5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति होना अपेक्षित है। डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली और डॉ. मंजू बघेल की दिनांक 02.11.2021 से गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के अनुसरण में सीसीआई के बोर्ड में, बोर्ड ने 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 360वीं बैठक में निम्नलिखित

निदेशकों से मिलकर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया है:-

- 1) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- 2) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- 3) श्री बी.पी. सत्पथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

6. हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और इसकी संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है। इसलिए, ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. अनुषंगी कंपनियां

कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।

8. वार्षिक आम बैठक

विगत तीन वर्षों की वार्षिक आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:—

वार्षिक आम बैठक	55वीं वार्षिक आम बैठक	56वीं वार्षिक आम बैठक	57वीं वार्षिक आम बैठक
तारीख और समय	30 दिसंबर, 2019 अपराह्न 03.00 बजे	04 मार्च, 2021 मध्यान 12.00 बजे	25 फरवरी, 2022 अपराह्न 04.30 बजे
स्थान	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003
पारित किए गए विशेष संकल्प	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं

9. प्रकटीकरण

I. संबंधित पक्षकार लेनदेन:

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार व्यक्तिगत रूप से निदेशकों द्वारा किया गया प्रकटीकरण) के साथ ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के साथ संभावित हित जुड़े हों।

II. विधिक अनुपालन:

कंपनी ने मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल के लिए संविदात्मक दायित्वों के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किए गए खर्च के अलवाला कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया है।

III. लेखाकरण समाधान:

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के

लिए तैयार वित्तीय विवरण के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और पर्यवेक्षणों के अधीन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन किया।

IV. राष्ट्रपति के निर्देश:

वित्तीय वर्ष 2021-22 और विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं मिला है।

10. सतर्कता

सीसीआई, एक पीएसयू होने के नाते, कंपनी के अभिलेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं। सीसीआई में सीवीओ की अध्यक्षता में सतर्कता विभाग विद्यमान है।

11. संचार के माध्यम

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.cciitd.in पर डाले जाते हैं। कंपनी समय-समय पर कारपोरेट संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाकलापों पर आधिकारिक समाचार वेबसाइट पर भी डालती है।

12. सचेतक नीति:

कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों की सीएमडी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक सीधी पहुंच है जो कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciitd.in पर भी उपलब्ध है।

13. अनुपालन प्रमाण पत्र:

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण के अधीन अनुपालन की पुष्टि करने वाला मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके साथ संलग्न है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हस्ता/—

(संजय बंगा)

दिनांक : 27.09.2022

स्थान : नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 20–21 के निम्न आधार पर सीमेंट की मांग बढ़ी, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश फिर से महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया और स्थानीय लॉकडाउन और उदासीन उपभोक्ता भावना के साथ बाजार में व्यवधान पैदा कर दिया। उद्योग, जिन्हें ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ने भी अंतरराष्ट्रीय रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण डीजल और कोयले की लागत में वृद्धि देखी है, जो कि वित्त वर्ष के अंत में रूस-यूक्रेन संघर्ष से और जटिल अवस्था में पहुंच गये।

इस वर्ष बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में वृद्धि देखी गई, रियल एस्टेट क्षेत्र और ग्रामीण और किफायती आवास क्षेत्र से मजबूत मांग जारी रही। वित्त वर्ष 22 के दौरान उच्च राजकोषीय घाटे ने भी बुनियादी ढांचे और विकास पर खर्च करने की सरकारी क्षमता में वृद्धि की जिससे सीमेंट सहित अन्य क्षेत्रों की मांग पैदा हुई। आरबीआई द्वारा अपनाई गई उदार मौद्रिक नीति ने आवास वित्त के लिए आसान ऋण शर्तों की उपलब्धता की अनुमति दी। लाभकारी एमएसपी/बाजार कीमतों के साथ अच्छे मानसून ने आवास पर किये जाने वाले खर्च में वृद्धि देखी। हालांकि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से सीमेंट की मांग अपेक्षाकृत संतुलित रही। कुल सीमेंट स्थापित क्षमता लगभग 550 मिलियन टन प्रति वर्ष रही।

विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और पहली लहर की तुलना में बेहतर तैयारियों ने नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को सीमित कर दिया। हालांकि समग्र उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 22 जनवरी में 6 प्रतिशत तक पहुंच गई और वित्त वर्ष 23 के दौरान भी यह उच्च स्तर पर बनी रह सकती है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.5–8 प्रतिशत के बीच बढ़ने की संभावना है। भारत की प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत अभी भी विश्व औसत से कम है हालांकि भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

2. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 13.15 करोड़ की निवल लाभ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निगम का

निवल लाभ 40.20 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन गत वित्तीय वर्ष के 8.93 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 8.72 लाख मीट्रिक टन रहा।

3. कारपोरेट शासन

सीसीआई कारपोरेट शासन के उच्चतम मानकों का पालन करने के प्रतिकटिबद्ध है और इसके निदेशक अच्छे कारपोरेट शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की संपुष्टि करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी, कारपोरेट शासन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन कर रही थी।

4. सरकारी पहल

केंद्रीय बजट 22–23 में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जिससे बुनियादी ढांचे पर सरकार का निरंतर ध्यान स्थापित हुआ। वर्ष 2023 तक 8 मिलियन आवासों का प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य सीमेंट की मांग को और बढ़ाएगा। ऐतिहासिक रूप से आवास ऋण की कम ब्याज दरें भी उद्योग के लिए शुभ संकेत हैं क्योंकि वे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देंगी। ई-कॉमर्स बूम से वेयरहाउस स्पेस, डेटा सेंटर की मांग बढ़ने की भी संभावना है और अधिक निवेश आकर्षित करेगा क्योंकि वे अब बुनियादी ढांचे की स्थिति के अंतर्गत आते हैं।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में शुरू की गई 14 क्षेत्रों को कवर करने वाली उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी बड़े निवेश को आकर्षित कर रही है। अगले पांच वर्षों में इसके 500 अरब डॉलर मूल्य के सामान के विनिर्माण को आकर्षित करने की उम्मीद है। सरकार ने वित्त वर्ष 21–22 के दौरान एक गति शक्ति (मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान) योजना शुरू की। इससे सीमलेस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विकास में तेजी आने और बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने की संभावना है। कुल मिलाकर जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं, बाहरी विकास की नियमित निगरानी जो ऊर्जा सुरक्षा और रसद आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है, आरबीआई और सरकार दोनों द्वारा निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की सरकार की पहल को भी सीसीआई द्वारा सभी इकाइयों में उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना

को मनाने और प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग और अन्य विज्ञापन माध्यमों का भी उपयोग किया गया।

5. प्रमुख लागत घटक

वित्तीय वर्ष 21-22 में कच्चे माल, बिजली और ईंधन और रसद की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कोविड के बाद के लॉकडाउन चरण के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति हुई, जो आपूर्ति की कमी थी और विकसित और विकासशील दोनों देशों में धन प्रवाह में वृद्धि हुई। रूस यूक्रेन युद्ध ने कोयले की कीमतों पर और दबाव डाला है क्योंकि यूरोप भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को फिर से चालू करने का प्रयास कर रहा है।

ईंधन (डीजल) की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप डीजल वृद्धि की शर्तों के कारण सीमेंट परिवहन लागत में भी वृद्धि हुई है। कच्चे माल की लागत में भी वृद्धि हुई क्योंकि धातु की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि सीसीआई द्वारा बिजली की खपत को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और हमें यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बोकाजन इकाई ने बिजली की खपत में महत्वपूर्ण कमी हासिल की है जिससे इकाई परिचालन रूप से लाभदायक भी हो गई है। यह देखा जाना बाकी है कि लागत में वृद्धि को बाजार में पारित किया जा सकता है या नहीं।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है और लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। प्रचालन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा टीम की सस्तुतियां भी लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और कारोबारी प्रचालन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।

7. सीएसआर नीति

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता नीति विद्यमान है।

8. अन्य प्रकटीकरण

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अध्याय-7 में प्रावधान है कि निदेशकों की रिपोर्ट के अलावा या इसके अतिरिक्त, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए जिसमें कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विभिन्न मामलों पर चर्चा भी सम्मिलित है। जहां तक खंड-वार और उत्पाद-वार प्रदर्शन का संबंध है, कंपनी केवल एक खंड अर्थात् सीमेंट में काम करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चा और पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि जैसे विषय पहले ही निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए जा चुके हैं।

उपसंहार

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावनाएं अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी हुई हैं। अल्प अवधि में इसका दृष्टिकोण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, सीमेंट उद्योग के लिए दीर्घकालिक चालक बने रहना बरकरार है। महत्वपूर्ण रूप से, बुनियादी ढांचे के विकास और आवास पर सरकार का ध्यान उद्योग के लिए अच्छा है।

चेतावनी कथन

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्राक्कलनों का वर्णन करने वाले इस "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" में दिए गए कथन लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थ में आशावादी और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणमों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रपत्र सं. 9 एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:		
i)	सीआईएन :	U74899DL1965GOI004322
ii)	पंजीकरण की तारीख :	18/01/1965
iii)	कंपनी का नाम :	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :-	विनिर्माण क्षेत्र
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :-	कोर -5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली- 110003
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है- हां/नहीं :-	नहीं
vii)	रजिस्टर और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण :-	लागू नहीं

2. कंपनी के प्रमुख कारोबारी कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान देते हैं:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	सीमेंट	2394	100%
2	धातुमल	2394	

3. नियंत्रक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्रक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
	शून्य				

4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयर				वर्ष के अंत में धारित शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तन (प्रतिशत में)
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क) प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष/एचयूएफ	0	0	0	0.00					
(ख) केन्द्र सरकार के इक्विटी शेयर अधिमानी शेयर	-	45,59,749	45,59,749	100%	-	45,59,749	45,59,749	100%	NIL
	-	35,54,325	35,54,325*	100%	-	35,54,325	35,54,325	100%	
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(च) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप-योग (क) (1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%	0	81,14,074	81,14,074	100%	
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई-व्यक्ति विशेष	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00					
(घ) कोई अन्य....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
उप-योग (क) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+(क)(2)									
(क) सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
(क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ग) केंद्र/राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(घ) उद्यम पूंजीगत निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ङ) बीमा कंपनियों	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(च) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	
(छ) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0.00					
(ज) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
दवाबग्रस्त परिसंपत्तियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
उप-योग (ख)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर संस्थागत निकाय									
(क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपये तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपये से अधिक की शेयर पूंजी है		0	0	0	0	0	0	0	0

(*) सीसीआई की परिसंपत्तियों की बिक्री की आय से मोचित जाना था। मंत्रालय को समुचित कार्रवाई के लिए अनुरोध भेजा गया है।

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयर				वर्ष के अंत में धारित शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तन (प्रतिशत में)
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग-ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	
एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप-योग (ख)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सकल योग (क+ ख+ग)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	शून्य

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान परिवर्तन (प्रतिशत में)
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के सापेक्ष गिरवी रखे गए/कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के सापेक्ष गिरवी रखे गए/कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1.	केन्द्र सरकार	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	शून्य
	योग	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संवयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़/घट, बड़/घट, के कारण भी विनिर्दिष्ट करें (उदाहरणार्थ आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र. सं.	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारक	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़/घट, बढ़/घट, के कारण भी विनिर्दिष्ट करें (उदाहरणार्थ आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण होने की तिथि को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)				

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़/घट, बढ़/घट, के कारण भी विनिर्दिष्ट करें (उदाहरणार्थ आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				शून्य
	वर्ष के अंत में				

5. ऋणभारग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणभारग्रस्तता

(₹ लाख में)

	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणभारग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणभारग्रस्तता				
i) मूलधन की राशि		15090.07		15090.07
ii) देय ब्याज परंतु प्रदत्त नहीं		12385.27		12385.27
iii) उपचित ब्याज परंतु देय नहीं		शून्य		शून्य
योग (i+ii+iii)		27475.34		27475.34
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभारग्रस्तता में परिवर्तन		शून्य		शून्य
· परिवर्धन				
· अपचयन				
निवल परिवर्तन		शून्य		शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभारग्रस्तता				
i) मूलधन की राशि		15090.07		15090.07
ii) देय ब्याज परंतु प्रदत्त नहीं		12385.27		12385.27
iii) उपचित ब्याज परंतु देय नहीं		शून्य		शून्य
योग (i+ii+iii)		27475.34		27475.34

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्यौरा	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		श्री बी.वी.एन. प्रसाद (पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (30.04.2021 तक)	श्री संजय बंगा (पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (12.10.2021 तक)	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	4.88	16.29	21.17
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	--	--	---
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले हितलाभ	--	--	--
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन			
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें...			
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें			
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	0.26	1.58	1.84
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.09	0.09	0.18
	योग (क)	5.23	17.96	23.19
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
		डॉ. रविंद्र शिवशंकर आरली	डॉ. मंजू बघेल	-	
1.	स्वतंत्र निदेशक	36,000	30,000	-	66,000
	• बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				
	• कमीशन				
	• अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	योग (1)	36,000	30,000	-	66,000
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती)				
	• बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				
	• कमीशन				
	• अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	योग (2)	0.00	0.00		0.00
	योग (ख)=(1+2)	36,000	30,000	-	66,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग). प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)
		श्री अजय कुमार शर्मा	श्री आर.पी. सिंह
1	सकल वेतन
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	16.17	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले हितलाभ	-	-
		-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-
4	कमीशन		
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	1.67	-
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.13	-
	योग	17.96	-

7. अपराधों के लिए दंड/सजा/समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित दंड/सजा/समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
दंड	धारा 96	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए नियत तिथि के बाद एजीएम का आयोजन	एमसीए/आरओसी	ई-फॉर्म जीएनएल-1 में आवेदन एमसीए (आरओसी) के पास दायर किया गया है। आरडी (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष सुनवाई हुई। फैसले का इंतजार है
समझौता	धारा 441	समझौता फीस का भुगतान कर दिया गया है।	₹. 10,000 प्रत्येक वर्ष (2019-20 और 2020-21) कुल ₹. 20,000	आरडी (एनआर)	आरडी (एनआर) के आदेश की प्रतीक्षा है
ख. निदेशक					
दंड		शून्य			
सजा					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड		शून्य			
समझौता					

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

दिनांक : 27.09.2022

स्थान : नई दिल्ली

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7-लोधी रोड

नई दिल्ली- 110003

सीआईएन: U74899DL1965GOI00432

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देश, 2010 मूल रूप से दिनांक 22.06.2007 को जारी अधिसूचना सं. 18(8)/2005-जीएम देखें, एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, मई, 2010 को यथा संशोधित जारी उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुलग्नक (इसमें 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित) के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है, द्वारा कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट शासन का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कारपोरेट शासन की उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त डीपीई दिशा निर्देशों में निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- क. कंपनी ने अपने तांदूर संयंत्र में कारखाना अधिनियम 1948 की अपेक्षानुसार कोई कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किया है;
- ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदान की गई नियत तारीख के बाद आयोजित की गई थी, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 और 96 के तहत समझौता के लिए याचिका दायर की गई है;
- ग. अक्टूबर, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

कृते अमित अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स (कंपनी सचिव)

हस्ता/-

सीएस अमित अग्रवाल
(प्रॉपराइटर)

सदस्यता सं. F5311, सी.पी. सं.: 3647

यूडीआईएन: F005311D000915748

स्थान: दिल्ली

दिनांक : 05.09.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, लोधीरोड

नई दिल्ली-110003 भारत

सीआईएन: U74899DL1965GOI004322

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमने सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कारपोरेट परिपारटियों के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस रीति में की गई थी जो हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करे।

कंपनी का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया की स्थापना और रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व कथन

हमारा उत्तरदायित्व केवल परीक्षण के आधार पर अनुपालन की जांच और सत्यापन करना है और हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है। जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

बाध्यताएं

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याकथन या तात्त्विक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सुनियोजित और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा यथा निर्धारित सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई हो।

इसके अलावा, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कंपनी आदि पर लागू कानूनों से संबंधित कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, पंजिकाओं, अन्य अभिलेखों और विवरणी सहित सचिवीय अभिलेख की जांच करते हुए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेख सत्य और सही हैं। हमने कुछ क्षेत्रों के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी भरोसा किया है, जिसके लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

मत का आधार

हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं, सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लागू और उपयुक्त थे। कुछ मामलों में सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सचिवीय रिकॉर्ड और उसके अनुपालन पर रिपोर्ट

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई-प्रपत्रों और विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और इसके अतिरिक्त कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को समाहित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उस सीमा तक, जिस सीमा तक इसके उपरांत किए गए प्रतिवेदन की रीति में और अधीन समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र विद्यमान हैं:

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई-प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
- (iii) अन्य लागू कानून विशेष रूप से कंपनी पर अर्थात्:
 - क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952
 - ख) उपदान संदाय अधिनियम, 1972
 - ग) न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948
 - घ) प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम, 1961
 - ङ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम), 2013
 - च) बोनस संदाय अधिनियम, 1965
 - छ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 - ज) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ प्रयोजनों के लिए सृजित
 - झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
 - ञ) खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक अधिनियम, 2011

- ट) कारखाना अधिनियम, 1948
- ठ) रिक्ति की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959
- ड) मजदूरी संदाय अधिनियम
- ढ) कर्मकार और मुआवजा अधिनियम
- ण) उपदान अधिनियम
- त) समान पारिश्रमिक अधिनियम
- थ) औद्योगिक विवाद अधिनियम
- ध) बाल नियोजन अधिनियम
- न) भारतीय स्टाम्प अधिनियम
- प) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि खंड (ए) कंपनी ने निगमन के बाद से कोई एफडीआई और ईसीबी नहीं लिया गया है और निम्नलिखित (II) और (III) खंड के लिए कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है। इसलिए, इन खंडों के संबंध में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है:

- I. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक।
- II. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित नियम, विनियम और दिशानिर्देश।
- III. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित अवलोकन के अधीन किया है:

- क. कंपनी ने अपने तांदूर संयंत्र में कारखाना अधिनियम 1948 की अपेक्षा के अनुसार कोई कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किया है;
- ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदान की गई नियत तारीख के बाद आयोजित की गई थी, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 और 96 के तहत समझौता के लिए याचिका दायर की गई है;

ग. अक्टूबर, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। किंतु अक्टूबर, 2021 तक कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय ने नवंबर, 2021 दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड मीटिंग की अनुसूचियों का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडे एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए थे, और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया है जबकि संतुष्ट न होने

वाले सदस्यों के विचारों को नोट किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों के रखरखाव की समीक्षा इस ऑडिट में नहीं की गई है क्योंकि यह अन्य अभिहित पेशेवर द्वारा की गई सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा की समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊपर संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में विशिष्ट घटनाएँ/कॉर्पोरेट कार्रवाइयाँ हुईं, जिनका कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव था, जिसके संबंध में आवश्यक फाइलिंग कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) में सामान्य/अतिरिक्त शुल्क के साथ ई-फॉर्म के माध्यम से की गई है।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ता/—

सीएस अमित अग्रवाल
(प्रॉपराइटर)

सदस्यता सं. F5311, सी.पी. सं.: 3647

यूडीआईएन: F005311D000915704

स्थान: दिल्ली

दिनांक : 05.09.2022

दस वर्ष का सार-संग्रह

(₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
लाभ-हानि विवरणिका												
बिक्री और प्रेषण एवं स्टॉक में अभिवृद्धि/(कमी)	44061	39255	25202	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286
असाधारण आय/व्यय सहित अन्य आय	3911	3762	3752	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893
कच्चे माल की खपत	5924	5058	4749	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969
भंडार और पैकिंग सामग्री की खपत	2136	1755	1488	1472	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703
कर्मचारी को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	5591	5672	5490	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997
स्टॉकिस्टों/अन्यों की जमाराशियों पर ब्याज	101	374	147	116	261	225	223	297	295	446	911	3683
मूल्यहास	974	913	765	635	603	665	790	636	906	811	744	774
अन्य विनिर्माण व्यय	29226	27930	21410	22965	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340
लाभ (+)/हानि(-)	4020	1315	-5095	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713
तुलन पत्र												
प्रदत्त शेयर पूंजी*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	-78014	-82034	-83350	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)
ऋण	15090	15090	15090	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	13352	14127	12317	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224
चालू परिसंपत्तियां	35930	33977	28492	36856	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269
चालू देनदारियां एवं प्रावधान	15894	18040	10564	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137
पूँजी डब्ल्यूआईपी	6123	5959	5809	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051
अन्य परिसंपत्तियां (डीआईई सहित)	3577	2116	2248	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795
नियोजित पूंजी#	45442	40576	39765	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068
कर्मचारियों की संख्या	414	486	504	574	640	665	747	813	907	906	907	988
निवल संपत्ति	1144	-2980	-4229	859	364	-1382	-5593	-10807	-14260	-15808	-16524	-18536

* इसमें 45,598 लाख रुपये के इक्विटी शेयर एवं 35,543 लाख रुपये के मोचनीय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।
नियोजित पूंजी को कुल परिसंपत्तियों में से चालू देनदारी एवं अपरिशोधित व्यय को घटाकर लेखांकित किया गया है।



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,

सदस्यगण,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणिकाओं पर संशोधित रिपोर्ट

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा कार्यालय (आई एंड सीए), नई दिल्ली

द्वारा जारी दिनांक 05 अगस्त, 2022 के हॉफ मार्जिन को प्रभावी बनाने के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को लेखाओं पर हमारी पिछली 28 जुलाई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

योग्य मत

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") सीआईएन नं. - U74899DL1965GOI004322 की संलग्न एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष की लाभ-हानि की विवरणिका और नकदी प्रवाह विवरणिका सम्मिलित है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित ग्यारह इकाइयां (मंधार, तांदूर वाईआरओ, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुरुकुंटा, आदिलाबाद, बोकाजन और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट) तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षित राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और कारपोरेट कार्यालय की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना भी शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य मत हेतु आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणिका कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार इकाई के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व हानि और उसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत हेतु आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के मालिकाना हक और लीज पट्टा का निष्पादन निरंतर लंबित है और भूमि का विवरण समाशोधन के अध्ययन में है। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने दिनांक 11-04-2017 को स्वतः 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी जिसकी लागत अब "बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य" में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रेलवे को साइडिंग के निर्माण के लिए दिये गये 6.74 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है, अतः निर्माण लंबित है। (टिप्पणी-34 के बिंदु संख्या 04 देखें)।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर की सरकारी भूमि जो पंप हाउस से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक सड़क के रूप में है जिसका अन्य संक्रामण आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, के सरकारी भूमि के अधिग्रहण एवं उपयोग से होने वाली देनदारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (टिप्पणी-34 के बिंदु संख्या 06 देखें)।
- ग. वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाशोधन के कारण विचार नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 12 देखें)।

- घ. कुछ व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, पक्षकारों को जमा राशियां और पक्षकारों से जमा राशियां तथा अन्य देनदारियां संपुष्टि और समाशोधन के अध्ययन हैं। समाशोधन न होने के कारण पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 32 देखें)।
- घ. कंपनी की दिल्ली में सात उत्पादन इकाइयाँ और एक ग्राइंडिंग इकाई है, जहाँ वर्ष 1996 से वर्ष 1999 के बीच प्रचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जिसमें उत्पादन आरंभ नहीं किया था, जिसके संबंध में टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 11 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रबंधन के विचारानुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि बाजार मूल्य आम तौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक होने की उम्मीद है।
- घ. कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए भारत सरकार को 355.43 करोड़ रुपए के मूल्य के 3554325 गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर प्रत्येक 1000/- रुपए के जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों का 22 मार्च 2014 से पूर्व मोचित किया जाना था, जो कि निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने सूचित किया कि मंत्रीमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर को पुनः निर्गमित करने के लिए आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। (टिप्पणी 34 बिंदु सं. 13 देखें)।
- घ. 14,106.18 लाख रुपये की कुल मालसूची में से 4,095.84 लाख रुपये की अप्रचालनरत इकाइयों की मालसूची की वही राशि विगत कई वर्षों से बहियों में आगे ले जाई जा रही थी। मालसूची में निहित मदों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एवं शाखा लेखा परीक्षकों की अपनी संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में मालसूची पर टिप्पणियों के संबंध में मालसूची के मूल्य में अत्यधिक कमी हो सकती है वित्तीय विवरणिकाओं में जिसके प्रभाव का प्रबंधन द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है या प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणिका खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वह हमारे मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणिकाओं में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96-बीईएनसीएच प्ट एसओएल दिनांक 08.08.96 के माध्यम से रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21-03-2006 को की गई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 अप्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बेचने की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार 7 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। (टिप्पणी 34.09 देखें)
2. दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन डीपीई द्वारा 29-05-2017 को जारी किया गया है। परिपाटी के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की अनुशंसा भारी उद्योग मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजी गई है। आज की तारीख तक भारी उद्योग मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारी हितलाभ व्यय में इस लेखा पर प्रावधान शामिल किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणिकाओं और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना सम्मिलित है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय विवरणिकाएं और हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाएं पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणिकाओं के साथ भौतिक रूप से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना हमारे ज्ञान में असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का तात्विक मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में निदेशक मंडल कंपनी की लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारबार वाले संस्थान से संबंधित मामलों और लेखाकरण में लाभकारी कारबार वाले संस्थान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी से या त्रुटिवश हो सकते हैं और यदि, अलग-अलग या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्विक माना जाता है।

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और ऐसी योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें जिससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणी तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना शामिल है, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की

उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणिकाओं में शामिल 11 (ग्यारह) शाखाओं की वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणिकाएं/ वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल परिसंपत्ति 418.02 करोड़ रुपए और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 370.43 करोड़ रुपए (कुल राजस्व का लगभग 81 प्रतिशत) है। इन वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई और और जहां तक शाखाओं के संबंध में सम्मिलित राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारे मत पूर्णतया ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की जांच की है। मालसूची धारिता अनुपात, चालू अनुपात, बिक्री ग्राफ, लेखाकरण (एसए) 570 (संशोधित) (लाभकारी कारबार वाला संस्थान) पर मानक में यथा निर्धारित श्रम शक्ति में गिरावट एवं पाया गया कि ये वित्त वर्ष 2019-20 तक कंपनी के बारे में नकारात्मक तस्वीर दर्शाते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग सभी वित्तीय संकेतकों में सकारात्मक तस्वीर दिखाई दी है और हमारे पास वित्त वर्ष 2021-22 के मामले में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों के ऐसी जाच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में, विवरण देते हैं।
2. हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जारी निदेशों/उप-निदेशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के निबंधनानुसार, कंपनी के बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच जो हमने उचित समझी, के आधार पर और हमें प्रदान की सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुबंध ८ एवं अनुबंध ८ में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।
 - ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जहां तक उन बहियों की हमारी जाच से प्रतीत होता है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उन शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
 - ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर रिपोर्ट हमें भेज दिया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे इस पर उचित रूप से ध्यान दिया है।
 - घ) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट में दर्शाया गया नकदी प्रवाह की विवरणिका, लेखा बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
 - ङ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणिका कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।
 - च) सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

- छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलताओं के संबंध में, "अनुबंध ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है – वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी सख्या 32 देखें।
 - कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां होती।
 - ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और नियम क प्रांसगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कोई निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005823N

हस्ता/—
सीए वकार उल हक (पार्टनर)
स.सं. 073169

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 26/08/2022

यूडीआईएन: 22073169AQKHRT8402

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

[(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाएं' पर रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)]

हमारे द्वारा उचित समझी गई जांच के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. (क) इसकी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

(क) कंपनी ने अकालतारा सीमेंट फैक्ट्री यूनिट (एनओयू) और नयागांव सीमेंट फैक्ट्री यूनिट (एनओयू) को छोड़कर संपत्ति संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किया है, जैसा कि उनकी शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, नयागांव सीमेंट फैक्ट्री यूनिट (एनओयू) और अकालतारा शाखा लेखापरीक्षक के समक्ष भौतिक सत्यापन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उसे बताया गया कि शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित प्रबंधन द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया है के अपवाद वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है जो हमारे मतानुसार, उचित अंतराल पर सभी स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई तात्विक विसंगतियां नहीं देखी गईं और लेखा बहियां उचित रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ इकाइयों को छोड़कर स्थायी परिसंपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के कुछ स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। (टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 3 और 7 देखें)। विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल रखाव मूल्य	धारणकर्ता का नाम	क्या प्रवर्तक, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी	धारिता अवधि श्रेणी का उल्लेख करें जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
1.	मंथार (1.06 एकड़)	-	-	-	-	-
2.	अकालतारा (495.75 एकड़)	-	-	-	-	-
3.	भटिंडा (10.12 एकड़)	-	-	-	-	-
4.	नयागांव एक मिलियन टन का संयंत्र और दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई (6.74 एकड़)	-	-	-	-	-
5.	नयागांव (0.146 हेक्टेअर)	-	-	-	-	-
6.	प्रधान कार्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	जी नहीं	वर्ष 1988 से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व

तुलन पत्र में टिप्पणी संख्या 34.24 के अनुसार भूमि का सकल रखाव मूल्य जहां पट्टा विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है (पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखा गया है)।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

II. इसकी मालसूची के संबंध में

क) जैसा कि हमें समझाया गया है, तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, और स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल की सूची नयागांव सीमेंट फैक्ट्री इकाई को छोड़कर जैसा कि शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारे मतानुसार इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है, प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और व्याप्ति उपयुक्त थे।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी को रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठाया है इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

III. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है इसलिए आदेश के इस खंड (पपप) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

IV. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने और गारंटी और प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

V. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किया है या जमा नहीं माना है। इसलिए, आदेश के खंड 3(अ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए लागत अभिलेख की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत अभिलेख तैयार और अनुरक्षित किए हैं। हालांकि, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है जिससे यह निर्धारित हो कि वे सही या पूर्ण हैं।

VII. सांविधिक देयों के संबंध में:

क) कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, आयकर, कर कटौती सहित स्रोत पर कर, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकरण और उस पर लागू अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों में नियमित तौर पर जमा कर रही निम्नलिखित अविवादित मामलों में, भुगतान देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया हैं।

संवधि का स्वरूप	देयताओं का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)
केन्द्रीय बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	9.61
निगमित कर	प्रवेश कर	14.14
निगमित कर	नाला कर	18.92
निगमित कर	रॉयल्टी (एवं ब्याज)	69.21
मृत्यु किराया	मृत्यु किराया (एवं ब्याज)	43.01
ईडी ग्राम पंचायत कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	45.93
आय कर	आय कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.23
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	1595.35
खनन देयताएं	खनन विभाग	186.61
वृत्तिक कर	वृत्तिक कर एवं अन्य प्रकीर्ण	0.006
अधिभार/अतिरिक्त कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	13.26

ख) हम दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2022 का बकाया/शेष में आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में विवादित देय राशियां इस प्रकार हैं:

विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (लाख रुपये में)
नाला कर	नाला कर	लागू नहीं	51.13
संपत्ति कर	संपत्ति कर	लागू नहीं	264.67
सेवा कर	सेवा कर	लागू नहीं	2.29
रॉयल्टी	रॉयल्टी (ब्याज सहित)	लागू नहीं	535.08
आय कर	आय कर	दिल्ली उच्च न्यायालय	0.76
संपत्ति कर	आवास एवं अग्नि कर	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	215.55
उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	संबंधित राज्य के न्यायालय	184.24
बिक्री कर	बिक्री कर देयताएं	तेलंगाना उच्च न्यायालय	274.61
सेवा कर	सेवा कर	अपील अधिकरण	33.75
उपदान	उपदान	उप मुख्य श्रम आयुक्त	220.70
बिक्री कर	बिक्री कर	-	8.98

VIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं हैं और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्णन या प्रकटीकरण किया गया है। तदनुसार आदेश का खंड (अपपप) लागू नहीं होता है।

IX. क) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित देय राशि के संबंध में ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज की चुकौती में चूक की है।

ऋण प्रतिभूति सहित उधार की प्रकृति,	ऋणदाता का नाम	वह राशि जो नियत तिथि को अदा नहीं की गई	मूलधन अथवा ब्याज	बिलंबित अथवा अप्रदत्त दिनों की संख्या	टिप्पणी यदि कोई है
ब्याज मुक्त ऋण	भारत सरकार	150.90 करोड़	मूलधन	प्रपत्र 2011	-
गैर योजना ऋण	भारत सरकार	123.85 करोड़	ब्याज	प्रपत्र 2011	-

- ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं है इसलिए आदेश के इस खंड (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।?
- घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के इस खंड (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ङ) वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई अनुषंगी या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए आदेश के खंड (ix)(ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- च) कंपनी ने प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है इसलिए आदेश के इस खंड (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- X. (क) कंपनी किसी भी प्रतिभूति (ऋण दस्तावेज सहित) को जारी करने के लिए पात्र नहीं है और इसलिए इस आदेश के खंड (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) कंपनी शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) के किसी भी तरजीही आवंटन या निजी स्थानन के लिए पात्र नहीं है और इसलिए आदेश के इस खंड (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- XI. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई। तदनुसार आदेश के इस खंड (xi)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार के पास कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में नहीं भरी गई है, जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित है।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई सचेतक (व्हिसिल ब्लोअर) शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- XII. कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है क्योंकि आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 क अनुपालन में हैं, वित्तीय विवरणिका में लेखाकारण मानक (एएस) 18, से संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अंतर्गत अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 क नियम 7 के साथ पठित राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर लागू सीमा तक अपेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।
- XIV. (क) हमारी मतानुसार हालांकि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के तहत एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, इसे वर्ष में स्थापित कर दिया गया है जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
- (ख) प्रणाली के कारण हम आंतरिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने में सक्षम थे।
- XV. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XVI. (क) कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अधीन पंजीकरण कराया जाना अपेक्षित नहीं है।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां आयोजित नहीं की हैं। तदनुसार यह खंड ;गअपद्ध (ख) आदेश लागू नहीं है।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कंपनी एक मूलभूत निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का यह खंड (xvi) (ग) लागू नहीं है।
- (घ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई सीआईसी नहीं है, तदनुसार आदेश के इस खंड (xvi) (घ) की अपेक्षा लागू नहीं होती है।

- XVII. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान यानी ऑडिट के दौरान और साथ ही पिछले वर्ष में कवर की गई अवधि के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है।
- XVIII. वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार आदेश की धारा ,गअपपपद्ध लागू नहीं होती है।
- XIX. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और अनुभवों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देने होते हैं अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- हालांकि हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी। जब और जब वे देय हों।
- XX. हमारे मतानुसारं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई सीएसआर गतिविधि नहीं की है। (संदर्भ संख्या 34.33)
- XXI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर सूचना, योग्यता या आदेश के उपरोक्त खंड (I से XX) में पहले से शामिल प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर, कंपनियों में संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएसआरओ इकाइयों की रिपोर्ट कोई अन्य योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन.: 005823एन

हस्ता /—
सीए वकार उल हक पार्टनर
स.सं.: 073169

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 26 / 08 / 2022

यूडीआईएन: 22073169AQKHRT8402

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 क खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मापदंडों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचालित प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना निहित था। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणिकाओं के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रबंधन से हुआ हो या त्रुटि से।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वस्त मुहैया कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों जो, औचित्यपूर्ण विस्तार से, सटीकता और निष्पक्षता से निगम की परिसम्पत्तियों के संव्यवहारों और निपटान को परिलक्षित करती हों;
2. यह औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्रदान करती हों कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन करते हुए वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के निम्नलिखित प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

3. कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय रहते परिचयन के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन देती हों जिनका वित्तीय विवरणिकाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण संबंधी मानदंडों के आधार पर, ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन.: 005823एन

हस्ता/—
सीए वकार उल हक पार्टनर
स.सं.: 073169

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 26/08/2022

यूडीआईएन: 22073169AQKHRT8402

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत
निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट

1.	क्या कंपनी में सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से साधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी हाँ, आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी की अपनी प्रणाली विद्यमान है। हमने ऐसा कोई भी लेखाकरण लेनदेन नहीं पाया है जिसे आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया हो।
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना की है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बढ़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों की समुचित रूप से लेखांकित गया गया है। (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांघिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बढ़े खाते में डालने के मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन के मामले की सूची बनाए।	केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियां को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया है।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन.: 005823N

ह०
सीए वकार उल हक पार्टनर
सं.सं. 073169

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 26/08/2022

यूडीआईएन: 22073169AQKHRT8402

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
इक्विटी एवं देनदारियां			
शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	02	81,140.74	81,140.74
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	03	(78,013.76)	(82,033.82)
		3,126.98	(893.08)
गैर चालू देनदारियां			
(क) दीघावधिक उधारियां	04	15,090.07	15,090.07
(ख) अन्य दीघावधिक उधारियां	05	24,883.90	24,441.87
(ग) दीघावधिक प्रावधान	06	4,323.87	4,312.73
		44,297.84	43,844.67
चालू देनदारियां			
(क) अल्पावधिक उधारियां	07	-	-
(ख) कारोबारी देय			
(i) व्यापार देय – एमएसएमई	08	238.42	640.51
(ii) व्यापार देय – अन्य	08	1,439.99	1,219.78
(ग) अन्य चालू देनदारियां	09	6,905.21	8,955.17
(घ) अल्पावधिक प्रावधान	10	2,986.19	2,622.69
		11,569.81	13,438.15
योग		58,994.63	56,389.74
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण	11A	13,351.33	14,125.80
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11B	0.55	0.80
(iii) चल रहे पूंजीगत कार्य	12	6,122.95	5,958.60
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	13	12.81	12.81
(ख) गैर चालू निवेश	14	227.98	227.98
(ग) दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	15	1,647.27	1,631.53
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	16	1,593.50	1,600.61
(ङ) अपरिशोधित व्यय	17	1,982.76	2,086.52
		24,939.15	25,644.65
चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	18	-	-
(ख) मालसूचियां	19	14,106.18	11,963.31
(ग) कारोबारी प्राप्त्य	20	483.98	542.01
(घ) नकद और बैंक शेष	21	14,120.87	13,585.85
(ङ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	22	3,553.88	3,381.97
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	23	1,790.57	1,271.95
		34,055.48	30,745.09
योग		58,994.63	56,389.74

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां 1 to 34

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए वकार उल हक)

पार्टनर

सदस्यता सं. 089370

यूडीआईएन: 22073169ANUREG1937

तिथि: 28.07.2022

स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(अरविन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
राजस्व			
I प्रचालनों से राजस्व			
(क) उत्पादों की बिक्री (विलंकर सहित)		41,679.66	41,176.61
(ख) अन्य प्रचालनरत राजस्व		207.62	282.51
प्रचालनों से कुल राजस्व		41,887.28	41,459.12
II अन्य आय	24	3,703.52	3,479.94
कुल राजस्व		45,590.80	44,939.06
व्यय			
(क) उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	25	5,924.15	5,057.89
(ख) तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल	26	(2,381.54)	1,922.00
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	5,591.16	5,671.85
(घ) अन्य व्यय	29	-	-
(ङ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	30	973.69	913.04
च) अन्य खर्चे	28	31,463.28	30,058.72
कुल व्यय		41,570.74	43,623.50
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		4,020.06	1,315.56
असाधारण मदें आय/(व्यय)	31A	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		4,020.06	1,315.56
चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		-	-
चालू प्रचालनों से लाभ/(हानि)		4,698.94	2,345.23
रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	31C	(678.88)	(1,029.67)
रोके गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय		-	-
रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)		(678.88)	(1,029.67)
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		4,020.06	1,315.56
प्रति शेयर आय (रुपये में)			
(1000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर मान मूल्य)			
मूल		88.09	28.77
तनुकृत		88.09	28.77

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां 1 से 34 उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस लाभ-हानि विवरणिका का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित लाभ-हानि विवरणिका है।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-
(सीए वकार उल हक)
पार्टनर
सदस्यता सं. 089370
यूडीआईएन: 22073169ANUREG1937

तिथि: 28.07.2022
स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन नं. 09353339

ह/-
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/-
(राज पाल सिंह)
निदेशक (वित्त)
डिन नं. 08750557

ह/-
(अरविन्द उपाध्याय)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	4,698.94	2,345.23	(678.88)	(1,029.67)	4,020.06	1,315.56
समायोजन:						
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	888.40	1,555.16	85.43	85.98	973.83	1,641.14
वित्तीय लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज एवं अन्य आय	(2,652.19)	(2,740.18)	(269.85)	(122.10)	(2,922.04)	(2,862.28)
स्थायी परिसंपत्तियों के निस्तारण पर लाभ	(11.32)	(1.14)	-	-	(11.32)	(1.14)
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-	-	-	-	-
आवश्यक नहीं रहे प्रतिलेखन के प्रति प्रावधान	(755.53)	(570.71)	(14.63)	(45.81)	(770.16)	(616.52)
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अपलिखित अपरिशोधित व्यय	359.97	258.32	-	-	359.97	258.32
असाधारण (आय)/व्यय	-	-	-	-	-	-
कार्यशाली पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनरत लाभ	2,528.27	846.68	(877.93)	(1,111.60)	1,650.34	(264.92)
कार्यशाली पूंजी में परिवर्तन:						
कारोबारी देयों में बढ़/(घट)	(156.03)	31.01	(25.86)	(128.99)	(181.89)	(97.98)
अन्य देनदारियों में बढ़/(घट)	(921.73)	3,362.68	83.98	(61.00)	(837.75)	3,301.68
प्रावधानों में बढ़/(घट)	255.99	249.53	118.66	(111.45)	374.65	138.08
कारोबारी प्राप्ति में घट/बढ़	58.03	398.69	-	-	58.03	398.69
मालसूचियों में घट/बढ़	(2,142.87)	2,344.46	-	1.56	(2,142.87)	2,346.02
ऋण एवं अग्रिमों में बढ़/(घट)	24.27	(206.16)	(211.95)	(48.82)	(187.68)	(254.98)
अन्य परिसंपत्तियों में घट/(बढ़)	(213.58)	(64.27)	(201.66)	-	(415.24)	(64.27)
खर्च किया गया अपरिशोधित व्यय	(256.21)	(325.00)	-	-	(256.21)	(325.00)
प्रचालनरत गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(823.86)	6,637.62	(1,114.76)	(1,460.30)	(1,938.62)	5,177.32
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(149.24)	(3,360.67)	(50.99)	(89.91)	(200.23)	(3,450.58)
ब्याज एवं अन्य आय	2,555.93	2,764.74	269.85	122.10	2,825.78	2,886.84
चल रहे पूंजीगत कार्य	(164.34)	(182.56)	-	19.91	(164.34)	(162.65)
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति	12.44	1.43	-	-	12.44	1.43
निवेश गतिविधियों से नकदी	2,254.79	(777.06)	218.86	52.10	2,473.65	(724.96)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
दीर्घावधिक उधारियों से आय	-	-	-	-	-	-
दीर्घावधिक उधारियों की चुकौती	-	-	-	-	-	-
अल्पावधिक उधारियों से आय	-	-	-	-	-	-
अल्पावधिक उधारियों की चुकौती	-	-	-	-	-	-
अन्य इकाईयों को अंतरित निधि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज एवं अन्य उधारी लागत	-	-	-	-	-	-
इकाईयों के बीच अंतरित निधि	(895.70)	(1,349.85)	895.70	1,349.85	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी	(895.70)	(1,349.85)	895.70	1,349.85	-	-
नकदी एवं बैंक शेष में निवल बढ़/(घट)	535.23	4,510.71	(0.20)	(58.35)	535.03	4,452.36
प्रारंभिक नकदी एवं बैंक शेष	13,578.19	9,067.49	7.65	66.00	13,585.84	9,133.49
अंतिम नकदी एवं बैंक शेष	14,113.42	13,578.20	7.45	7.65	14,120.87	13,585.85

(₹ लाख में)

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
टिप्पणियां:						
1 अंतिम नकदी एवं बैंक शेष मिलाकर शेष:						
नकदी	0.64	0.55	0.03	0.03	0.67	0.58
हस्तगत बैंक में शेष:	-	-	-	-	-	-
- चालू खाता	793.41	755.51	7.42	7.62	800.83	763.13
- जमा खाता	13,319.37	12,822.14	-	-	13,319.37	12,822.14
योग	14,113.42	13,578.20	7.45	7.65	14,120.87	13,585.85

- 2 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (लेखाकरण मानक), नियम, 2006 के अधीन लेखाकरण मानक 3 'नकदी प्रवाह विवरणिका' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार की गई है।
- 3 बैंक जमाओं में 1963.42 लाख (गत वर्ष: 1021.46 लाख रुपये) की जमा राशि सम्मिलित हैं जिसकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।
- 4 अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, जब भी अपेक्षित हो, अपने स्वयं के नकद संसाधनों से पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 5 गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए वकार उल हक)

पार्टनर

सदस्यता सं. 073169

तिथि: 28.07.2022

तिथि: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(अरबिन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं से प्राप्त सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका को सत्यापित किया है और इसे उसी के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारी सम तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए वकार उल हक)

पार्टनर

सदस्यता सं. 073169

यूडीआईएन: 22073169ANUREG1937

तिथि: 28.07.2022

तिथि: नई दिल्ली

01 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

01.01 तैयारी का आधार

निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिन्हें नकदी आधार पर लेखांकित किया गया है, ये वित्तीय विवरणिकाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधान के साथ पठित लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन में, बीमांकिक आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपारटी के अंतर्गत तैयार की गई हैं।

- (i) रेलवे और बीमा दावों के अतिरिक्त अन्य परिसमाप्त क्षतियों/दंडों/दावों की वसूली पर लेखांकित जाता है और विविध आय में सम्मिलित किया जाता है।
- (ii) स्टोर एवं स्पेयर्स के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/न चलने वाली वस्तु आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष में लेखांकित किया जाता है जिस वर्ष में उनका निस्तारण किया जाता है।

प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के प्रचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में अभिनिश्चित किया है।।

01.02 राजस्व की मान्यता

- (i) राजस्व को प्रतिदान, मितिकाटा, डिस्काउंट और छूट आदि का निवल एवं वस्तु एवं सेवा कर को भी छोड़कर माना जाता है।
- (ii) ब्याज आय बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर समय के आधार पर उपचित की जाती है।

01.03 भूमि और परिशोधन

- (i) राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्यांकन अंकित लागत पर या इसके अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

- (ii) खदान में उत्खनन पट्टे के अधीन फ्री होल्ड भूमि और 99 वर्ष से कम के पट्टे वाले भूमि पट्टे पर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिशोधन किया जाता है।

01.04 निवेश

- (i) दीर्घावधिक निवेश का उल्लेख लागत पर किया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- (ii) चालू निवेश का उल्लेख सबसे कम लागत और उद्धृत/उचित मूल्य पर किया जाता है। गैर-उद्धृत चालू निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

01.05 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें राजस्व पर प्रभारित की जाती हैं।

01.06 स्थायी परिसंपत्ति

- (i) मूर्त संपत्ति का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित मूल्यहास और संचित क्षति की हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के उद्देश्य से काम करने की स्थिति में लाने के लिए कोई अन्य जिम्मेदार लागत सम्मिलित होती है।
- (ii) अमूर्त संपत्ति का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित परिशोधन के निवल और संचित क्षति की हानि, यदि कोई हो, पर किया गया है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के उद्देश्य से काम करने की स्थिति में लाने के लिए कोई अन्य जिम्मेदार लागत सम्मिलित होती है।

01.07 मूल्यहास/परिशोधन

- (i) मूल्यहास का प्रावधान परिसंपत्ति के पूर्ण रूप से तैयार होने और उपयोग के लिए उपलब्ध होने के

- बाद किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर लेखांकित किया जाता है और लागत का 95 प्रतिशत नीचे (iv) यथा उल्लिखित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान बट्टे खाते में डाला जाता है
- (ii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उनके पूंजीकृत किए जाने की तारीख से और उन्हें त्यागने/बेचने/ध्वस्त करने/नष्ट करने की तिथि के यथानुपात प्रभारित किया जाता है।
- (iii) कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति जिसका लिखित मूल्य वर्ष के आरंभ में 5000/- रुपये या उससे कम है, उसका वर्ष के दौरान अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखे बिना पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/- रुपये तक की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को सकल ब्लॉक में ले जाया जाता है और उसी वर्ष पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।
- (v) पट्टाकृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (vi) अमूर्त संपत्तियों को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

01.08 मालसूचियां

क) मूल्यांकन

- (i) स्टोर, स्पेयर्स और कच्चे माल, जैसा कि नीचे (ii) में दर्शाया गया है, का उल्लेख भारत औसत लागत पर किया जाता है। अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार और पुर्जे जब अवधारित किए जाते हैं, तो उन्हें स्क्रेप के रूप में माना जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (ii) क्लिंकर और अन्य अर्द्ध-तैयार माल का उल्लेख वर्क बैक फॉर्मूले के आधार पर इकाई की भारत औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर किसर जाता है। हालांकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसका उल्लेख शून्य मूल्य पर किया जाता है।

- (iii) कारखानों/परियोजनाओं में तैयार माल/माल के ढेरों में या माल के मार्गस्थ ढेर का उल्लेख इकाई भारत औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है। विभिन्न ढेरों पर पड़े तैयार माल के मूल्य में ढेर तक बिक्री व्यय में शामिल भाड़ा भी शामिल होता है।
- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न स्क्रेप मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, जहां पहली बार स्क्रेप से उत्पन्न होने या पहले निपटान नहीं होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध न हों तो मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ऐसे स्क्रेप मद के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य अपनाया जाता है।

ख) ढीले उपकरण और रस्से

उपकरण और रस्से तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

01.09 आस्थगित राजस्व व्यय

- (i) पूर्वक्षण और बोरिंग पर व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (ii) खदानों पर अधिक बोझ आदि को हटाने पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जिसका उपयोग सड़कों, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है। अधिक बोझ आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को आरंभ में 'आस्थगित राजस्व व्यय' के रूप में माना जाता है और उस अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें खदान विकास से निकाले गये चूना पत्थर उपयोग के लिए उपलब्ध है।
- (iii) किराए के भवनों में आंतरिक विभाजन और अन्य फिक्स्चर की लागत स्थापना के वर्ष में सीधे प्रभारित की जाती है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के उपरांत, हार्ड-क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया का प्रारंभिक पूर्ण प्रभार आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि, लाभ-हानि विवरणिका के लिए निर्माण शुल्क प्रभारित किया जाता है।

- (v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन के बराबर वीआरएस भुगतान के कारण सेवा समाप्ति हितलाभ या सेवा की शेष अवधि के लिए मजदूरी, जो भी कम हो और नोटिस अवधि के वेतन को आस्थगित कर दिया जाता है और व्यक्तियों की सेवा की शेष अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के दौरान भुगतान किया जाता है। हालांकि, वीआरएस/वीएसएस पर 01/04/2003 को या उसके बाद किए गए किसी भी व्यय को उस व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उसे उस वर्ष में ही पूरी तरह खर्च एवं प्रभारित किया जाता है।

01.10 पूर्व अवधि/असाधारण समायोजन

विशेष वर्ष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां, यदि निहित राशि 10,000/- रुपये से अधिक न हो तो लेखाबंदी के उपरांत ध्यान में आने वाली यानी निर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ तिथि) के उपरांत अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के संबंधित मद के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं। 10,000/-रुपये राशि रुपये से अधिक राशि के मामले में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-5 में निहित प्रावधानों को चालू वर्ष/पूर्व अवधि/असाधारण व्यय/आय के लेखाओं के स्वाभाविक शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

01.11 विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन का लेखा-जोखा

विदेशी ऋण देनदारियों का रूपांतरण बाजार बंदन होने के विनिमय दरों पर किया जाता है। लेन-देन के निपटान पर लाभ या हानि (क) परियोजना अवधि के दौरान लिखत की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/डेबिट की जाती है, जो पुर्जों और सेवा से संबंधित हैं उन्हें निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, (ख) परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन होने के उपरांत, लाभ/हानि को लिखत की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, लेकिन, जो पुर्जों और सेवाओं से संबंधित होते हैं उन्हें लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों के इस तरह के समायोजन पर मूल्यहास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

01.12 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- (i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से उनके बही मूल्य निकालने में घटाया जाता है। जहां विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान

परिसंपत्ति की पूरी या वस्तुतः पूरी लागत के बराबर होता है वहां परिसंपत्ति का मूल्यांकन अंकित मूल्य पर या इसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

- (ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय से काटे जाते हैं।
- (iii) केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में शामिल हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समान अनुदान, जहां उनके संबंध में आमतौर पर कोई पुनर्भुगतान की उम्मीद नहीं है, अनुदान को पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में माना जाता है।
- (iv) ऊपर विनिर्दिष्ट से अन्य, पूंजी/राजस्व अनुदान/सब्सिडी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -12 के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

01.13 निगम के दावे

- (i) जहां खाते में भुगतान प्राप्त हुआ है वहां बीमा दावों को सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावों के आधार पर लेखा में लाया जाता है हालांकि, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखाबंदी से पूर्व प्राप्त नहीं होती है, उसके प्रभाव का प्रकटीकरण लेखाओं पर टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।
- (ii) रेलवे के दावों को को दावों को दर्ज करने पर लेखा में लाया जाता है।

01.14 जमा कार्य

चल रहे जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व के हस्तांतरण और पूंजीकृत होने पर जमा कार्य में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाता है।

01.15 कर्मचारी हितलाभ

- (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान और कंपनी की अपनी ही उपदान योजना का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।
- (ii) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या

मृत्यु पर भुनाया जा सकने वाले अर्जित छुट्टी /अर्ध वेतन छुट्टी आदि का प्रावधान बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

- (iii) बोनस के लिए देनदारी का प्रावधान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर किया जाता है, न कि संपूर्ण निगम के रूप में। कारपोरेट कार्यालय के लिए बोनस की देनदारी का प्रावधान उस दर पर किया जाता है जो अन्य इकाइयों के लिए प्रावधान किए गए बोनस की दरों का औसत होता है।

01.16 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ हानि विवरणिका/ आईईडीसी लेखा में ऐसी समान किशतों में लगाया जाता है जो उस वर्ष से आरंभ होने वाली डिबेंचर की अवधि होती है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.17 पूर्वदत्त व्यय

बाद के वर्ष (वर्षों) के अग्रिम में किए गए 10,000/- या उससे कम राशि के व्यय के प्रत्येक मामले को चालू वर्ष के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.18 अशोध्य और संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों/अग्रिमों आदि का लेखाकरण

- (i) संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उन्हें वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है लेकिन वसूली की संभावना बनी रहती है।
- (ii) राशियां तब बट्टे खाते में डाली जाती हैं, जब वसूली के प्रयास या तो विधिक प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है कि मुकदमेबाजी माना जाता है, फलदायी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है।

01.19 इंटर यूनिट/जोन/कारपोरेट कार्यालय अंतरण

- (i) इकाइयों द्वारा अंतरित तैयार माल का मूल्यांकन आरंभ में प्रेषण योजना दरों पर किया जाता है और फिर बेची गई मात्रा का जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर निपटारा किया जाता है।
- (ii) स्थायी परिसंपत्तियों के इंटर यूनिट/जोन / कारपोरेट कार्यालय अंतरण आदि को कही मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

- (iii) क्लिंकर के इंटर यूनिट अंतरण को उसकी वसूली योग्य दरों पर (सीमेंट से वर्क बैक मेथड द्वारा) लेखांकित किया जाता है और इसकी मार्गस्थ हानि को प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में समावेशित किया जाता है।

- (iv) इंटर यूनिट/जोन/कारपोरेट कार्यालय की शेष राशि का नियमित रूप से समाशोधन किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.20 व्यय का वर्गीकरण

- (i) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जिसमें स्टोर और स्पार्स की लागत सम्मिलित है, को छोड़कर, जैसा कि नीचे (ii) में दिखाया गया है, लाभ हानि विवरणिका में प्रभारित किए जाते हैं।
- (ii) स्टोर और स्पेयर्स की लागत सहित स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभ इसके निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक (जैसे क्षमता में वृद्धि) से अधिक बढ़ाते हैं, को पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) वेतन और मजदूरी: संयंत्र और मशीनरी, भवन आदि की मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले वेतन और मजदूरी को सीधे वेतन और मजदूरी लेखा में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) अन्य फुटकर व्यय: पार्कों पर व्यय, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.21 मौजूदा संयंत्र से सटे क्षेत्र की विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा किए गए प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले सामान्य खर्च को मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना/नई परियोजनाओं के लिए प्रभारित नहीं किया जाता है।

01.22 कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय का आवंटन

कारपोरेट कार्यालय का निवल राजस्व व्यय/आय को प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों या संबंधित अनुमानों के आधार पर निर्माणाधीन सभी इकाइयों और परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
02 शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
1000/- रुपये मूल्य के 50,00,000 (31 मार्च, 2021: 50,00,000) इक्विटी शेयर	50,000.00	50,000.00
1000/- रुपये मूल्य के 40,00,000 (31 मार्च, 2021: 40,00,000) अधिमानी शेयर	40,000.00	40,000.00
योग	90,000.00	90,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
1000/- रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 45,59,749 (31 मार्च, 2021: 45,59,749) इक्विटी शेयर	45,597.49	45,597.49
1000/- रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 35,54,325 (31 मार्च, 2021: 35,54,325) अधिमानी शेयर	35,543.25	35,543.25
योग	81,140.74	81,140.74

02.1 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी में शेयरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेयर और अधिमानी शेयर के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिनका मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। अधिमानी शेयरधारक केवल अपने अधिमानी शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने का पात्र है।

02.2 बकाया शेयरों की संख्या का समाशोधन

इक्विटी शेयर	मार्च 31, 2022		मार्च 31, 2021	
	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में
वर्ष के आरंभ में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर	मार्च 31, 2022		मार्च 31, 2021	
	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में
वर्ष के आरंभ में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 निगम में 5 प्रतिशत से अधिक की भोयरधारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	मार्च 31, 2022		मार्च 31, 2021	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
इक्विटी शेयर: भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर: भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

02.4 निगम में प्रमोटर्स की शेयरधारिता का विवरण:

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों के पास धारित शेयर	मार्च 31, 2022			मार्च 31, 2021		
	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
इक्विटी शेयर:						
भारत सरकार	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01% प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:						
भारत सरकार	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
03 आरक्षित एवं अधिशेष लाभ—हानि विवरणिका में अधिशेष/(घाटा)		
वर्ष के आरंभ में शेष	(82,033.82)	(83,349.38)
जोड़ें: वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि)	4,020.06	1,315.56
वर्ष के अंत में शेष	(78,013.76)	(82,033.82)
04 दीर्घावधिक उधारियां		
अप्रतिभूत:		
सरकारी ऋण	15,090.07	15,090.07
योग	15,090.07	15,090.07
05 अन्य दीर्घावधिक देनदारियां		
कारोबारी देय		
- एमएसएमई	105.08	90.07
- अन्य	2,993.69	2,950.47
प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	3,015.40	2,756.03
ग्राहकों से अग्रिम	36.32	35.01
देय जीएसटी/बिक्री कर	80.16	73.85
देय विद्युत बकाया	1,071.24	1,067.23
देय रॉयल्टी	65.30	65.30
भारत सरकार से उधारियों पर उपचित एवं देय ब्याज	12,385.27	12,385.27
अन्य देय	5,131.44	5,018.64
योग	24,883.90	24,441.87

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
06 दीर्घावधिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान:		
- उपदान	2,150.59	2,197.01
- अर्जित छुट्टी	1,401.19	1,415.02
चल रहे पूंजीगत कार्य हेतु प्रावधान	10.57	10.57
अन्य प्रावधान	761.52	690.13
योग	4,323.87	4,312.73
07 अल्पावधिक उधारियां		
बैंकों से	-	-
योग	-	-
08 कारोबारी देय		
कारोबारी देय—एमएसएमई	238.42	640.51
कारोबारी देय—अन्य	1,439.99	1,219.78
योग	1,678.41	1,860.29
09 अन्य चालू देनदारियां		
ग्राहकों से अग्रिम	2,009.26	1,557.37
प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	866.93	1,034.71
देय जीएसटी/बिक्री कर	1,745.84	1,461.99
देय विद्युत बकाया	850.21	691.33
कर्मचारियों का बकाया	428.44	422.78
देय रॉयल्टी	201.81	208.56
अन्य देय	802.72	3,578.43
योग	6,905.21	8,955.17
10 अल्पावधिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान:		
- ग्रेजुटी	335.21	665.18
- अर्पित छुट्टी	198.12	360.91
अन्य प्रावधान	2,444.50	1,587.76
बोनस	8.36	8.84
योग	2,986.19	2,622.69

विवरण	सकल ब्लॉक/मूल लागत				मूल्यहास/परिशोधन				निवल ब्लॉक		
	अप्रैल 31, 2021 तक		परिवर्धन/समायोजन		अप्रैल 31, 2021 तक		परिवर्धन/समायोजन		अप्रैल 31, 2022 तक		
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)	
क) कार्य											
1 फ्री होल्ड भूमि	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85	
2 पट्टे की भूमि	1,952.82	50.96	-	2,003.78	1,082.11	183.84	-	1,265.95	737.83	870.71	
3 सड़क एवं पुलिया	903.79	-	-	903.79	690.39	39.37	-	729.76	174.03	213.40	
4 संयंत्र भवन	8,086.61	-	-	8,086.61	7,667.92	8.09	-	7,676.01	410.60	418.69	
5 गैर संयंत्र भवन	841.79	-	-	841.79	610.89	8.27	-	619.16	222.63	230.90	
6 जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरज	1,081.03	-	-	1,081.03	944.89	2.44	-	947.33	133.70	136.14	
7 रेलवे साइडिंग	3,296.19	-	-	3,296.19	1,863.19	101.07	-	1,964.26	1,331.93	1,433.00	
8 विद्युत संस्थापन	2,133.15	111.18	18.63	2,225.70	1,804.82	32.15	17.70	1,819.27	406.43	328.33	
9 संयंत्र एवं मशीनरी	48,760.25	10.49	1.37	48,769.37	40,499.97	533.56	1.30	41,032.23	7,737.14	8,260.28	
10 हवाई रुजू मार्ग	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71	
11 रेलवे रोलिंग स्टॉक	423.65	-	-	423.65	406.45	-	-	406.45	17.20	17.20	
12 खदान उपकरण	2,327.79	-	-	2,327.79	2,203.82	3.43	-	2,207.25	120.54	123.97	
13 वाहन	403.64	-	1.16	402.48	383.64	1.18	1.10	383.72	18.76	20.00	
14 कार्यालय उपकरण	510.99	12.47	1.34	522.12	468.59	15.59	1.27	482.91	39.21	42.40	
15 फर्नीचर एवं फिक्स्चर	266.82	4.20	0.14	270.88	254.69	3.75	0.14	258.30	12.58	12.13	
16 विविध उपकरण	1,009.13	7.67	-	1,016.80	830.06	18.77	-	848.83	167.97	179.07	
17 5000 रुपये तक की लागत वाले संयंत्र एवं मशीनरी	61.23	2.63	-	63.86	61.23	2.63	-	63.86	-	-	
वर्ष योग	74,101.84	199.60	22.64	74,278.80	60,591.06	954.14	21.51	61,523.69	12,755.11	13,510.78	
ख) टारनशिप											
1 फ्री होल्ड भूमि	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72	
2 पट्टे की भूमि	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33	
3 सड़क एवं पुलिया	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02	
4 आवासीय एवं कल्याण भवन	1,750.99	-	-	1,750.99	1,225.60	18.50	-	1,244.10	506.89	525.39	
5 जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरज	183.27	0.08	-	183.35	154.16	0.85	-	155.01	30.34	31.11	
6 विद्युत संस्थापन	41.33	-	-	41.33	40.27	0.06	-	40.33	1.00	1.06	
7 वाहन	119.82	-	-	119.82	115.07	-	-	115.07	4.75	4.75	
8 कार्यालय उपकरण	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08	
9 फर्नीचर एवं फिक्स्चर	18.54	-	-	18.54	17.26	-	-	17.26	1.28	1.28	
10 विविध उपकरण	19.57	0.56	-	20.13	18.29	0.03	-	18.32	1.81	1.28	
टारनशिप योग	2,226.73	0.64	-	2,227.37	1,611.71	19.44	-	1,631.15	596.22	615.02	
वर्ष एवं टारनशिप का योग	76,328.57	200.24	22.64	76,506.17	62,202.77	973.58	21.51	63,154.84	13,351.33	14,125.80	
गत वर्ष	72,884.69	3,449.92	6.04	76,328.57	60,567.25	1,641.13	5.61	62,202.77	14,125.80		

11ख: अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक/मूल लागत				मूल्यहास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	अप्रैल 31, 2021 तक		परिवर्धन/समायोजन		अप्रैल 31, 2021 तक		परिवर्धन/समायोजन		अप्रैल 31, 2022 तक	
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.81	-	-	0.81	0.01	0.25	-	0.26	0.55	0.80
योग	0.81	-	-	0.81	0.01	0.25	-	0.26	0.55	0.80
गत वर्ष	-	0.81	-	0.81	-	0.01	-	0.01	0.80	

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 तक
12 चल रहे पूंजीगत कार्य (मूर्त)				
यांत्रिक परमर्शी सेवा	131.37	-	-	131.37
सिविल अभियांत्रिकी कार्य	2,016.78	0.40	-	2,017.18
प्रतीक्षित प्रतिस्थापन सहित संयंत्र एवं मशीनरी	3,939.04	135.98	40.44	4,034.58
संयंत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन व्यय	0.55	68.08	-	68.63
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन किया जाना है*	137.85	0.33	-	138.18
पूंजीगत भंडार	8.82	-	-	8.82
अन्य	160.16	-	-	160.16
उप योग	6,394.57	204.79	40.44	6,558.9
प्रावधान	435.97	-	-	435.97
योग	5,958.60	204.79	40.44	6,122.95
* प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन किया जाना है				
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
बिजली	0.49	-	-	0.54
विविध व्यय	0.76	-	-	0.76
प्रतिभूति व्यय	21.35	-	-	21.35
मूल्यह्रास	0.14	-	-	0.14
योग	22.74	-	-	22.79
अंतरित	22.46	-	-	22.46
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-
योग	0.28	-	-	0.33
13 चल रहे पूंजीगत कार्य (अमूर्त)				
सॉफ्टवेयर का विकास	14.91	-	-	14.91
योग	14.91	-	-	14.91
प्रावधान	2.10	-	-	2.10
योग	12.81	-	-	12.81

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 तक बाजार मूल्य	31.03.2022 तक बही मूल्य	31.03.2022 तक बही मूल्य	31.03.2021 तक बाजार मूल्य	31.03.2021 तक बही मूल्य	31.03.2021 तक बही मूल्य
14 गैर चालू निवेश						
क लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): उद्धरित						
i) आंध्रा सीमेंट कं. लि. के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 31 इक्विटी शेयर एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 14.65 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष 5.40 रुपये प्रति शेयर)	*		*		*	*
ii) एसीसी सीमेंट लि. (1) के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 280 इक्विटी शेयर (280 बोनस शेयर सहित) एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 2,151.35 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष 1903.25 रुपये प्रति शेयर)	6.02		0.01		5.33	0.01
उप योग			0.01			0.01
ख लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): अनुद्धरित						
i) असम बंगाल सीमेंट कं. लि. का 10 रुपये का 1 इक्विटी शेयर (2)			*			*
ii) जयपुर उद्योग लि. के 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 79 इक्विटी शेयर			0.01			0.01
iii) स्टोन वैली सीमेंट कं. लि. के 5 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 40 इक्विटी शेयर			*			*
iv) ए पी गैस पॉवर कारपोरेशन लि. के 2315520 बोनस शेयर सहित 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 55,31,250 इक्विटी शेयर		322.00			322.00	
घटाएं: 1,34,000 बोनस शेयर सहित बेचे गये 16,10,680 शेयर		94.04			94.04	
21,81,520 बोनस शेयर सहित शेष 39,20,840 शेयर			227.96			227.96
उप योग			227.97			227.97
योग (क+ख)			227.98			227.98
कुल उद्धरित निवेश						
लागत			0.02			0.02
बाजार मूल्य	6.02				5.33	
कुल अनुद्धरित निवेश						
लागत			227.96			227.96
योग			227.98			227.98

(1) 100 रुपये प्रति शेयर के 28 शेयरों से परिवर्तित। नए शेयर प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

(2) शेयर अभी निगम के नाम में अंतरित किए जाने हैं।

* राशि 1 लाख रुपये से कम है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
15 दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम		
क) अग्रिम पूंजी		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	207.20	207.20
संदिग्ध	18.59	18.59
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	18.59	18.59
उप योग	207.20	207.20
ख) संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	159.70	92.45
संदिग्ध	470.63	470.63
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	470.63	470.63
उप योग	159.70	92.45
ग) सरकारी विभागों में शेष		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.52	0.41
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	113.87	173.39
संदिग्ध	151.20	151.20
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	151.20	151.20
उप योग	114.39	173.80
घ) बीमा एवं अन्य दावे		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	6.47	7.08
संदिग्ध	133.84	133.84
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	133.84	133.84
उप योग	6.47	7.08
ङ) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	3.16	3.16
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.60	0.60
संदिग्ध	0.37	0.37
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	0.37	0.37
उप योग	3.76	3.76
च) वसूली योग्य दावे – रेलवे		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	13.44	13.44
संदिग्ध	406.06	406.06
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	406.06	406.06
उप योग	13.44	13.44
छ) वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	27.55	27.55
संदिग्ध	80.21	80.21
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	80.21	80.21
उप योग	27.55	27.55

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
ज) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.28	0.28
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.10	0.10
संदिग्ध	7.65	7.65
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	7.65	7.65
उप योग	0.38	0.38
झ) बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,114.38	1,105.87
संदिग्ध	674.38	674.38
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	674.38	674.38
उप योग	1,114.38	1,105.87
ञ) जांच लंबित होने से कमी, हानियां		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	589.52	589.52
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	589.52	589.52
उप योग	-	-
योग	1,647.27	1,631.53

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
16 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
दीर्घावधिक कारोबारी प्राप्य:		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	1,514.53	1,514.54
घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	1,514.53	1,514.54
उप योग	-	-
जमा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	18.00	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.44	0.44
संदिग्ध	0.02	0.02
घटाएं: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.02	0.02
उप योग	18.44	0.44
जमा: अन्य	-	-
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	158.16	158.16
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,386.77	1,411.88
संदिग्ध	53.66	53.66
घटाएं: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	53.66	53.66
उप योग	1,544.93	1,570.04
ऋणों एवं अग्रिमों पर उपचित एवं देय ब्याज		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	30.13	30.13
संदिग्ध	-	-
घटाएं: संदिग्ध प्राप्य हेतु भत्ते	-	-
उप योग	30.13	30.13
योग	1,593.50	1,600.61
17 अपरिशोधित व्यय		
उत्खनन विकास पर व्यय		
वर्ष के आरंभ में	2,086.52	2,019.84
परिवर्धन	256.21	325.00
	2,342.73	2,344.84
घटाएं: पूंजीकृत / समायोजित	359.97	258.32
योग	1,982.76	2,086.52
18 चालू निवेश		
गैर कारोबारी निवेश	-	-
योग	-	-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
19 मालसूचियां (प्रबंधन द्वारा यथा सत्यापित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)				
क) स्टोर एवं स्पेयर्स:				
स्टॉक में	6,823.64		6,443.04	
मार्गस्थ	15.71	6,839.35	71.12	6,514.16
ख) चल रहे कार्य:				
स्टॉक में	4,665.37		2,547.49	
मार्गस्थ	-	4,665.37	-	2,547.49
ग) तैयार माल:				
स्टॉक में	656.03		374.17	
मार्गस्थ	2.72	658.75	102.55	476.72
घ) कच्चा माल:				
स्टॉक में	874.19		1,255.16	
मार्गस्थ	-	874.19	-	1,255.16
ङ) खुले औजार:				
स्टॉक में	1.16		1.04	
मार्गस्थ	-	1.16	-	1.04
च) पैकिंग सामग्री:				
स्टॉक में	100.32		145.78	
मार्गस्थ	-	100.32	-	145.78
छ) कोयला:				
स्टॉक में	711.46		849.01	
मार्गस्थ	-	711.46	-	849.01
ज) स्क्रेप:				
स्टॉक में	266.07		184.44	
मार्गस्थ	-	266.07	-	184.44
उप योग		14,116.67		11,973.80
Less: Provision for Unrealisable inventory		10.49		10.49
योग		14,106.18		11,963.31

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
20 कारोबारी प्राप्य		
क) छः माह से अधिक अवधि से बकाया		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.43	0.43
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	93.22	94.5
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	- 93.65	- 94.93
ख) अन्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	34.51	43.99
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	355.82	403.09
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	- 390.33	- 447.08
योग	483.98	542.01
21 नकदी एवं बैंक शेष		
हाथ में नकदी	0.67	0.58
हाथ में चेक	-	-
बैंक में शेष:		
- चालू खाता	800.83	763.13
- सावधि जमा	9,671.31	10,250.20
- बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन के तौर पर रखी सावधि जमा	3,648.06	2,571.94
योग	14,120.87	13,585.85

टिप्पणी:

बैंक जमा में 1963.42 लाख रुपये (गत वर्ष: 1021.46 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है जिसकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
22 अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम		
क) अग्रिम पूजी		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
क) जमा: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	18.00
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	17.80	17.80
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	17.80	35.80
ग) जमा: अन्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	220.70	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	402.50	470.35
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	623.20	470.35
घ) संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,328.06	992.23
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	1,328.06	992.23
ङ) सरकारी विभागों में शेष		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	663.39	594.30
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	333.23	702.55
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	996.62	1,296.85
च) बीमा एवं अन्य दावे		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	5.19	9.11
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	153.87	138.82
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	159.06	147.93
छ) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	5.73	6.98
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	5.73	6.98

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
ज) वसूली योग्य दावे – रेलवे		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
झ) वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	52.17	52.17
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	52.17	52.17
ञ) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	10.33	11.26
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	6.64	6.29
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	16.97	17.55
ट) बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	354.27	362.11
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	354.27	362.11
ठ) जांच लंबित होने से कमी, हानियां		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
योग	3,553.88	3,381.97
23 अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सावधि जमा पर उपचित ब्याज	310.35	406.60
बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य	1,480.22	865.35
योग	1,790.57	1,271.95

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
24 अन्य आय		
संपत्ति से किराया	2,161.55	2,082.31
ब्याज:		
- बैंक में सावधि जमा	591.02	608.75
- अन्य	40.56	50.27
टाउनशिप से प्राप्तियां	44.27	47.97
अतिरिक्त प्रतिलेखन प्रावधान	770.16	616.52
विविध आय	84.64	72.98
परित्यक्त संपत्ति की बिक्री पर लाभ	11.32	1.14
योग	3,703.52	3,479.94
25 उपयुक्त कच्चे माल की लागत		
प्रारंभिक शेष	1,255.16	1,188.23
वर्ष के दौरान अधिग्रहण:		
चूने पत्थर का उत्पादन, उत्खनन एवं ढुलाई (1)	4,178.84	3,155.91
अन्य कच्चे माल की खरीदी	1,364.34	1,968.91
घटाए: अंतिम स्टॉक	874.19	1,255.16
उपयुक्त कच्चा माल	5,924.15	5,057.89
(1) चूने पत्थर का उत्पादन, उत्खनन एवं ढुलाई		
चूने पत्थर का उत्पादन एवं संविदाकारों को भुगतान	1,154.13	872.76
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	289.16	343.69
प्रदत्त उपदान	55.24	40.40
कर्मचारियों को हितलाभ	0.05	0.14
भविष्य निधि में अंशदान	23.63	24.26
पेंशन निधि में अंशदान	4.44	4.97
छुट्टी नकदीकरण	32.16	16.45
चिकित्सा व्यय	4.79	3.24
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	-	7.65
	409.47	440.80
उपभुक्त भंडार		
सकल राशि	306.78	205.48
घटाए: मरम्मत में सम्मिलित राशि	31.10	9.63
	275.68	195.85
बिजली	67.29	51.20
ईंधन	93.97	77.83
दर एवं कर	27.09	14.33
संविदा श्रमिकों को भुगतान	487.26	342.72

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
रॉयल्टी एवं उपकर	1,514.53		1,204.37	
अपलिखित उत्खनन विकास व्यय	359.97		258.32	
यात्रा व्यय	0.98		0.18	
बीमा	0.67		0.48	
अन्य व्यय	12.91	2,564.67	12.46	1,961.89
मरम्मत				
- मशीनरी	13.05		3.02	
- भवन	0.00		0.05	
- अन्य	18.05	31.10	6.55	9.62
उप योग	4,435.05		3,480.92	
घटाएं: उत्खनन विकास व्यय		256.21		325.00
योग	4,178.84		3,155.92	

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
26 तैयार माल, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल की मालसूचियों में परिवर्तन				
अर्द्ध तैयार माल				
- प्रारंभिक स्टॉक	2,547.49		4,104.24	
- अंतिम स्टॉक	4,665.37	(2,117.88)	2,547.49	1,556.75
तैयार माल				
- प्रारंभिक स्टॉक	374.17		659.28	
- अंतिम स्टॉक	656.04	(281.87)	374.17	285.11
मार्गस्थ तैयार माल				
- प्रारंभिक स्टॉक	102.55		1.57	
- अंतिम स्टॉक	2.72	99.83	102.55	(100.98)
स्क्रेप स्टॉक				
- प्रारंभिक स्टॉक	184.44		365.56	
- अंतिम स्टॉक	266.06	(81.62)	184.44	181.12
योग		(2,381.54)		1,922.00
27 कर्मचारी हितलाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	4,016.66		4,172.08	
प्रदत्त उपदान	580.86		470.82	
कर्मचारियों को हितलाभ	4.31		26.09	
छुट्टी नकदीकरण	352.37		277.45	
भविष्य निधि में अंशदान	278.72		295.62	
पेंशन निधि में अंशदान	42.49		46.48	
चिकित्सा व्यय	190.64		164.37	
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	8.63		67.23	
उपदान हेतु प्रावधान	7.89		0.59	
कर्मचारी कल्याण व्यय	108.59		151.12	
उप योग		5,591.16		5,671.85
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित कर्मचारी हितलाभ व्यय	-		-	
योग		5,591.16		5,671.85

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
28 अन्य व्यय				
बिजली	7,327.51		6,545.50	
कोयला	13,394.15		11,459.62	
ईंधन तथा तेल	5.18		0.17	
किराया	35.75		50.02	
दर एवं कर	140.54		139.95	
बीमा	37.31	20,940.44	38.48	18,233.74
मरम्मत एवं रखरखाव				
- संयंत्र एवं मशीनरी	1,509.58		1,374.58	
- भवन	89.25		112.66	
- अन्य	241.23	1,840.06	247.90	1,735.14
अन्य उत्पादन व्यय		412.66		486.21
अपलिखत उपकरण एवं रस्से		0.68		0.52
यात्रा व्यय		54.49		44.86
बिक्री व्यय				
- सीमेंट पर भाड़ा	2,895.02		3,210.95	
- चढ़ाई-उतराई खर्च	192.16		188.23	
- गोदाम खर्च	100.51		65.77	
- बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	76.75		33.33	
- अन्य बिक्री व्यय	27.20	3,291.64	28.54	3,526.82
वाहन परिचालन व्यय		18.27		15.24
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				
- लेखापरीक्षा हेतु	7.75		7.78	
- व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	1.34		1.16	
- अन्य क्षमता में	2.25	11.34	2.31	11.25
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की लागत				
- लेखापरीक्षा हेतु	1.01		1.06	
- व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	-	1.01	-	1.06
सीआरआई एवं अन्यो को अभिदान		4.11		8.05
संचार व्यय		18.42		18.84
मुद्रण एवं स्टेशनरी		21.04		21.44
डाटा प्रोसेसिंग के लिए किराया प्रभार		0.41		0.34
विधिक एवं वृत्ति व्यय		109.40		109.62
सुरक्षा व्यय		747.93		739.65
स्टॉकिस्टों/अन्यों से जमा पर ब्याज		100.51		374.01
कर्मकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण		0.45		1.16
विविध व्यय (1)		273.90		263.86
संविदा श्रमिकों को भुगतान		1,479.55		1,398.09
बंद परियोजना पर व्यय		22.50		22.46
संदिग्ध प्राप्यों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		-		-
पूर्वावधि व्यय (निवल) [नोट सं. 31ख देखें]		1.76		1,314.60
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-		-
भंडार एवं पुर्जों की खपत:				

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
- सकल राशि	1,968.03		1,788.51	
- घटाएं: मरम्मत एवं रखरखव सहित पैकिंग सामाग्री	1,263.03	705.00	1,184.96	603.55
		1,430.38		1,150.83
उप योग		31,485.95		30,081.34
घटाएं: आईईडीसी को स्थानांतरित व्यय				
वृत्तिक व्यय		0.54		0.50
प्रतिभूति व्यय		21.37		21.36
विविध व्यय		0.76		0.76
योग		31,463.28		30,058.72
(1) सम्मिलित:				
- डायरेक्टर सिटिंग फीस		0.66		-
29 वित्तीय लागत				
अन्य उधारी लागत				
- अन्य		-		-
योग		-		-
30 मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय				
मूल्यहास/परिशोधन		973.83		1,641.14
घटाएं: पिछली अवधि के लिए चार्ज की गई राशि		-		727.96
उप योग		973.83		913.18
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित मूल्यहास		0.14		0.14
योग		973.69		913.04

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
31 अपवादात्मक, असाधारण मदें एवं गत वर्षों से संबंधित समायोजन				
31A अपवादात्मक मदें				
आय:				
ब्याज आदि का अधित्याग		-		-
उप योग		-		-
व्यय:				
ब्याज इत्यादि		-		-
उप योग		-		-
निवल अपवादात्मक मदों की आय/(व्यय)		-		-
31ख पूर्वावधि मदें				
आय:				
ब्याज		-		-
अन्य	11.55	11.55	17.41	17.41
योग		11.56		17.41
व्यय:				
मरम्मत एवं रखरखाव		-	0.95	
दर एवं कर		-	5.24	
ब्याज		-	589.55	
मूल्यहास एवं परिशोधन		-	727.96	
अन्य	13.31		8.31	
योग		13.31		1,332.01
निवल पूर्वावधि आय/(व्यय)		(1.76)		(1,314.60)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

31ग प्रचालन एवं अप्रचालन के राजस्व एवं व्यय की विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	प्रचालित		अप्रचालित		कुल	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क राजस्व:						
टर्नओवर (निवल)	41,679.66	41,176.61	-	-	41,679.66	41,176.61
अन्य प्रचालन राजस्व	207.62	282.51	-	-	207.62	282.51
अर्द्ध तैयार माल एवं तैयार माल का उपचय/अनुपचय	2,381.54	(1,921.99)	-	-	2,381.54	(1,921.99)
योग	44,268.82	39,537.13	-	-	44,268.82	39,537.13
ख व्यय:						
प्रचालन व्यय	42,994.08	40,503.93	963.36	1,197.56	43,957.44	41,701.49
योग	42,994.08	40,503.93	963.36	1,197.56	43,957.44	41,701.49
ग प्रचालन गतिविधियों से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,274.74	(966.80)	(963.36)	(1,197.56)	311.38	(2,164.36)
ब्याज खर्च	-	-	-	-	-	-
घ कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,274.74	(966.80)	(963.36)	(1,197.56)	311.38	(2,164.36)
आय कर	-	-	-	-	-	-
ङ प्रचालन गतिविधियों से करोपरांत लाभ/(हानि)	1,274.74	(966.80)	(963.36)	(1,197.56)	311.38	(2,164.36)
अन्य आय	3,424.20	3,312.03	284.48	167.89	3,708.68	3,479.92
च अपवादात्मक मदें – आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-
छ प्रचालन गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	4,698.94	2,345.23	(678.88)	(1,029.67)	4,020.06	1,315.56

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
32 आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न किए जाने की सीमा तक)		
क) आकस्मिक देनदारियां		
(i) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है।		
क) आय कर मांग	8.57	8.57
ख) तांदूर एवं बोकाजन इकाई आदि से बिक्री कर की मांग	813.89	813.89
ग) बोकाजन विस्तार संविदा	12,060.00	12,060.00
घ) मध्यस्थता मामले	971.99	751.29
ङ) अलकतरा के संबंध में न्यूनतम टेरिफ प्रभार	1,151.50	1,151.50
च) इकाईयों के संबंध में विद्युत हवीलिंग प्रभार	30,856.14	24,214.52
छ) अन्य विविध मामले	6,264.81	6,473.15
(ii) ऐसी अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	-	-
उप योग	52,126.90	45,472.92
ख) प्रतिबद्धताएं		
क) पूंजीगत लेखाओं में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	53.14	0.94
उप योग	53.14	0.94
योग (क+ख)	52,180.04	45,473.86

टिप्पणी:

विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित मुआवजे/पदोन्नति/दावों आदि के लंबित मामलों का प्रभाव लेखा बहियों में नहीं दिया गया है चूंकि तत्संबंधी राशि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
33	मात्रात्मक विवरण				
1	वास्तविक उत्पादन				
	पोर्टलैंड सीमेंट				
	- साधारण	563,294.00	मी. टन	632,595.00	मी. टन
	- पोजोलाना	308,676.00	मी. टन	260,790.00	मी. टन
		871,970.00	मी. टन	893,385.00	मी. टन
2	क्लंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पाद)				
	- स्वयं का विनिर्माण	869,520.00	मी. टन	807,770.00	मी. टन
	- खरीदी	-	मी. टन	-	मी. टन
3	सीमेंट का प्रेषण	863,291.89	मी. टन	896,465.62	मी. टन
		मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रुपये में	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रुपये में
4	प्रारंभिक स्टॉक				
क)	सीमेंट				
i)	फैक्ट्री में स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	4,223.71	139.63	9,786.18	334.06
	- सीमेंट पीपीसी	4,429.14	152.75	1,947.29	92.72
ii)	डंप में स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	1,470.80	52.39	4,207.55	205.24
	- सीमेंट पीपीसी	876.00	29.40	-	-
iii)	मार्गस्थ स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	1,447.30	50.37	30.00	1.58
	- सीमेंट पीपीसी	1,632.50	52.19	-	-
iv)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	- सीमेंट ओपीसी	4,888.25	-	6,253.44	27.26
	- सीमेंट पीपीसी	3,015.50	-	3,015.50	-
	उप योग	21,983.20	476.73	25,239.96	660.86
ख)	क्लंकर (स्वयं का विनिर्माण)	116,129.68	2,046.65	140,598.88	2,944.87
	क्लंकर (खरीद)	-	-	0.80	0.04
	उप योग	116,129.68	2,046.65	140,599.68	2,944.91
5	स्वयं के उपभोग/अंतरण इत्यादि सहित निवल बिक्री				
i)	सीमेंट ओपीसी	558,122.75	33,820.06	637,784.91	32,783.39
ii)	सीमेंट पीपीसी	307,765.98	7,858.08	258,607.58	8,386.46
iii)	परीक्षण हेतु प्रयुक्त सीमेंट	0.06	-	0.04	-
iv)	मार्गस्थ होने के दौरान सीमेंट की कमी	61.25	-	57.23	-
v)	ओपीसी का स्वयं का उपभोग	2.90	0.18	160.00	5.00
vi)	पीपीसी का स्वयं का उपभोग	24.00	1.34	32.00	1.76
		865,976.94	41,679.66	896,641.76	41,176.61
v)	क्लंकर	-	-	-	-
6	अंतिम स्टॉक				
क)	सीमेंट				
i)	फैक्ट्री में स्टॉक				
	- सीमेंट ओपीसी	11,264.73	368.82	4,223.71	139.63
	- सीमेंट पीपीसी	6,066.23	188.75	4,429.14	152.75

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
ii) डंप में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	1,045.90	42.05	1,470.80	52.39
- सीमेंट पीपीसी	1,285.15	45.93	876.00	29.40
iii) मार्गस्थ स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	-	-	1,447.30	50.37
- सीमेंट पीपीसी	75.00	2.72	1,632.50	52.18
iv) क्षतिग्रस्त सीमेंट				
- सीमेंट ओपीसी	4,888.25	-	4,888.25	-
- सीमेंट पीपीसी	3,351.00	10.48	3,015.50	-
उप योग	27,976.26	658.75	21,983.20	476.72
ख) क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
उप योग	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
7 अन्य				
i) अन्य इकाईयों को / (से) अंतरित क्लिंकर	-	-	-	-
ii) स्क्रेप के रूप में बेचा गया सीमेंट	-	-	-	-
iii) स्क्रेप के रूप में बेचा गया क्लिंकर	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
8 सीमेंट की ग्राइंडिंग हेतु प्रयुक्त क्लिंकर	811,313.00	25,567.58	832,240.00	25,445.01
9 उपयुक्त कच्चा माल				
i) चूना पत्थर	1,283,673.73	4,161.04	1,161,965.00	3,064.04
ii) लैटराइट	15,608.13	76.77	2,132.00	7.79
iii) लौह अयस्क	17,446.96	657.18	20,879.00	808.92
iv) जिप्सम	21,629.00	613.02	23,563.00	549.40
v) शैल	27,372.27	73.61	43,899.75	110.99
vi) फ्लाइ एश	47,345.00	315.18	44,042.00	399.09
vii) क्लिंकर (खरीद)	-	-	0.80	0.04
viii) जली हुई मिट्टी	1,498.17	23.79	586.00	5.38
ix) अन्य	14,438.00	3.56	16,404.25	112.24
योग	5,924.15	5,924.15	5,057.89	5,057.89
10 निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित माल का मूल्य:				
i) कच्चा माल	-	-	-	-
ii) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-	-	-
iii) पूंजीगत माल	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
11 सीधे आयातित एवं स्वदेशी उपलब्ध कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे जिसका उपभोग किया गया एवं प्रत्येक के कुल खपत का प्रतिशत:				
सीधे आयातित	0.72%	57.21	0.72%	49.03
स्वदेशी उपलब्धता	99.28%	7,834.77	99.28%	6,797.34
	100.00%	7,891.98	100.00%	6,846.37

34 वित्तीय विवरणिकाओं का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियां

34.1 निगम द्वारा 1,04,614.75 लाख रुपये (गत वर्ष 1,04,581.50 लाख रुपये) के दावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता के अंतर्गत/लंबित हैं और इसके परिणाम केवल निर्णय/डिक्री आदि पर ज्ञात हो पाएंगे। इसलिए लेखाओं में इसका प्रभाव नहीं दिया गया है।

34.2 आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमशः 88,500.88 लाख रुपये और 8,798.64 लाख रुपये की आय का निर्धारण किया और आगे ले जाने के साथ इसे हानियों में समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी का आंकलित घाटा घटकर 97,299.52 लाख रुपये हो गया। कंपनी ने अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने मामले को कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया था। नतीजतन, अप्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास की अनुमतियों के सापेक्ष परिवर्धन के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने कुल आय 8,852.22 लाख रुपये की पुनःगणना की। इसलिए, कंपनी की आंकलित हानि अब 53.58 लाख रुपये कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप आगे ले जाया गया संघयी घाटा 97,353.09 लाख रुपये हो गया है। कंपनी ने 53.58 लाख रुपये की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की है और यह अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है।

34.3 वर्ष 2010 में मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर (संविदाकार) को 18208 लाख रुपए में सिलचर इकाई सहित बोकाजन के विस्तार की संविदा प्रदान की गई थी। मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्यादेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने संविदाकारों के 12,060.00 लाख रुपए के विरुद्ध सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के लिए 93,013.28 लाख रुपए की हानि/क्षति के लिए प्रतिवादा भी दर्ज किया। पक्षकार को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है। संविदा की शर्तों के अनुसार, मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया है और मध्यस्थता की कार्यवाही आरंभ हो गई

34.04 1.06 एकड़ (मंधार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) और 155.83 एकड़ (नयागांव) और 58.81

एकड़ (आदिलाबाद) के पट्टा विलेख के लिए मालिकाना हक निष्पादित होना अभी शेष है। डीएचआई ने अप्रचालनरत इकाइयों के विनिवेश का निदेश दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग इकाई और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ लीज होल्ड भूमि आवंटित की है।

डीडीए ने अपने पत्र दिनांक 11-04-2017 के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सीसीआई की 14.20 एकड़ की लीज होल्ड भूमि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए हस्तांतरित की। 14.20 एकड़ भूमि की लागत अब 'बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य' को अंतरित कर दी गई है क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। डीएचआई ने वर्ष 2018 में पत्र द्वारा सीसीआई को धनराशि के मामले में मुआवजे के लिए एसडीएमसी के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। नीति आयोग में दिनांक 16.05.2019 की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई। रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए सीसीआई को आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दे दी गई थी। रेलवे साइडिंग का लंबित निर्माण कार्य, साइडिंग सहित भूमि अभी तक सीसीआई को नहीं सौंपी गई है।

34.05 सभी सरकारी कंपनियों को खनन पट्टा, खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 दिनांक 03-12-2015 के अनुसार प्रदान किया गया माना जाता है। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टों को स्वीकृत माना जाता है और अभी भी वैध है।

34.06 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक 32 गुंटा तक सड़क के रूप में प्रयुक्त भूमि, जिसके लिए राजस्व विभाग से अन्यसंक्रमाण आदेश की प्रतीक्षा है, इस प्रतिफल के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, लेखाओं में नहीं किया गया है।

34.07 स्वर्गीय श्री आर.के. डालमिया द्वारा धारित विभिन्न कंपनियों के शेयर (37.79 लाख रुपये के अंकित मूल्य) और उनके द्वारा लिए गए 214.00 लाख रुपये के ऋण के सापेक्ष तत्कालीन डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए थे, उन्हें पिछले वर्षों में अपने अधिकार में ले लिया गया है। हालांकि

इन शेयरों का मूल्य 2.80 लाख रुपये (वसूली योग्य मूल्य पर) था, लेकिन उन्हें संदिग्ध माना गया और तदनुसार गत वर्षों में प्रदान किया गया था।

34.08 5.70 लाख रुपये की विद्युत स्थापना को छोड़कर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय भवन की 266.58 लाख रुपये की लागत को इसका स्वामी मानते हुए मूल्यहास के माध्यम से अनंतिम रूप से परिशोधित किया जा रहा है। हालांकि, निगम के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन अभी लंबित है।

34.09 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पत्र संख्या एसईसी/84/96/513 दिनांक 25-04-1996 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अधीन एक संदर्भ दिया गया था। माननीय बीआईएफआर पत्र संख्या 501/96-बेंच IV एसओएल दिनांक 8-8-96 द्वारा कंपनी को रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21-03-2006 को हुई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को परिचालित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 अप्रचालन संयंत्रों को बंद करने/बिक्री की परिकल्पना की गई थी।

34.10 (i) जब इस तरह के भुगतान किए जाते हैं और ऐसी रियायतों/राहतें यथास्थिति बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाती हैं या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तब लेनदारों, राज्य सरकारों, अन्य सरकार के संबंध में राहत और रियायतों पर युक्तियुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

(ii) भारत सरकार से 1975 से योजना ऋण (ब्याज मुक्त) 15,090,07 लाख रुपये (गत वर्ष 15,090,07 लाख रुपये) की राशि स्वीकृत योजना माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को दी गई मंजूरी के अनुसार सात अप्रचालन इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय से चुकाई जाएगी। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर योजनागत

ऋण पर 12,385.27 लाख रुपये की उपचित ब्याज की राशि को दिनांक 01.04.2011 से रोक (सीज) दिया गया है। कंपनी इस मौजूदा के पुनर्भुगतान में चूक कर रही है। ब्याज का भुगतान अप्रचालन इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय से किया जाएगा।

34.11 निम्नलिखित इकाइयों में प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों से उत्पादन बंद कर दिया गया है:

क्र. स.	इकाई का नाम	राज्य	बंद होने की तिथि
i)	मंधार	छत्तीसगढ़	06 जून, 1996
ii)	चरखीदादरी	हरियाणा	14 अगस्त, 1996
iii)	अकलतारा	छत्तीसगढ़	09 दिसंबर, 1996
iv)	नया गांव, नया गांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30 जून, 1997
v)	कुरकुन्टा	कर्नाटक	01 नवंबर, 1998
vi)	अदिलाबाद	तेलंगाना	05 नवंबर, 1998
vii) क.	दिल्ली ग्राइडिंग यूनिट	दिल्ली	08 फरवरी, 1999
vii) ख.	भटिंडा ग्राइडिंग यूनिट	पंजाब	चालू नहीं किया गया

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार मसौदा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21-03-2006 को हुई सुनवाई में अनुमोदित किया गया था और स्वीकृत योजना दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और बंद करने/उपरोक्त 7 अप्रचालन इकाइयों की बिक्री की परिकल्पना की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी तरह, बोकाजन, राजबन और तंदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है। इसलिए, किसी भी संभावित हानि का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, लेखाओं में हानि के लिए प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

34.12 येरागुंतला इकाई के संबंध में एमओयू/बिक्री करार की शर्तों के अनुसार एसबीआई कैप्स, मर्चेन्ट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की थी। मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ लंबित सुलह और पुष्टि बिक्री की तारीख को अर्जित होने वाली आवश्यक देनदारियों को लेखाओं में पहले ही विचार किया जा चुका है।

- 34.13** पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन के दौरान दिनांक 22-03-2007 को 35,543 लाख रुपये के गैर-संचयी अधिमानी शेयर सात वर्षों के लिए निर्गमित किए गए थे, कैबिनेट/बीआईएफआर निर्देश के अनुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर के पुनः निर्गमन के लिए आगे विस्तार मांगा गया है।
- 34.14** आस्थगित कर परिसंपत्ति/देनदारियों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता नहीं दी जाती है।
- 34.15** देनदारियों को चालू और गैर-चालू में वर्गीकृत करने

के लिए, इसकी प्रकृति के अलावा स्वीकृत योजना में निहित शर्तों को ध्यान में रखा गया है।

- 34.14** निगम के व्यवसाय की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक-17 के अधीन रिपोर्टिंग खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- 34.17** दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई द्वारा दिनांक 29-05-2017 को आईडीए कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन संशोधन जारी किया गया है। परिपारटी के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की संस्तुति को अनुमोदनार्थ डीएचआई को भेज दिया गया है। आज की तारीख में, डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है। कर्मचारी हितलाभ व्यय में इस लेखा पर प्रावधान सम्मिलित है।
- 34.18** लेखाकरण मानक-29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पणी 6 और 10 देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान समायोजन/प्रदत्त		वर्ष के दौरान परिवर्धन		अंतिम शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
उपदान	2862.19	3261.99	457.89	400.38	81.50	0.58	2485.80	2862.19
बोनस	8.83	8.80	0.87	0.70	0.40	0.73	8.36	8.83
चल रहे पूंजीगत कार्य	10.57	10.57	-	2.76	-	2.76	10.57	10.57
ई.एल. देनदारी	1775.93	1768.79	233.07	60.09	56.45	67.23	1599.31	1775.93
अन्य	2277.90	1747.20	256.33	386.50	1184.45	917.20	3206.02	2277.90

34.19 सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय/प्रदत्त ब्याज का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लेखाकरण वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि	343.50	730.58
2	लेखाकरण वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त राशि पर ब्याज	378.42	367.39
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
4	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए किंतु अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया है)	-	-
5	वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और लेखाकरण वर्ष के अंत में बकाया राशि।	13.41	15.80
6	बाद के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से छोटे उद्यमों को उपरोक्त बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान किया जाता है।	378.42	367.39

34.20 लेखाकरण मानक 15 के अनुसार कर्मचारी के हितलाभ

निगम ने कर्मचारी हितलाभ नीचे दिए गए विवरण में लेखाकरण मानक 15 अपनाया है –

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि (पीएफ) के निश्चित अंशदान का भुगतान करता है जो धन को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। भविष्य निधि ट्रस्ट की हानि, यदि कोई हो, निगम वहन करता है।

ii) उपदान

निगम की एक परिभाषित उपदान योजना है। उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उपदान पाने का हकदार है। उपदान के लिए देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय होता है, जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि संचित की है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ

निगम में अधिवर्षिता के समय कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में बंदोबस्त कीयोजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि विवरणिका में मान्यता दी जाती है।

लाभ-हानि विवरणिका और तुलन पत्र में माने गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का सारांश इस प्रकार है:

क. लाभ-हानि विवरणिका में माना गया व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	वर्तमान सेवा लागत	103.64	123.09	112.25	125.17	0.69	0.79
ख)	ब्याज लागत	184.17	210.64	118.00	117.35	1.06	1.06
ग)	अवधि में मानी गई निवल बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	(38.13)	(245.94)	(101.23)	46.65	(2.51)	1.58
घ)	लाभ-हानि विवरणिका में माना गया व्यय	249.68	87.79	129.02	289.17	(0.76)	3.43

ख. तुलन पत्र में मानी गई राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	2372.45	2748.83	1584.56	1761.17	12.51	15.80
ख)	वित्तपोषण की स्थिति/अंतर	(2,372.45)	(2,748.83)	(1,584.56)	(1,761.17)	(12.51)	(15.80)
ग)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति/(देनदारी)	(2,372.45)	(2,748.83)	(1,584.56)	(1,761.17)	(12.51)	(15.80)

ग. दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88
ग)	वर्तमान सेवा लागत	103.64	123.09	112.25	125.17	0.69	0.79
ख)	ब्याज लागत	184.17	210.64	118.00	117.35	1.06	1.06
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(626.05)	(487.58)	(305.63)	(282.02)	(2.52)	(3.52)
ङ)	दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	(38.13)	(245.94)	(101.23)	46.65	(2.51)	1.58
च)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2372.45	2748.83	1584.56	1761.17	12.51	15.80

घ. चालू अवधि के लिए राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2372.45	2748.83	1584.56	1761.17	12.51	15.80
ख)	अधिशेष/(घाटा)	(2,372.45)	(2,748.83)	(1,584.56)	(1,761.17)	(12.51)	(15.80)

ङ. बीमांकिक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 तक	
i)	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	
ii)	आयु	वापसी दर	%आयु
		30 वर्ष तक	0%
		31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%
		44 वर्ष से ऊपर	1%
iii)	मितीकाटा दर	7.11%	
iv)	भावी वेतन वृद्धि	6.00%	
v)	योजनागत परिसंपत्तियों का अपेक्षित प्रतिलाभ	शून्य	

34.21 भुगतान के लिए देय व्यापार की आयु अनुसूची (बैलेंस शीट के लिए संदर्भ नोट संख्या 05 और 08):

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i	एमएसएमई					
	-चालू वर्ष	230.67	15.02	-	82.39	328.08
	-गत वर्ष	616.29	-	16.48	82.39	715.16
ii	अन्य					
	-चालू वर्ष	1,414.68	23.50	65.73	2,926.23	4,430.14
	-पिछले वर्ष	903.97	20.42	62.93	3,174.30	4,161.62
iii	विवादित बकाया—एमएसएमई					
	-चालू वर्ष	-	-	15.42	-	15.42
	-गत वर्ष	-	15.42	-	-	15.42
iv	विवादित बकाया – अन्य					
	-चालू वर्ष	-	-	0.01	3.53	3.54
	-गत वर्ष	5.09	-	0.01	3.53	8.63

34.22 बकाया व्यापार प्राप्तियों की पुरानी अनुसूची (बैलेंस शीट के लिए संदर्भ नोट संख्या 16):

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छह माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
ii	(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य—संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iv	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य—संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-

34.23 व्यापार प्राप्तियों की बकाया अनुसूची (बैलेंस शीट के लिए संदर्भ नोट संख्या 20):

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छह माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	390.33	4.48	4.56	34.58	36.24	470.19
	-गत वर्ष	447.08	3.92	38.80	4.32	34.10	528.22
ii	(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	-	-	-	0.90	12.89	13.79
	-गत वर्ष	-	-	0.90	-	12.89	13.79
iv	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-

34.24 31.03.2022 को निगम के नाम पर अचल संपत्ति का टाइटल डीड नहीं है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	धारित शीर्षक विलेख के नाम पर	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक के संबंधी या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
i	पीपीई	भूमि भवन :					
		कार्यालय भवन :	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नहीं	1988 से	सीसीआई के साथ डीमड स्वामित्व
ii	निवेश सम्पत्ति	भूमि भवन :					
iii	पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान हेतु आयोजित किया गया	भूमि भवन :					
iv	अन्य						

नोट 34.04 (पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया और निपटान के लिए रखा गया) के अनुसार भूमि का सकल वहन मूल्य जहां शीर्षक विलेख निष्पादित किया जाना अभी बाकी है।

34.25 क) 31.03.2022 तक पूंजी-कार्य-प्रगति का पुराना कार्यक्रम:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	CWIP में राशि की अवधि के लिए				
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	- चालू वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं:					
i	जांच सिस्टम	11.59	-	-	-	11.59
ii	पीने के पानी की सुविधा	4.64	-	-	-	4.64
iii	परिपथ वियोजक	5.90	-	-	-	5.90
iv	रेलवे लाइन	-	-	271.04	1,559.00	1,830.04
v	बकट लिफ्ट	-	-	-	323.14	323.14
vi	भंडारण साइलो	-	4.20	-	-	4.20
vii	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	68.09	-	-	-	68.09
viii	ऊर्जा कुशल मोटर और अन्य	38.80	-	-	-	38.80
ix	ट्रांसफार्मर	55.53	-	-	-	55.53
x	बायोमेट्रिक मशीन	-	0.12	-	-	0.12
	परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:					
i	ग्राइंडिंग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	प्लांट और उपकरण	-	-	-	639.91	639.91
	-गत वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं:					
i	सौर ऊर्जा	20.53	-	-	-	20.53
ii	रेलवे लाइन	-	271.04	-	1,559.00	1,830.04
iii	बकट लिफ्ट	-	-	-	323.14	323.14
iv	भंडारण साइलो	4.20	-	-	-	4.20
v	बायोमेट्रिक मशीन	0.12	-	-	-	0.12
	परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:					
i	ग्राइंडिंग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.66	3,140.66
ii	प्लांट और उपकरण	-	-	-	639.91	639.91

ख) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए बॉन्ड समापन अनुसूची, जिसकी पूर्णता अतिदेय है या 31-03-2022 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	पूर्ण किया जाना है			
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	प्रोजेक्ट 1				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-
	प्रोजेक्ट 2				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-

34.26 क) 31.03.2022 तक विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की पुरानी अनुसूची:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	CWIP में राशि की अवधि के लिए				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	चल रही परियोजनाएं:					
i	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट					
	-चालू वर्ष	-	12.61	0.20	-	12.81
	-गत वर्ष	12.61	0.20	-	-	12.81
	परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:					
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-

ख) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों के लिए समापन कार्यक्रम, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	पूर्ण किया जाना है			
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-
	प्रोजेक्ट 2				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-

34.27 धारित बेनामी संपत्ति का विवरण अर्थात् अधिग्रहण का वर्ष, राशि, लाभार्थी, कार्यवाही, यदि कोई हो रु शून्य

34.28 वर्तमान संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के मामले में समय पर वैधानिक रिटर्न दाखिल करना : लागू नहीं

34.29 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निगम की इरादतन चूक की घोषणा का विवरण : लागू नहीं अन्य अनुसूची ।।। प्रारूप जो लागू नहीं हैं या शून्य हैं, उन्हें अलग से प्रकट नहीं किया गया है।

34.30 वैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ अभी तक दर्ज किए जाने वाले शुल्क या संतुष्टि के विवरण और कारण।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रभारी धारक का नाम	राशि	कारण
i	सिंडिकेट बैंक	460.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
ii	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,230.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
iii	भारतीय जीवन बीमा निगम	300.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
iv	भारतीय सामान्य बीमा निगम	300.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।

34.31 प्रमुख वित्तीय अनुपात:

क्र.सं	वित्तीय अनुपात	अंश भाजक	31.03.2022 समाप्ति वर्ष	31.03.2021 समाप्ति वर्ष	% परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण।
i	वर्तमान अनुपात	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	2.94	2.29	28%	पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान देयता में कमी और वर्तमान संपत्ति में वृद्धि
ii	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल देनदारियां / शेयरधारकों की इक्विटी	17.87	-64.14	-128%	पिछले वर्ष से देनदारी में कमी।
iii	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय / कुल ऋण सेवा	-	-	-	-
iv	इक्विटी अनुपात पर लौटें	शुद्ध आय / शेयरधारक की इक्विटी	1.29	-1.47	188%	चालू वर्ष में लाभ तीन गुना बढ़ गया है।
v	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	COGS / औसत इन्वेंटरी	3.19	3.32	-4%	-
vi	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	नेट क्र. बिक्री / औसत प्राप्य लेखा	0.74	0.57	30%	पिछले वर्षों से प्राप्य व्यापार में कमी।
vii	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	करोड़ खरीद / औसत लेनदार	3.07	2.51	22%	-
viii	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	बिक्री / औसत कार्यशील पूंजी	2.09	2.34	-11%	-
ix	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री	0.10	0.03	233%	व्यय में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ में वृद्धि।
x	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	पीबीआईटी / कुल पूंजी नियोजित	0.09	0.03	200%	व्यय में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में पीबीआईटी में वृद्धि।
xi	निवेश पर प्रतिफल	पीबीआईटी / कुल निवेश	0.21	0.07	200%	व्यय में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में पीबीआईटी में वृद्धि

- 34.32** अग्रिम, कारोबारी देय और कारोबारी लेनदारों आदि के अंतर्गत दिखाया गया शेष संपुष्टि/समाशोधन के अध्ययन हैं। इनमें समायोजन के लिए कुछ पुराने शेष की लंबित जांच भी सम्मिलित हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक गणना की जाएगी।
- 34.33** कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अधीन विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया व्यय नीचे दिया गया है। व्यय की गई कुल राशि टिप्पणी संख्या 28 में दर्शाई गई है।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
i)	गत तीन वर्षों में निगम का औसत निवल लाभ	(1,047.84)	(886.70)
ii)	निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपरोक्त का 2 प्रतिशत)	लागू नहीं	44.45
iii)	वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि जैसा कि नीचे दी गई है	-	44.45
iv)	खर्च न की गई राशि (ii - iii)	-	-

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	पहले की प्रदत्त		अभी अदायगी की जानी है		कुल	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) कोई परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	-	-	-	-	-	-
ख) उपरोक्त से अन्य प्रयोजनों पर पीएम केयर्स और राज्य सरकार के कोष	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-

- 34.34** कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के लेखाकरण मानक-18 'संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण' के अनुसार, प्रबंधन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पद	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
1.	श्री बी वी एन प्रसाद 1	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5.22	37.43
2.	श्री डी एस राणा 2	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-
3.	श्री एस बंगा 3	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	17.96	-
4.	श्री पीएम चंद्रैया 4	पूर्व निदेशक (वित्त)	-	-
5.	श्री आर पी सिंह 5	निदेशक (वित्त)	-	-
6.	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	17.96	16.91

¹30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त हुए

²01 मई, 2021 से 11 अक्टूबर, 2021 तक अतिरिक्त प्रभार

³12 अक्टूबर, 2021 से C & MD के रूप में नियुक्त

⁴30 मार्च, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक अतिरिक्त प्रभार

⁵16 जून, 2021 से अतिरिक्त प्रभार

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को भी प्रति माह रु. 2000/- के भुगतान पर 1000 किलोमीटर तक की गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी के वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

34.35 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-20 के अनुसार कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के लिए करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	4,020.06	1,315.56
ख)	घटाएं: असाधारण/अपवादात्मक मर्दे (लाख रुपये)	-	-
ग)	घटाएं: गैर-संचयी अधिमानी शेयरों पर लाभांश (लाख रुपये)	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों के संबंध में करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	4,016.51	1,312.01
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	4,559,749	4,559,749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रुपये)	1,000.00	1,000.00
छ)	प्रति शेयर मूल आय (रुपये)	88.09	28.77
ज)	प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपये)	88.09	28.77

34.36 जहां भी आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को विभाजित और पुनर्समूहित किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप रखा जा सके।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए वकार उल हक)

पार्टनर

सदस्यता सं. 073169

यूडीआईएन: 22073169ANUREG1937

तिथि: 28.07.2022

स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(अरविन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: ए.एम.जी-III/2(71)/वार्षिक
लेखे/ सीसीआई(2021-22)/2022-23/355-56
दिनांक: 14 SEP 2022

संख्या: ए.एम.जी-III/2(71)/वार्षिक

लेखे/ सीसीआई(2021-22)/2022-23/355-56

दिनांक: 14 SEP 2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, मोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

Further, Provisional Comment (PC) No. 1; regarding depiction of Cash & Cash Equivalents as Cash & Bank balances and PC No. 3; showing of Depreciation & Amortization expenses under Other expenses have not been processed further in view of Company's assurance to correct the same during printing of Annual Report for FY 2021-22. Accordingly, these deficiencies may be corrected at the time of printing of Annual Report and a copy of the same may be marked to this office for record.

भवदीया,

रुद्र. र. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अधीन, अधिनियम की 143(10) धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं के मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा तैयार दिनांक 17 जनवरी, 2022 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, जो उनकी पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 26 अगस्त, 2022 का स्थान लेती है।

मैंने भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे तीन लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पेश करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक

(एस. अलाहादीनी मण्डा)
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 14.09.2022

हमारे कर्मचारी—हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति

कर्मचारी किसी भी कंपनी की दिल की धड़कन होते हैं।

सीसीआई में पूरे भारत में 400 से अधिक कर्मचारियों की समर्पित टीम है, जो कंपनी की बेहतर उत्पादकता के लिए चौबीसों घंटे परिश्रम करते हैं। सीसीआई ने टीम के वैज्ञानिक नियोजन, अधिग्रहण, उपयोग, प्रशिक्षण और प्रेरणा में प्रगतिशील नीतियां अपनाई हैं। सीसीआई में, प्रत्येक कर्मचारी का अपना महत्व है प्रत्येक कर्मचारी कंपनी की सफलता में कुछ न कुछ योगदान करता है।

हमारे कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। सीसीआई का मानना है कि लोगों में निवेश करने से संगठन के कार्य निष्पादन में सुधार होता है और विकासशील कर्मचारी स्वयं को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरकों में से एक है।

सीसीआई का मानना है कि कर्मचारियों की संतुष्टि और कंपनी के वित्तीय निष्पादन के बीच सदैव एक आर्थिक संबंध होता है। प्रसन्नताभरी कार्यस्थल संस्कृति बेहतर स्टॉक रिटर्न में परिवर्तित हो जाती है।

$$\text{प्रसन्नचित कर्मचारी} = \text{प्रसन्नचित ग्राहक} = \text{प्रसन्नचित हितधारक}$$

सीसीआई में मानव संसाधन नीतियां अत्यधिक अभिप्रेरित, जीवंत और स्व-चालित टीम बनाने के मूल सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती हैं। कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी की ख्याल रखती है और समय-समय पर उन्हें मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अंतर्निहित प्रणाली विद्यमान है। चूंकि, सीसीआई समानता में विश्वास करता है अतः महिला कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक समानता पर कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

‘मानव संसाधन’ की किसी उद्यम में व्यापक महत्व एवं प्रतिष्ठा होती है जो कुल धारित संसाधनों का प्राथमिक खंड का निर्माण करते हैं। ‘मानव संसाधन’ का एक विचित्र पहलू यह है कि यद्यपि इनमें अनंत क्षमताएं होती हैं, तथापि इस संसाधन से जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह आम तौर पर हिमशैल के शिखर के समान होता है, जिसका यथोचित उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार, ‘वास्तविक’ और ‘संभावित’ ‘मानव संसाधन’ के बीच की अंतर को बढ़ाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों को ‘मातृ संसाधन’ के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है, जिसके माध्यम से अन्य डराने वाले संसाधन जैसे मशीन, सामग्री, धन को व्यवस्थित, समन्वित, निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। किसी उद्यम की सफलता के लिए इस ‘मातृ संसाधन’ की संभावनाओं की अधिक से अधिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है। आंतरिक प्रबंधन और नेतृत्व शैली सहभागी, सहयोगी और जलवायु अनुकूल, प्रेरक वातावरण, देखभाल संबंधी चिंता और एक-दूसरे के लिए साथी की भावना, संगठनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य के उत्पादकतान्मुखी मानकों के लिए दिए गए ढांचे के भीतर काम करने की स्वतंत्रता और लचीलापन और मानव अप्रचलन के खतरे को दूर रखने के लिए प्रशिक्षण और विकास के प्रयासों के लिए निरंतर प्रबंधन की सकारात्मक जागरूकता मानव संपत्ति के इस संसाधन के दोहन के लिए कुछ आवश्यक आदान होते हैं। इसके अतिरिक्त, जब तक मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से और सार्थक रूप से निरंतर उपयोग न किया जाए तो समय के साथ उसका क्षरण हो जाता है।

मौजूदा मानव क्षमता में मानव शक्ति वितरित व्यवसाय के प्रोफाइल के माध्यम से बेहतर अंतर्दृष्टि पाई जा सकती है और सीसीआई की कुल कर्मचारियों की संख्या में से लगभग 79 प्रतिशत तकनीकी और पेशेवर रूप से योग्य, डिग्री/डिप्लोमा धारक कर्मचारी हैं। इस प्रकार संगठन की कुल संख्या का 54.1 प्रतिशत कर्मचारी 26–50 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। सीसीआई की मानव शक्ति का विस्तृत वितरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	पेशेवर प्रोफाइल	
		कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी धारक	1	1
2	स्नातकोत्तर अभियंता	1	1
3	स्नातक अभियंता	79	73
4	एमबीए	26	24
5	पेशेवर डिप्लोमा धारक	15	15
6	स्नातकोत्तर	25	22
7	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एसएस/एसीएस	12	8
8	इंजीनियर डिप्लोमा धारक	49	42
9	स्नातक	65	52
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	107	91
11	अन्य	106	85
	योग	486	414

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों का आयु वर्ग और श्रेणी-वार वितरण

पंक्तिबद्ध सूचक	<30	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-60	Grand Total	Average Age
कार्यपालक अधिकारी	0	16	28	15	11	17	36	123	46
पर्यवेक्षक	4	21	9	5	1	9	53	102	48
कर्मकार	17	23	43	28	3	21	54	189	44
कुल योग	21	60	80	48	15	47	143	414	46

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
अजा/अनुजा/अपिव का प्रतिनिधित्व					कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां									
(दिनांक 01.01.2022 तक)					सीधी भर्ती द्वारा			पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा			
समूह	कुल कर्मचारी	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	कुल	अजा	अनुजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क-टीओटी	129	14	2	27	0	0	0	0	28	5	2	0	0	0
समूह ख-टीओटी	105	12	7	21	0	0	0	0	28	1	3	0	0	0
समूह ग-टीओटी	174	37	21	49	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
समूह घ-टीओटी	20	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	428	66	33	103	0	0	0	0	64	6	5	0	0	0

01.01.2022 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की शक्ति																		
01.01.2022 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूह-वार शक्ति																		
समूह	कर्मचारी की संख्या	सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)						पदोन्नति										
01.01.2021 तक		आरक्षित रिक्तियों की संख्या			रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)							
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
समूह क	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	105	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	174	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	428	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट: वीएच का अर्थ है दृष्टिहीन विकलांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (चलने में अक्षमता या सरेब्रेल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)

हमारी इकाईयों (यूनिट) की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह निगम की पहली इकाई है, जिसमें जुलाई, 1970 में उत्पादन आरंभ हुआ, इस इकाई में उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया अपनाई गई और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस इकाई में स्लैग की मांग भिलाई स्टील संयंत्र से पूरी की जाती है।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(103)	(129)	(91)

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

कुरकुंटा (जिला—गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की निगम की दूसरी इकाई है, जहां वर्ष 1972 से उत्पादन आरंभ हुआ।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(109)	(166)	(105)

बोकाजन (जिला—कारबी अंगलॉग, असम)

यह इकाई असम के कारबी अंगलॉग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज केवल सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई अपितु आसपास के क्षेत्रों को सीमेंट उपलब्ध कराने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी की गई थी। इस इकाई में दुर्गम क्षेत्र से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लम्बे रोपवे से चुना-पत्थर लाया जाता है। इस इकाई में 1 अप्रैल, 1977 से उत्पादन आरंभ हुआ।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	1.08	1.04	0.87
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	7234	5914	4808
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(184)	(668)	(1475)

राजबन (जिला—सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह निगम की पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी इकाई है। सामान्य आवागमन कठिन होने के अलावा इस इकाई में बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद की दुलाई सड़क मार्ग से की जाती है चूंकि इस इकाई के निकट कोई रले सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप-वे के माध्यम से चुना पत्थर यहां लाया जाता है। इस इकाई में अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.30	1.48	0.98
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	7485	6514	6020
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(262)	(2342)	(776)

नयागांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(163)	(186)	(1061)

स्थल विभाजन अर्थात् नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की अवधारण के साथ इस इकाई की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ा कर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.05.1990 से आरंभ हुआ।

डीजीयू और बीजीयू सहित नयागांव विस्तार

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(81)	(92)	(555)

अकलतरा (जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से आरंभ हुआ।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	125	(64)	1500

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

चरखी दादरी (जिला-भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत एक रुग्ण इकाई थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्रणाधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरुद्धार के उपरांत इकाई में सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर, 1981 में आरंभ हुआ गया और तत्पश्चात क्लिंकर का उत्पादन आरंभ हुआ। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(102)	(153)	(20)

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

आदिलाबाद (जिला-आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस इकाई में अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2021-22	2020-21	2019-20
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(245)	(240)	(196)

तांदूर (जिला-के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	6.34	6.41	4.00
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	29343	26827	14376
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	5144	5355	-2316

Vision

To emerge as sustainable cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

Mission

To augment the wealth creation for the Company, inspiring employees in delivering an improved product and to aim for diversification in related fields.



Limestone Mines of Bokajan Unit



Registered & Corporate Office
Cement Corporation of India Ltd.
CORE-5, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
e-Mail: mktg_co@ccilttd.in

Cement Manufacturing Units

Bokajan Cement Plant
Disstt.- Karbi Anglong
State-Assam
e-Mail: mktg_bko@ccilttd.in

Rajban Cement Plant
Distt.- Sirmaur
State- Himachal Pradesh
e-Mail: mktg_rjo@ccilttd.in

Tandur Cement Plant
Distt.- K.V. Rangareddy
State- Telangana
e-Mail: mktg_tdo@ccilttd.in

Regional Offices & Dumps

Dehradun | Hyderabad | Gulbarga | Sholapur | Bijapur | Gulbarga | Bengaluru | Hubli | Yadgir | Raichur |
Koppal | Panchkula | Yamuna Nagar | Herbetpur | Rishikesh | Haridwar | Roorkee | Saharanpur

Email id for Centralised bulk order : mktgorders@ccilttd.in